

प्रकाशक :—

विष्णु व कार्यालय
२१, शिवाजी मार्ग
लखनऊ

$$\begin{array}{r} 855-H \\ \hline 745 \end{array}$$

141742

इस पुस्तक के सर्वाधिकार अनुवाद सहित लेखक के आधीन हैं।

मुद्रक

साथी प्रेस

२१ शिवाजी मार्ग

लखनऊ

समर्पण

यह उन्नीस लेख

हमारे उन सब साथियों को समर्पित हैं

जो

न्याय के संघर्ष को हमारी ही तरह

जीवन में अनुभव कर रहे हैं।

**लखनऊ,
जुलाई १६३६ ई०**

यशपाल

विषय-सूची

लेख	पृष्ठ
१—न्याय का संघर्ष	६
२—गांधीवाद	१४
३—जीवन का आधार	२०
४—समाज का चौखटा चर्चा रहा है	२४
५—स्वराज्य और श्रेणी समस्या	३३
६—किसान-मज़दूर श्रेणी समस्या	३८
७—श्रेणी समस्या-पूँजीपति और मज़दूर	४२
८—मज़हब का मुलभ्या	४८
९—सत्याग्रह का ठेका	५२
१०—जेल सुधार	५७
११—हमारी गुलामी तुम्हें सुवारिक !	६२
१२—पढ़ी लिखी लड़की ✓	६६
१३—नींद नहीं आती ✓	७४
१४—सुके मंजूर नहीं ✓	७६
१५—न्याय ✓	८३
१६—सरीब के भगवान् ✓	८८
१७—नया वर्ष ✓	९४
१८—समाज के शत्रु ✓	९६
१९—चोरी मत कर ✓	१०५

भूमिका

मनुष्य-समाज की आयु और ज्ञान बढ़े और उसकी आवश्यकताएँ बढ़ने लगीं। इन आवश्यकताओं के बढ़ने और बदलने के साथ समाज के क्रम में परिवर्तन आता रहा है। मनुष्य-समाज के जीवन को किसी क्रम-विशेष या व्यवस्था के अनुसार संचालित करने के लिये जो परिस्थितियाँ ज़िम्मेदार हैं उनमें समाज का अपना अनुभव भी विशेष महत्वपूर्ण है। समाज के संचित अनुभवों के आधार पर खड़ा किया गया तर्क और कल्पना ही हमारा समाज-शास्त्र है। समाजशास्त्र का उद्देश्य समाज की रक्षा और विकास है।

जब समाज के विकास का मार्ग आगे बन्द होने लगता है तब समाज का शास्त्र गूढ़ चिन्तन और मनन द्वारा अपनी रक्षा के लिये नया कार्यक्रम बनाने के लिये बाधित होता है। यह बाधित होकर समाज द्वारा नये कार्यक्रम का तैयार किया जाना ही समाज में विचारों की क्रान्ति है।

समाज की जीर्ण व्यवस्था में परिवर्तन होने से पूर्व विचारों में क्रान्ति होना आवश्यक और प्राकृतिक क्रम है। सामाजिक क्रान्ति के मध्याह्न के लिए विचारों की क्रान्ति ऊषा के समान है। हमारा समाज अपनी पुरानी व्यवस्था के शिर्कजे में छुटपटा रहा है और नवीन व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव कर रहा है। यह विचारों की क्रान्ति का लक्षण है। दूसरे शब्दों में कहना होगा कि हम विचारों की क्रान्ति के युग से गुजर रहे हैं।

‘न्याय’ की धारणा मनुष्य-समाज को क्रम और नियन्त्रण में रखने वाली आन्तरिक शृंखला है। समाज की प्रत्येक व्यवस्था और क्रम अपनी एक न्याय की धारणा रखता है। यह धारणा उस सामाजिक व्यवस्था को पूर्णता के लक्ष और आदर्श की ओर संकेत करती रहती है। विचारों को क्रान्ति का काम हमारी न्याय की धारणा को नये मार्ग पर लाना है।


इस पुस्तक में हमारी नवीन परिस्थितियों के लिये त्रितुपयुक्त और जर्रर न्याय की धारणा का विश्लेषण (vivisection) किया गया है। इस विश्लेषण में हमारी वर्तमान न्याय धारणा में क्रदम-क्रदम पर मौजूद विरोधा-

भास प्रत्यक्ष हो जाते हैं। एक नवीन सामाजिक व्यवस्था और क्रम की ओर हमारा ध्यान जाता है।

न्याय की धारणा और समाज की व्यवस्था के समान रुखे विषय की विवेचना को भी रोचक और मनोरंजक बना देना इन लेखों की सार्थकता है। भाषा प्रवाह के ऊपर तैरते हुए विद्रूप की तह में सिद्धान्तों की शिलायें मौजूद हैं। मनोरंजन और विद्रूप का अभिप्राय रुखे और गम्भीर विषय को रोचक बना देना ही है। इन लेखों को पढ़कर आपके होठों पर जो मुस्कराहट आयेगी वह आत्मविस्मृति और आनन्दोल्तास को न होकर छोड़, धरिताप और करणा की होगी।

इन लेखों में लेखक ने आत्मविस्मृत समाज को कलम की नोक से मुदगुदा कर जगाने की चेष्टा की है और समाज को करबट बदलते न देख कर कई जगह उसने कलम की नोक समाज के शरीर में गड़ा दी है।

—नरेन्द्रदेव



न्याय का संघर्ष

हम सभी लोग न्याय की दुहाई देते हैं। न्याय के लिये दूसरों का सिर फोड़ने के लिये तत्पर रहते हैं। हमारे अपने विचार में जो बात न्याय है, उसी के अनुसार हम दूसरों को चलते देखना चाहते हैं। यदि दूसरे लोग हमारे निर्णय की अवहेलना करें या हमारा विरोध करें तो न्याय की रक्षा के लिये उनका सिर फोड़ना ज़रूरी हो जाता है।

न्याय की धारणा जिस प्रकार हमारे अपने दिमाग में है, उसी प्रकार दूसरे के दिमाग में—हमारे विरोधियों के दिमाग में भी होती है। जैसे हम अपने दृष्टिकोण से जो न्याय है उसे लागू करना चाहते हैं, वैसे ही हमारे विरोधी भी अत्यन्त सद्भाव और सदाशय से अपनी समझ के अनुसार न्याय को लागू करना चाहते हैं। जिस समाज की दृष्टि ही में जो न्याय है, उस समाज को ईश्वर या उस समाज का ईश्वर वैसा ही शासन स्थापित करने की आज्ञा देता है।

शेरों और भेड़ियों के न्याय के अनुसार यह आवश्यक है कि हिरन और बकरियाँ सुबह-शाम स्वयं उनके समीप आ जाँय और शेर या भेड़िये को देख कर भागें नहीं। हिरन और बकरियों के न्याय के अनुसार शेरों और भेड़ियों को घास के मैदान या पानी पीने की जगह पर नहीं आना चाहिए। बल्कि एक ऐसी विजली गिरनी चाहिये कि शेरों और भेड़ियों का नाम-निशान मिट जाय।

X

X

X

जमीदारों की बात कितनी न्यायोचित है। जो लोग उनकी मिलिक्यत की जमीन को जोते बोयें, उनकी जमीन से अन्ध-धन पैदा करें, उनको क्या अधिकार है कि सब कुछ स्वयम् ले जाँय । जिसकी जमीन है उसी का

अधिकार पैदावार पर होना चाहिये । जिसके पेट से पैदा हुआ, उसी का बच्चा !

किसानों का न्याय कहता है, जिसके हाथ-गोड़ घिसने से ज़मीन से फल पैदा होता है, फल उसी का है । ज़मीन से स्वर्तं तो कुछ पैदा हो नहीं सकता । फल ज़मीन का नहीं, मेहनत का है ।

ज़मीन तो किसी की नहीं ! ज़मीन को किसने बनाया है ? ज़मीन को धेर कर अधिकार कर लेने से ही मिलिक्यत अगर हो जाय तो कोई भी दस आदमियों को मिला कर लाठी बाँध कर ज़मीन धेर सकता है । इसमें झूठ क्या है ? बावर ने क्या किया था ? पंजाब के शेर रणजीतसिंह ने क्या किया था ? छत्रपति शिवाजी ने क्या किया था ? हैदरअली ने क्या किया था ?

ज़माना बदल गया है, अब ऐसा नहीं हो सकता । हाँ, कोई चाहे तो बहुत सा रूपया लगा कर ज़मीन ख़रीद सकता है । फौज फाटे का जोर एक साधन था । रूपया भी एक साधन है । लाठी का जोर भी एक साधन है । फर्ज कीजिए—सरकार का दिमाग़ फिर जाय, वह ज़मीदारों के हक्क को जैसे आज स्वीकार करती है, स्वीकार करना छोड़ दे । ऐसी अवस्था में न्याय बदल जायगा । किसानों की ही राय न्याय हो जायगी ।*

X

X

X

किसी की सम्पत्ति या मिलिक्यत किसी से छीन लेने का दूसरे को क्या अधिकार ? मालिक उसे चाहे जिस मोल बेच सकता है, यह विलकुल न्याय अनुमोदित है । इस तरह धनी बन जाने से न ईश्वर ही नाराज़ हो सकता है, न यह न्याय के विरुद्ध है, न कचहरी, अदालत को ही इसमें दखल है । + कहते हैं—हमारे गाँव के ज़मीदार के दस गाँव थे । फसल में उन्होंने अनाज के कोठे भेरे । ईश्वर की इच्छा हुई, आये साल फसलें खराब हो गयीं, अनाज मँहँगा बिका । मुनाफा हुआ । सेठ जी ने दो गाँव और ख़रीद लिये ।

X

X

X

* उपरोक्त लेख १६३५ में लिखा गया था । आज की सरकार ज़मीनदारी उन्मूलन का कानून बना रही है । परन्तु ज़मीनदार को मुआविज्ञा देना न्याय समझती है । समझ दें कोई ऐसी सरकार होती जो ज़मीदार को उसकी पिछली लूट के मुआविज्ञा में दरड देना ही न्याय समझती !

+यह धारणा भी बदल गई है क्योंकि सरकार व्यापारियों की अन्धेर गर्दी से परेशान होकर चोर बाज़ार विरोधी कानून बना दुकी है ।

ज़रा आँख खोल कर देखने से मालूम होता है कि मेरा या मेरी श्रेणी का जिस तरह से हित हो, मेरे लिये वही न्याय है। यदि मैं अपनी शक्ति से, चाहे वह शारीरिक हो या दिमागी, अपने हित के लिये काम करने के लिये दूसरों को बाधित कर सकता हूँ, तो वही दूसरों के लिये भी न्याय है।

आजकल ज़माना अच्छा है। मनुष्य की शक्ति का अर्क जमा किया जा सकता है। आँख चाहिए देखने के लिये—सेठजी की तिजोरी की तरफ देखिए :—उसमें एक लाख रुपये के नोट नहीं; ज्ञानशताब्दी का लगाकर देखिए तिजोरी में चार लाख आदमी बन्द हैं। इन आदमियों की पीठ पर बोझ ढोने की तैयारी है, हाथों में कुल्हाड़ी, फावड़े और मेहनत के औजार हैं। यदि सेठजी की इच्छा हो तो अभी यह स्थूल प्रत्यक्ष रूप धारण कर काम करने लग सकते हैं। सेठ जी जो चाहे कर डालें—पृथ्वी के एक भाग को पलट डालें। सेठ जी को तिजोरी में शारीरिक बल का अर्क जमा है। यह अर्क सेठ जी के अपने शरीर का नहीं। जहां तहां से बढ़ोर कर, सेठ जी ने दूसरों का बल खरीद कर अर्क जमा किया है।

X

X

X

गरमी की रात है, नींद नहीं आती। मेरी जेव में एक अठबी है। यदि मैं लोभ न करूँ, तो आराम से सो सकता हूँ। चबनी में एक आदमी का श्रम बल (आदमी) छिपा है। उसके हाथ में एक पंखा है। वह रात भर मुझे पंखा कर सकता है।

मैं पूछता हूँ—“किसके मुँह में हाथ भर की जुगान है जो कहे कि यह अन्याय है कि मैं सोऊँ और दूसरा मुझ सा ही आदमी रात भर खड़ा-खड़ा पंखा करे ? क्या उसके जान नहीं ?”

मैं पूछता हूँ—“क्या मेरे हाथ में चबनी नहीं, मैं चबनी की मेहनत नहीं लूँगा ? जिसे अठबी लेना हो अपना श्रम मेरे लिये खर्च करे।”

न्याय है शक्ति में। शक्ति के अनेक रूप हैं। सबसे अच्छा रूप शक्ति का है पैसा। यह संभाल कर बक्त के लिये रखा जा सकता है, जरूरत पड़ने पर खर्च किया जा सकता है। इस पैसे में से जमीन के जोतने-बोने वाले किसान, सुवह से शाम तक आँखें गड़ाकर दिमाग लड़ाने वाला मुँशी, वरदी पहन कर हुक्म मनवाने वाले सिपाही और तोप तलवार लेकर आतंक छा देने वाला सैनिक सब निकल सकते हैं। पैसा मनुष्य का, उसकी श्रम-शक्ति का संचित अर्क है। यह है न्याय का आधार।

जिसके पास यह शक्ति है उसी की इच्छा न्याय है। मनुष्य की शक्ति का यह सार कोई अपने ही शरीर से खींचना चाहे तो नहीं खींच सकता—मर जायगा कमवल्त। हाँ दूसरों के शरीर से थोड़ा-थोड़ा लेकर—उनके श्रम को पैसे के रूप में बदल कर यह अर्क एकत्र किया जा सकता है। जिस अनुपात में किसी व्यक्ति के पास मनुष्य के संनित श्रम का भरडार है, उसी अनुपात में वह शक्तिशाली है, न्याय का निर्णायक है।

X

X

X

एक ज्ञाना था जब एक मनुष्य की इच्छा ही न्याय थी। वह राजा कहला कर जो हुक्म दे देता, वही न्याय था। वह चाहता तो उसका मंत्री हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया जाता, शहर ग्राम फूँक दिये जाते।

बन्नत आया, राजा की स्वेच्छाचारिता अन्याय समझी जाने लगी। सरदारों-सामन्तों के हाथ में भी शक्ति आ गयी। न्याय में उनकी इच्छा और राय को दखल हो गया। राजा उनकी सम्मिलित शक्ति के आगे दब गया। वे जो चाहते थे, वही कानून होने लगा।

ज्ञाना पलटा, व्यापार ने ज़ोर पकड़ा। धन का ठेका एक मात्र सरदारों सामन्तों के हाथ से निगल व्यापारियों, कल कारखानों के मालिकों के हाथ में पहुँचा। शक्ति आने के साथ उन्हें ही लोग बोट देने लगे। अपने प्रतिनिधियों के ज़रिये न्याय में उनका भी कुछ कुछ दखल होने लगा।

ब्यौं-ज्यों शासक समाज की शक्ति कीण होने लगती है या उन्हें अपने हाथों से शक्ति निकलने का भय होने लगता है, वे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये प्रजा के कुछ अंश को अपना साभी बना उन्हें न्याय में दखल देने का अधिकार बाँटते जाते हैं या प्रजा के किसी अंश के संतोष के लिये न्याय का रूप उन्हें बदलना पड़ता है।

आज भी हमारे देश में न्याय क्या है? इसमें अपने प्रतिनिधियों की मार्फत दखल देने का अधिकार एक हद तक उन्हीं को है जो लगान या टैक्स देते हैं, जिनके पास कुछ सम्पत्ति है। इन लोगों की राय में न्याय वही है, जिससे इनकी सम्पत्ति की बढ़ती हो, वह अद्भुत बनी रहे। सब से बड़े पूँजीपति ब्रिटिश साम्राज्य ने, अपनी शक्ति की रक्षा के लिये छोटे छोटे पूँजी-पतियों को अपने चक्कर में सम्मिलित कर लिया है, परन्तु इन दस प्रतिशत*

* सन् १९३५ के शासन सुधार के अनुसार वैधानिक सभा के त्रुनाव में बोट देने का अधिकार कुल दस प्रतिशत भारतवासियों को है।

के अलावा जो नब्बे प्रतिशत हैं उनके हक्क में क्या न्याय है, इसकी चिंता किसे है ।†

X X X

स्वर्ग अपने ही मरने से मिलता है । नब्बे प्रतिशत के लिये यदि न्याय की चिन्ता किसी को हो सकती है, तो इन नब्बे प्रतिशत को ही होनी चाहिए । जब तक न्याय का निर्णय दस प्रतिशत के हाथ में रहेगा तब तक न्याय की कसौटी यही रहेगी कि नब्बे प्रतिशत के श्रम से दस प्रतिशत का काम चलता रहे । दस प्रतिशत का कल्याण इसी में है कि नब्बे प्रतिशत उन्हें 'पिता'‡ के स्थान पर मानकर 'पुत्र' की तरह उनकी आज्ञा-पालन करते रहें । समाज के शरीर के हाथ-पाँव बन समाज के पेट—इस प्रतिशत को भरते रहें । यदि वे ऐसा नहीं करते, तो वे न्याय, विधान और ईश्वर की आज्ञा के विश्वद जाते हैं; 'राम-राज्य' में विघ्न डालते हैं । मुश्किल है तो यह कि नब्बे प्रतिशत यह कैसे मान लें कि ईश्वर की आज्ञा नब्बे प्रतिशत को भूखा ही रखने की है ।

मनुष्य की संचित शक्ति का एक रूप पूँजी है, तो दूसरा रूप 'संघशक्ति' है । नब्बे प्रतिशत के पास यह दूसरी शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में है । अभी तक उन्होंने अपनी इस शक्ति को नहीं पहचाना क्योंकि अब तक ज्यो-त्यों प्राण बच रहे थे, परन्तु अब पूँजी की शक्ति का पंजा इतना कड़ा हो गया कि साँस लेना मुश्किल है । यदि नब्बे प्रतिशत अब भी अपनी इसी शक्ति के आधार पर न्याय न माँगें तभी ताज्जुब है ।

न्याय की धारणा में समय-समय पर संघर्ष होता आया है और उसका रूप बदल रहा है । यदि नब्बे प्रतिशत अपने बाग्य के निर्णय का बोझ स्वयं सँभाल कर न्याय के रूप में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वह मानना ही पड़ेगा । यदि हम पूँजी और संघ की शक्ति की टक्कर देखना नहीं चाहते तो हमारे लिये नब्बे प्रतिशत की शक्ति को स्वीकार कर लेने के सिवा और मार्ग नहीं ।

† यद्यपि राष्ट्रीय सरकार के हाथ शासन आते ही जनमत के दबाव से विधान परिषद ने निर्वाचन में मत देने का अधिकार बालिग उम्र के सभी लोगों को दे दिया है परन्तु यह बात अमल में नहीं लाई जा रही । निर्वाचनों को दिन पर दिन टाला जा रहा है । १९४७ ये १९५० या ५१ में जब तक निर्वाचन न हो जाये, शासन केवल सम्पत्तिशालियों के प्रतिनिधियों का ही रहेगा ।

‡ गाँधी जी कहते हैं—‘जर्मीदार और किसान का सम्बन्ध पिता-पुत्र का है ।

गान्धीवाद

नवयुग का प्रतीक, या युगान्त का ?

जीवन का उद्देश्य क्या है ? मनुष्यता के बाल्यकाल से ही यह प्रश्न मनुष्य को परेशान किये हैं। मनुष्य ने मानवता के उघाकाल से ही समय के सागर के किनारे बैठ इस समस्या के समाधान में कितने ही घरौदे बनाये और फिर सूख बढ़ने के साथ इन समाधानों की विरूपता से खिल्ल हो, उसने उन्हें मिटा भी दिया और सुदूर अशेय, अनन्त की ओर देख-देख वह फिर चिन्ता में मग्न हो गया ।

हमारे पूर्व-पुरुषों ने जिनके अग्राध ज्ञान को संसार में फैलाने के लिये हम आज भी व्याकुल हैं, अपनी सम्पूर्ण मानसिक और शारीरिक शक्ति केवल मृत्यु की समस्या को सुलझाने में व्यय कर दी । जीवन के उद्देश्य को मृत्यु की दृष्टि से ही उन्होंने देखा । चिर सत्य मृत्यु मनुष्य के उद्भव से पूर्व ही मुँह फैलाकर उसके मार्ग में आ खड़ी हुई और मनुष्य अपनी असंख्य कल्पना विकल्पना से भी उसे परास्त नहीं कर पाया ।

एक तरह से कर भी पाया । मृत्यु के भय के कारण ही मृत्यु का सब महत्व मनुष्य की दृष्टि में है । हमारे अृषियों ने कहा—मृत्यु कुछ नहीं, एक भ्रम है, आत्मा शाश्वत है । दूसरे आप्त पुरुषों ने निर्धारित किया, संसार ही भ्रम है, बन्धन है, इससे मुक्ति ही मृत्यु है । तब मृत्यु से डरना बयो ? मृत्यु तो सुख है ।

जीवन—मनुष्य का जीवन, व्यक्तिगत रूप से ही पूर्ण है, या वह केवल समाज के बृहत् शरीर का अंग मात्र है ? यह दूसरा प्रश्न है, जिसे मनुष्य बोध और संस्कृति के विकास के साथ सोचने लगा । जैसे स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रतिक्षण सहस्रों जीवकोष मरते रहते हैं और उनके स्थान में उनसे

अधिक उत्तम हो जाते हैं, इसी प्रकार मनुष्य-समाज के शरीर में व्यक्ति का मरना-जीना है। यदि इस दृष्टि से व्यक्ति और समाज के जीवन की व्यवस्था करने की बात सोचें तो शायद मृत्यु से परेशान होने की कोई ज़रूरत न मालूम होगी।

भारतीय दार्शनिक विचार-धारा का आधार सदा व्यक्तिगत रहा है। हमारी आध्यात्मिकता जीवन को व्यक्तिगत दृष्टि से देखकर ही सदा पनपी और विकसित हुई। जीवन को जीतने का उपाय हमने समझा है जीवन से उपराम हो जाना। जीवन को पूर्ण करने का उपाय हमने समझा है जीवन को संक्षिप्त करते चले जाना और जीवन में सन्तोष और समृद्धि प्राप्त करने का उपाय हमने निश्चित किया है इच्छा न करना, आवश्यकताओं को कम करते चले जाना। आवश्यकताओं को कम करते जाइए, ऊँची-ऊँची कल्पना कीजिए, (Plain living and high thinking) जीवन पूर्ण संतुष्ट और सुखमय हो जायगा।

हमारे देश की वर्तमान राजनैतिक और सामाजिक तनातनी की परिस्थिति में गांधीवाद उपर्युक्त प्रवृत्ति को ही सब समस्याओं का हल बताता है। हमारे देश और समाज को सदा परलोकाभिमुख ऋषियों की नीति पर चलने का अभिमान रहा है। आज भी हमारा यह अभिमान अद्भुत रहा है। आजदिन भी हमारे राजनैतिक संग्राम के सेनानी हैं हमारे राजनैतिक ऋषि महात्मा गांधी*। आज तक का इतिहास हमें बताता है कि धर्म और राजनीति मिल-कर अपना-अपना आधिपत्य चलाते रहे हैं बल्कि धर्म को राजनीति के अधीन होना पड़ा। हमारे देश में, हमारे आज दिन के राजनैतिक संघर्ष में, महात्मा जी के नेतृत्व में राजनीति को धर्म की शरण लेना आवश्यक हो रहा है।

धर्म शब्द का व्यवहार हम साधारणतः बहुत व्यापक अर्थों में करते हैं। यहाँ हम 'मज़हब' या 'रितिजन' के ही अर्थों में इस शब्द को ले रहे हैं। धर्म और राजनीति की तुलना करते समय हमें यह देखना पड़ेगा कि इन दोनों विचार-धाराओं का आधार क्या है ?

साम्प्रदायिक धर्म का आधार है परलौकिक विश्वास और उसका दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से वैयक्तिक है। व्यक्ति वैराग्य की चरम सीमा तक पहुँच

* यह लेख १९३८ में लिखा गया था। गांधी जी की मृत्यु के पश्चात् आज भी हमारे शासक-संगठन का दावा है कि देश का शासन गांधीवाद के ही अनुसार चल रहा है।

कर भी संतार और समाज की पूर्ण अवहेलना नहीं कर सकता। परन्तु मृत्यु के द्वार से हम जिस काल्पनिक लोक में पहुँचते हैं वहाँ समाज का दखल नहीं। वहाँ व्यक्ति अकेला ही जाता है—‘धर्मोहि गच्छति केवलम्’ उस लोक की कामना और कल्पना से प्रेरित होकर मनुष्य जिस धर्म का संचय करता है, उसमें वह नितान्त रूप से आत्म-हित की ही बात सोचता है। उसके इस आत्म-हित में किसी दूसरे का साभा नहीं रहता। यदि वह ‘आत्म-वस्तर्वभूतेषु’ व्यवहार करने के लिये मजबूर होता है तो वह समाज के कल्याण के प्रति व्याकुल हो कर नहीं, अपितु अपने निसर्ग जीवन को समाज में पग-पग पर ठोकर खाने से बचाने के लिये ही ऐसा करता है।

इसके विपरीत राजनीति का उद्देश्य समाज की इहलौकिक सफलता और समृद्धि है। राजनीति का आधार है, सामाजिक संगठन और मानव समूहों का परस्पर संघर्ष। उसका दृष्टिकोण सामाजिक है। धर्म का आधिपत्य राजनीति पर होने से एक विचित्र दोगली नीति का उत्पन्न होना अनिवार्य है, जिसमें राजनीति अवश्यमावी रूप में पंगु और निःशक्त हो जायगी। क्योंकि पारलौकिक धर्म केवल विश्वास की वस्तु है और राजनीति यथार्थ जीवन का संघर्ष।

गांधीवाद सुख्यतः संकेत करता है अहिंसाब्रत की ओर। मनुष्य-समाज में शायद ही कोई ऐसा विचारक हुआ होगा जिसने हिंसा का समर्थन उसके हेय अर्थों में किया हो। यदि हम भावुकता को किनारे रख यह देखने का यत्न करें कि हिंसा का अर्थ समाज में, राजनीति में और प्रकृति में क्या है? तो हम इसे पाप का समानार्थक नहीं पायेंगे। हिंसा का अर्थ कोष में जो हो—व्यवहार में तटस्थ होकर देखने पर हम इसे ‘अप्रिय’ का ही चोतक पायेंगे। स्थिरता और स्थापना के लिये किसी भी वस्तु का अपनी परिस्थिति से सम्बन्ध होना ज़रूरी है। परिवर्तन के समय इन सम्बन्ध-स्थापक तनुओं का दूटना आवश्यक है। यदि यह तनु न होते तो स्थिरता नहीं हो सकती थी और यदि यह तनु न दूटें तो परिवर्तन असम्भव हो जायगा। परिवर्तन के अभाव में प्रगति रुक जाने पर समाज का जीवन क्यों कर सम्भव हो सकता है? हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं कि गति और शक्ति समानार्थक है। जब इस गति और शक्ति का प्रयोग हमारे हितों और रुचि के विरुद्ध होता है, अप्रिय होता है तभी हम हिंसा अनुभव करते हैं। वैयक्तिक दृष्टिकोण से हिंसा की यही कसौटी हमें दिखाई देती है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी

इसमें अपवाद की गुंजाइश हमें दिखाई नहीं देती। इस यह भी कह सकते हैं कि हिंसा और अहिंसा के भेद की नींव हमारी न्याय और अन्याय की धारणा पर है। जो प्रयत्न या शक्ति का प्रयोग, हमारी समझ के अनुसार न्याय के समर्थन के लिये किया जाता है, वह अहिंसा है और इसके विपरीत हिंसा। गांधीवाद की इष्टि में हिंसा या अहिंसा की उपर्युक्त व्याख्या ठीक नहीं। बल्कि यही कहना होगा कि गांधीवाद में हिंसा और अहिंसा की निर्णायक कसौटी समाज हित नहीं, व्यक्ति की धर्म अनुभूति या धर्म-बुद्धि है। धर्म-बुद्धि से अभिप्राय कर्तव्य का विवेक नहीं, अपितु परलोकाभिमुख वैराग्य बुद्धि है।

(२)

हम यह नहीं कहते कि विशुद्ध राजनीति में केवल मारकाट और रक्तपात के अतिरिक्त कुछ नहीं। हम वह भी नहीं कहते कि संसार के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ नादिरशाह थे। मारकाट की पाशविक हिंसा प्रबृत्ति बर्बरता का शेष चिन्ह है। मनुष्य न पशु है और मशीन, जो केवल 'हासं-पावर' से काम लेगा। उसमें जो मनुष्य नाम का पदार्थ है, वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। युक्ति और प्रेरणा हमारी मौजूदा संस्कृति के सबसे अनुरूप साधन हैं। आधुनिक राजनैतिक व्यवस्था का आदर्श प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली और प्राचीन शासन-नीति के आदर्श शक्ति प्रयोग में आधारभूत भेद है। संस्कृति के विकास के साथ-साथ हम शब्द-शक्ति के प्रयोग से दूर हटते जाते हैं। उसे हम बर्बरता या समाज की मूढ़ता का चिन्ह समझते हैं। युक्ति और प्रेरणा की ओर मनुष्य-समाज की उत्तरोत्तर प्रवृत्ति उसके इसी आदर्श की ओर संकेत करती है और उसके विकास का प्रमाण है।

शब्द-शक्ति की जो हम विलकुल उपेक्षा नहीं कर पाते, वह कुछ अभ्यास दोष से और कुछ पारस्परिक आशंका और अविश्वास के कारण। हम यह दावा नहीं कर सकते कि आज दिन हम संस्कृति की चरम सीमा पर पहुँच गये हैं। हम विकास की एक मंजिल तक पहुँचे हैं, जिसमें हमारा साधन और नीति पूँजीवाद की प्रणाली रही है। पूँजीवाद की प्रणाली पर चल कर इस मंजिल तक पहुँचने के लिये वह आवश्यक था कि समाज भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विभक्त रहे। पूँजीवाद की उपयोगिता समाप्त हो जाने पर भी समाज उसे एक तरफ नहीं फेंक दे सका। श्रेणियों का वह भेद जो एक दिन उसके विकास के लिये ज़रूरी था, जो उसकी आन्तरिक प्रेरक शक्ति

थी, वही उसके मार्ग का श्रवणोधक हो रहा है। इस भेद के परिणाम स्वरूप समाज में एक तनातनी और संघर्ष की जलन फैल रही है, इसलिये हिंसा और बल प्रयोग भी दिलायी पड़ रहा है। आज तो हम फ़ासिज़म् और नाज़िज़म का रूप देख रहे हैं, यह समाज में आते परिवर्तन की भयंकर तड़प के दबाने का पूँजीबादी प्रयत्न है।

आचार्य कृपलानी ने अपनी पुस्तक 'हिंसा की पराजय' (The Conquest of Violence) में इस बात पर ज़ोर दिया है कि समाज में वैयक्तिक आचार का स्तर बहुत ऊँचा उठ गया है, अब उसे हिंसा के दोष से मुक्त हो जाना चाहिए। परन्तु अनुभव से हिंसा का अभाव कहीं दीख नहीं पड़ता। ध्यान में रखना चाहिए कि संसार को व्याकुल कर देने वाली हिंसा और तनातनी व्यक्तिगत न होकर श्रेणीगत भी हो सकती है। यदि उसके मूल में व्यक्ति की स्वार्थ-नुद्दि नहीं तो श्रेणियों का वैमनस्य मिट जाने पर वह स्वयं दूर हो जायगी।

श्रेणी-भेद या स्वार्थों का संघर्ष क्रायम रहते यह हिंसा मिट नहीं सकती। एक सर्व शक्तिमान अमर शक्ति की इच्छा पर संसार का संचालन निर्भर मान लेने पर और श्रेणियों का सूजन भी उसी शक्ति का वरदान समझ लेने पर हम समाज में चिर-शान्ति और चिर-अहिंसा के लिए सिवाय प्रार्थना करने के और कोई उपाय नहीं कर सकते। महात्मा जी का विश्वास है कि उस दैवी परोक्ष शक्ति ने 'उन्हें' एक उद्देश्य की पूर्ति के लिये संसार में भेजा है। भगवान के प्रतिनिधि की हैसियत से भगवान की व्यवस्था में परिवर्तन उन्हें कैसे स्वीकार हो सकता है? परन्तु समाज भगवान को पूछे बिना ही वैमनस्य और तनातनी के कारण श्रेणी भेद को मिटाने की ओर अग्रसर हो रहा है। इस प्रकृति का आधार और दृष्टिकोण है सामाजिक और उद्देश्य है सामाजिक समृद्धि। इसके विपरीत गांधीवाद की अहिंसा का आधार और दृष्टिकोण है वैयक्तिक और उद्देश्य, व्यक्तिगत चरम शान्ति और निर्वाण।

गांधीवाद परिस्थिति को देखकर या इहतौकिक लक्ष्य को लेकर नहीं चलता। गांधीवाद अपने लक्षणों से नीति (policy) नहीं। इसे नीति या पालिसी कहना गाली देने के बराबर है। वह एक आदर्श है, जो सांसारिकता से परे, पारतौकिक ध्येय को लक्ष्य कर चलता है। मई १९३८ में सम्प्रदायिक दंगों के अवसर पर कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों द्वारा राजशक्ति के प्रयोग से आतताइयों के दबाये जाने पर महात्मा जी को अनुभव हुआ था

कि कांग्रेस अर्हिंसापथ से हटती चली जा रही है। गांधीवाद की दृष्टि में देश में शासन का प्रयोजन सुव्यवस्था और समृद्धि की अपेक्षा अर्हिंसाब्रत को चरितार्थ करना ही है।

(३)

इतिहास में ऐसा पहले कभी न हुआ हो सो बात नहीं। महात्मा बुद्ध ने भी इस अर्हिंसा का प्रचार किया था। निर्वाण को ही लक्ष्य कर वह अर्हिंसावाद उस समय खूब फैला। परन्तु सामाजिक संघर्ष में कदम न जमा सकने के कारण वह अर्हिंसा समाज की नीति न बन सकी। केवल व्यक्ति को आध्यात्मिक और चरम शांति का आश्वासन देकर रह गयी। गांधीवाद भी बुनियादी तौर पर वैयक्तिक साधना की चीज़ है। इस विज्ञान के युग में, भौतिकवाद के युग में अपार्थिव, परोक्ष, दैवी शक्ति से प्रेरणा ग्रहण कर राजनीति कहाँ तक चलेगी ? गांधीवाद का भविष्य क्या होगा ? इस प्रश्न का उत्तर आज दिन की कांग्रेसी सरकारों का रूप और व्यवहार है।

आज जो गांधीवाद की प्रतिष्ठा शेष है, वह इसके सिद्धान्तों की तर्क-संगति के बल पर नहीं। वह है महात्माजी के आर्कषक और मोहक व्यक्तित्व की स्मृति के कारण।

परिस्थितियों ने बुद्ध, ईसा और मुहम्मद को गढ़कर तैयार किया था। मानव समाज का मस्तिष्क अपनी अविकसित अवस्था में छुटपटाकर, अज्ञेय क्षेत्र में हाथ फैलाकर, सहारा ढूँढ़ने का प्रयत्न करता रहा है। उसने विश्वास से सहारा पाया, परन्तु ज्यों-ज्यों ज्ञान का प्रकाश अज्ञेय के लोक में बुसा और अज्ञेय की सीमा को संकुचित करने लगा, त्यों-त्यों उसके यह सहारे छाया की तरह बिलीन होने लगे। गांधीवाद भी अपेक्षाकृत विकसित विज्ञिस आधुनिक संस्कार की कल्पना है, एक आश्रय ढूँढ़ने की छुटपटाहट है। अपार्थिव लोक में टेक पाने की साध इस द्रुतगामी युग में कितने दिन फलवती हो पायेगी ? आध्यात्मवाद और पूँजीवाद की पुरानी रुद्धियों और संस्थाओं को जो सहारा गांधीवाद अधुनिक अध्यात्मवाद का रोशन पोतकर दे रहा है, वह कितने दिन टिक सकेगा ? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर है कि गांधीवाद नवयुग का प्रतीक है, या युगान्त का ?



जीवन का आधार

"Man does not live by bread alone"

बाइबिल में कहा है, मनुष्य केवल भोजन से ही जीवित नहीं रह सकता। यह बाक्य आध्यात्मिक उद्देश्य से कहा गया है, परन्तु मनुष्य के साधारण सांसारिक जीवन क्रम में भी वह उतना ही सत्य है जितना कि मसीह की दृष्टि में आध्यात्मिक दृष्टि से था।

आत्मा परमात्मा की चर्चा मनुष्य अपने आत्मिक या मानसिक विकास के अनुपात से सदा ही करता रहा है और न जाने कब तक करता रहेगा। जो लोग प्राचीन अन्ध विश्वास से खीभ कर आत्मा परमात्मा की धारणा के विरुद्ध जिहाद करते हैं, वे भी केवल खा-पीकर जीवन को परिपूर्ण समझने का दावा नहीं कर सकते। भौतिक तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त उन्हें भी कुछ और चाहिए। आत्मा-परमात्मा में अन्ध-विश्वास या मानसिक दासता के विरुद्ध जिहाद करने के लिये वे आतुर क्यों हो उठते हैं। ऐसा न करने से सर में दर्द या पेट में मरोड़ तो उठता नहीं, जोड़ों के दर्द की भी यह दवा नहीं। फिर भी पेट भर खा पीकर नरम विस्तर पर उन्हें चैन की नींद क्यों नहीं आती। मानसिक बेचैनी क्यों होती है।

शारीरिक आवश्यकताओं से परे, इस स्थूल जगत से परे कुछ ऐसा है अवश्य जो मोटी नज़र से प्राण रक्षा के लिये अनिवार्य न जान पड़ने पर भी अनिवार्य ही है। जीवन के लिये कुछ परमावश्यक भावना है ज़रूर। और यह जो स्थूल जीवन के परे सूक्ष्म परमावश्यक भावना है, सम्भवतः इसे हम 'मनुष्यता' की एक परिभाषा कह सकते हैं।

मनुष्य में हँसने की, अपने आपको भूल जाने की इच्छा उसकी मनुष्यता का एक झास अंग है। मनुष्येतर प्राणियों में भी ऐसी भावना है तो ज़रूर पर वह इतनी कम विकसित है कि हम लोगों को उसका स्पष्ट अनुभव नहीं

हो पाता। वह उनके जीवन में अत्यन्त गौण है। उनके जीवन-रक्षा के साधन इतने अविकसित हैं कि जीवन-रक्षा में ही उनकी सम्पूर्ण शक्ति व्यय हो जाती है। पशुओं में जीवन की विपुल शक्ति का उच्छ्रवास (Exuberance of superfluous energy) उतना प्रत्यक्ष और प्रकट नहीं होता जितना कि मनुष्य में।

जीवन की शक्ति का उच्छ्रवास मनुष्य की आदिम अवस्था में भी इतना ही स्पष्ट था जितनी की बीसवीं सदी की अत्यन्त सभ्य अवस्था में है। निःसन्देह वह इतना परिष्कृत न था। हमारे जहाँगीर और वाजिद अली शाह की रंग-सभाएँ, ओपेरा, नाशियोनालपारी के तमाशे, अमेरिकन जैज़ और जलू तथा सुहाली लोगों का सुरा-पान कर अग्नि स्तूप के चारों ओर नृत्य करना भिन्न-भिन्न चीज़े नहीं हैं। जीवन-रक्षा की आवश्यकताएँ हमें जितना जितना व्यस्त करती हैं, जीवन-शक्ति के उच्छ्रवास को तृप्त या प्रकट करने की आवश्यकताएँ हमें उससे कम व्यस्त नहीं करतीं।

‘मद’ को सभी धर्म गुरुओं ने ‘धर्म-ज्ञान’ का धातक कहा है परन्तु ‘मद’ मनुष्य के विकास का उतना ही आदिम अंग है जितना कि ‘धर्म-विश्वास’। जब मनुष्य ऊंचा के बालसूख, सुनील आकाश और भयंकर आँधी के समुख दरडबत कर अपने कल्याण का बीमा कर लेने का विश्वास कर लेता था, तब भी ‘मद’ उसके साथ था। मालूम होता है ‘मद’ और ‘धर्म-विश्वास’ मनुष्य जीवन के एक समान आवश्यक अंग हैं।

‘धर्म-ज्ञान’ और ‘धर्म-भाव’ का आविष्कार मनुष्य ने शोक, संताप और भय से बचने के लिये किया है। ‘मद’ का आविष्कार उसने किया है भय को भूलाकर सुख और आहाद की अनुभूति के लिये। कँक्क कुछ नहीं। अभिप्राय और लक्ष्य है—दुख की अनुभूति से बचना और सुख की अनुभूति की चाह। धर्म निवारक (negative) और मद-पोषक (positive) साधन हैं। जिन दो घटनाओं ने पहले-पहल ‘धर्म’ और ‘मद’ का आविष्कार किया होगा, वे मनुष्य-समाज की परम कृतज्ञता की पात्र हैं।

दिवाली या ईस्टर धार्मिक त्योहार है, परन्तु उसमें भी ‘धर्म’ तो रह जाता है ओट में और मुख्य रूप से आगे आता है, आनन्दोलतास ! यही हाल क्रिसमस का है। ईसाई देशों में क्रिसमस के समय ‘मद’ के भाग का जो प्रवाह बहता है और ‘बाल’ नाच का जो बर्बंडर उठता है, उसमें बेचारे मसीह का जन्म बिलकुल छब जाता है।

मुसलमानों का मुहर्म सरासर गम और आहोजारी का दिन है लेकिन उस दिन भी जीवन शक्ति का उच्छ्वास कितना विकट और प्रत्यक्ष होता है ? उस दिन गम इतना प्रबल नहीं होता जितना जोश ! किसी के 'धर्मभाव' और 'धर्म-अभिमान' को चोट न पहुँचाने के लिये, डरते-डरते कहूँगा कि इस 'हाय हुसैन' कहकर पीटने में, छाती से लहू बहाने में भी एक उन्माद का संतोष है ।

हिन्दुओं के त्योहारों का कहना ही क्या । मानों हमेशा आनन्द में पागल हो जाने का बहाना ढूँढते फिरते हैं । होली को ही लीजिए । होली के दिन तो जो कुछ न हो जाय वही ग़नीमत । भारत में होली के अवसर पर जीवन-शक्ति का जितना उत्कट उच्छ्वास होता है, मेरे विचार में उसे यदि नियमित रूप से संचित कर संसार के बड़े से बड़े साम्राज्य की जड़ में लगा दिया जाय, तो वह साम्राज्य की अडिग चट्टान को डाइनामाइट की तरह उड़ा देगी ।

मनुष्य आनन्द में पागल होकर अपनी शक्ति का व्यय क्यों करता है ? शरीर को पुष्ट करने के लिये । व्यायाम करने में भी मनुष्य अपनी शक्ति को व्यय करता है । शारीरिक शक्ति के व्यय से शरीर सशक्त होता है, उसी प्रकार आनन्द में उच्छ्वासित होकर जीवन-शक्ति बहाने से जीवन-शक्ति और जीवन के उच्छ्वास बढ़ते हैं । इसीलिये राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिये नाच, गान, मेले तमाशे नाटक, दंगल आदि बहुत ज़रूरी हैं । वे समाज में जीवन-शक्ति उत्पन्न करने वाली प्रनियाँ हैं । हमारे मनिदर, मस्जिद और धर्म स्थान राष्ट्र के शरीर में नासूर हैं, जो उसकी स्वाभाविक उन्नति को रोक कर उसे सुस्त और निष्प्रभ बनाने की चेष्टा करते हैं । 'गांधील-द-अनजियो' ने एक जगह लिखा है—'एक विशाल गिरजाघर की अपेक्षा एक कूड़े गोबर का ढेर अधिक मूल्यवान है । उससे खेत की शक्ति तो बढ़ेगी ।'

मतलब यह है कि हमारा आनन्दोच्छ्वास हमारी जीवन शक्ति का एक सहायक स्रोत है । वह हमारे जीवन-प्रवाह में शक्ति को बढ़ाने का एक उपकरण है, परन्तु हमारे धर्मशास्त्र आनन्दोच्छ्वास को नरक का द्वार बताते हैं । नाच, गाना, थियेटर, सिनेमा, दंगल, मेले आदि इनकी वृष्टि में पाप हैं परन्तु मैं समझता हूँ और हर एक समझदार आदमी मानेगा कि यह सब जीवन-शक्ति के छोटे छोटे स्रोत हैं । यह समाज के शरीर में जीवन-शक्ति उत्पादन करने वाली प्रनियाँ हैं ।

आज होली है । जेल की होली ! आज मेरी जेल की छठी होली है । मैं त्योहारों के दिन प्रायः निष्प्रभ हो जाता हूँ और होली के दिन तो खास

तौर पर ! बजह क्या है ? ऐसी बजहों को खोल कर जाँच लेना, उनके तलस्तर की पड़ताल कर लेना बहुत कठिन समस्या है ।

आज होली के दिन जेल खास देखने की चीज़ है । क्रैदियों को आज उत्सव मनाने की और आनन्द मनाने की मनाही है । इससे उनके शोक की सीमा नहीं । मनुष्य का स्वाभाविक अधिकार भी उनसे छीन लिया गया है । आज जेल पर कैसी विरुपता छा रही है ।

लेकिन इतने पर भी गमक-गमक की आवाज़ आ रही है । कहीं तसल्ला बज रहा है, कहीं मटका खटक रहा है । हँसने-गाने से, आनन्द मनाने से सज्जा मिलेगी, लेकिन इस वृत्ति को रोकना कितना कठिन है ? आनन्द का आकर्षण कितना विकट है ?

आनन्द और जीवन में प्ररक ही कितना है ? आज के दिन यदि क्रैदियों को खाना रोक कर उन्हें गाने, बजाने और हँसने की इजाजत दे दी जाय तो वे बहुत खुश होंगे ।

इसलिए तो कहता हूँ—मनुष्य के जीवन का आधार केवल भोजन ही नहीं ।

—होली, १६३६



समाज का चौखटा चर्चा रहा है

एक सर्वशक्तिमान भगवान् हैं जिनकी एक चुटकी बजाने से इस सृष्टि की रचना हो जाती है, दूसरी चुटकी बजाने से विनाश। उन्हीं लीलामय ने एक दिन ब्रींगार्डि लेकर विनोद की इच्छा से इस जगत की देखभाल करने के लिये, इसका स्वामित्व करने के लिये, अपने ही रूप में मनुष्य की रचना कर दी और कहा—“बेटा, यह संसार तेरे लिए है !”

भगवान् ने मनुष्य के लिये एक कार्यक्रम और सिलसिला भी गढ़ कर रख दिया, जिसमें भूल-चूक और परिवर्तन की गुंजाइश नहीं। इस सृष्टि के विधान में भूल निकाल कर परिवर्तन की तजवीज पेश करे, ऐसी हिम्मत किस मनुष्य में है ?

और, भगवान् द्वारा अपनी लीला को पूर्ण करने के लिए बनाये हुये इस मनुष्य का समाज । यह समाज की माला भी उसी विसाती ने पिरोथी है, जिसने कि इस माला के मनकों को गढ़ा है। इस माला के मनकों में जो क्रम है, वह उसी विसाती की इच्छानुसार है। कोई बड़ा है तो कोई छोटा ; कोई बीच में कफता है तो कोई अगल-बगल ! इस व्यवस्था में परिवर्तन करना भगवान् की बुद्धि और न्याय का तिरस्कार है।

—यह हैं उपदेश, जो मनुष्य के धर्म-ग्रन्थ और धर्म-गुरु देते आये हैं। धर्म-गुरु आरम्भ से ही समाज को चौखटों में जकड़ता आया है। जब समाज ने किसी एक चौखटे में करवट बदली, चौखटा चर्चाया कि समाज के रक्षकों ने, धर्मगुरुओं ने दूसरा चौखटा कील-काँटे लगाकर उस पर बैठा दिया।

इन चौखटों को बदलते देख एक दफ़े मनुष्य सोचने लगता है—वह चौखटा कैसा होगा जो भगवान् ने पहले पहल मनुष्य के इस समाज पर जड़ा होगा !

स्वाभाविक कौतूहल

उस सर्वज्ञ और शक्तिमान की अद्भुत लीला से इस संसार के अजायब-घर में हम आज भी मनुष्य के समाज को तरह-तरह के चौखटों में जकड़ा हुआ पाते हैं। एक समाज है इंगलैण्ड के टापू में रहने वाला, दूसरा है रूस के देश में बसने वाला, तीसरा हमारा अपना ही समाज और फिर देखिए अप्रीका के जंगलों में पत्तों से तन ढाँप कर मनुष्य के शव को भूनकर खाने वाला और कुलपति की आज्ञा से बर्छा ले नाचने वाला समाज और फिर देखिये आस्ट्रेलिया का समाज जो जंगली पुरुष के पौरुष की उपेक्षा कर 'मां' को ही चारों ओर से घेर कर चलने वाला स्त्री-शासित समाज है !

और फिर यह रोज़-रोज़ आँखों के सामने आने वाले परिवर्तन ! एक रोज़ हम क्या थे ? कौतूहल बुरी चीज़ है ! इसी कमज़ोरी से 'आदम' ने अदन के बाग में प्रिश्टों के हजार समझाने पर भी गेहूँ को चक्का ही तो लिया ! फिर जो मुसीबत उसकी वंश परम्परा पर पड़ी, वह वही जानती है ।

इन्सान का कौतूहल न माना । उसने इतिहास की धुंधली दूरबीन उठाकर भूत की क्षीण पगड़रड़ी की ओर देखना शुरू किया और क्या देखा ?

आदिम समाज

देखा—एक दिन स्वर्ण-युग था ! मनुष्य का समाज मुख और शान्ति से दिन बसर करता था । न कोई बन्धन था न कोई क्रेद । मनुष्य का समाज हिरनों या हाथियों के गोल की तरह घूमता-फिरता था । जहाँ पके फल देखे, तोड़ खाएँ; घना वृक्ष देखा, छाया में रात और बरसात गुजार दी पर मौसम खत्म होने पर अडचन आती थी । उसने फल तोड़ कर दूसरे दिन के लिए रखने शुरू किये । पहिले लड़ या पत्थर मारकर जानवर का शिकार कर लेने से गुजारा हो जाता था । शिकार को शिकारी से मुहब्बत नहीं, किसी दिन मिला, किसी दिन न मिला । आदमी को भी अक्रत आयी । उसने जानवर को पालना शुरू किया और उसके बच्चों को खाना । जानवर के बच्चे के साथ जानवर के दूध के प्याले भी उसे मिलने लगे ।

वृक्ष से झड़कर गिरे फल के बीज को उगते देख आदमी ने सोचा, क्यों न बढ़ुत से पेड़ बो दिए जाँय फलों की कमी न रहे । इससे आरम्भ हुआ खेती का । खेती हुई, तो खास आबादी भी हुई और खानाबदोशी खत्म हो गई ।

जब समाज या क्रवीले खेती के लायक जमीन को लेकर बसने लगे उससे पहिले ही समाज या क्रवीले में, जिसके हाथ ताकत होती थी, उसका लोहा थोड़ा बहुत दूसरों को मानना होता था। एक आदमी या औरत सरदार बन जाता था, परन्तु जिसने जितनी मेहनत की उसका उतना फल पाया। बहुत हुआ धमकाकर दूसरे से फल तुड़वा लिया। बल था केवल अपने शरीर का या दोस्तों का।

पर जब खेती शुरू हुई, तो नए मुल खिलने लगे। क्रवीले में संतानें हुईं, क्रवीले की संख्या बढ़ी। खाने वाले अधिक हो गये, परन्तु जमीन उतनी ही रही। अब क्रवीले में गुजारा होता न देख लोग फूट-फूट अलग-अलग बसने लगे। उन्होंने अपनी-अपनी जमीन अलग-अलग जोती। ऐसे बसने वाले लोगों के गाँव बने। पर गाँव की जमीन से भी जब गाँव वालों का गुजारा चलना मुश्किल हो गया, तब एक गाँव दूसरे गाँव से छीना-भपटी करने लगा। लड़ाई में जो दल हारा, उसके आदमी कैद हो गये। इन कैद हुए आदमियों को मुफ्त में खिला-पिला कर मोटा करने से क्या कायदा होता ? इससे तो यही अच्छा था कि उन्हें भून कर दो दिन जश्न मनाया जाय !

लेकिन एक दिन मुरगी का पुलाव बना लेने की अपेक्षा रोज़-रोज़ अरण्डों का नाश्ता करना बेहतर है। एक रोज़ ही कैदियों को खा डालने से यह अच्छा समझा गया कि उन्हें जिन्दा रखा जाय और उनसे कस कर मेहनत करायी जाय। गुलाम पैदा हो गये।

दासता का युग

गुलाम क्या हुए, समाज का रूप ही बदल गया। पहले पेट भरने के लिये दूसरे गाँव पर हमला होता था। अब गुलाम पकड़ने के लिये ही होने लगा। पहले अपने हाथ से काम करके ज़रूरत पूरी होती थी, अब अगर आपके पास गुलाम हैं तो मसनद पर बैठिये, गुलाम आपका सब काम करेंगे। पहले आदमी में जितनी शक्ति थी उससे वह अपना पेट भर पालकर थक जाता था, अब उसके थकने का सबाल नहीं रहता। इसलिए उसे पहाड़ लोटने और दरिया पाटने की हिम्मत सुरक्षने लगी। मीलों से सुन्दर पत्थर ढो-ढोकर झैरान, रोम, मिश्र और भारत में भव्य इमारतें खड़ी होने लगीं और गुलामों के मालिक और ज़रूरी काम न होने से आकाश में बुद्धि के घोड़े दौड़ाने लगे।

सितारों की चाल के हिसाब लगाये गए। समय काटने के लिये बाँध में तार बाँध कर बीणा बनाई गई और उस रूपवती दास लड़ी को—जो ज़मीन खोद और पथर तोड़ कर उतने आनन्द की सुषिटि न कर सकती थी जितना आनन्द वह स्वामी के सामने कमर में बल दे देकर और दुमक-दुमक नाचकर उसकी आँखों को रिभा कर दे सकती थी, वह हुक्म हुआ—‘तुम नाचो’!

उस सुन्दरी के हाव-भाव ताल पर संगीत चला। इस संगीत ने मालिक के कानों को अमृत से भर दिया! उस संगीत में, न केवल कानों को तृप्त करने वाले, परन्तु हृदय को गुदगुदा देने वाले वर्णन, व्याख्या और संकेत पैदा हुए। ऐसे चतुर लोगों को जो स्थूल पदार्थ के बिना शब्दों से ही मोहक चित्र बना दे सकते थे, कवि, महाकवि और परिषद की उपाधि दी गयी।

समाज में कला और विद्या का प्रसार हुआ और फिर पेट भरे ठाली बैठे मनुष्य ने सोचा कि यह अन्धड़, यह विजली की कड़क, नदी, समुद्र तो मेरे काबू नहीं आ सकते, मेरी रक्षा उसी को रिभाने में है जो इहाँ चलाया करता है।

फिर वह सोचने लगा—इस सुन्दर संसार, समाज को छोड़ कर हाय एक दिन मर जाना होगा।

चतुर पुरुषों ने कहा हम तुम्हारे धर्मगुरु हैं! डरने की बात नहीं। एक देश है जो इससे भी सुन्दर है। तुम जिस तरह हमारे कहे अनुसार, दान-पूजा कर छोटे-मोटे संकटों से बचते रहे हो, अगर उसी तरह हमारा कहना मानो तो उस देश में हम तुम्हें पहुँचा सकते हैं! हम तुम्हारे लिये उस देश के मालिक तक पहुँचने का प्रबन्ध कर देंगे। तुम इस संसार में हमारे लिये छोटी-मोटी ज़रूरतें पूरी करने का प्रबन्ध किये जाओ!

कुछ के पास धन अधिक था, कुछ के पास कुछ भी नहीं। भूखे मरने वाले पुराने क्रायदे के मुताबिक अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिये छीना-भस्टी करने लगे तो धनवानों ने कहा—यह पाप है। ऐसा क्रायदा बनाया गया कि गड़बड़ न हो, लड़ाई-रुगड़ा न हो। गुलामों से कहा गया—देखो, तुम्हारे मालिक तुम्हारे पिता समान हैं, इनके लिये जान तक दे दो। इन्हें प्रसन्न करोगे तो तुम्हें इस जन्म में न सही, अगले जन्म में सुख मिलेगा और अगर तुमने मालिक की आज्ञा न मानी तो यह जन्म तो तुम्हारा गया

ही, अगला भी जायगा । न्याय के अवतार सुक्रात ने कहा—दास प्रथा सम्मता के विकास के लिये आवश्यक और न्याय है ।

परिवार का विकास

युद्ध होते ही रहते थे । इनमें स्त्री के लिये मर्द के समान लड़ सकना कठिन था । लेकिन जो मर्द मारे जाते थे उनकी कमी को पूरा स्त्री ही कर सकती थी । वह समाज में ही समाज की उत्पत्ति का स्रोत थी । इसलिये निश्चय किया गया कि स्त्री को मार डालना हानिकारक है, और पाप है । इसके अलावा, जैसे अन्न प्राप्त करने के लिये ज़मीन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार मनुष्य की खेती उत्पन्न करने के लिये स्त्री रूपी ज़मीन की ज़रूरत होती है । इसलिए धर्मशास्त्रों में स्त्री को 'चेत्र' या खेती का आदर सूचक नाम दिया गया ।

जब तक व्यक्तियों की निजी सम्पत्ति नहीं होती थी, स्त्रियाँ समाज की या क़बीले की साझी सम्पत्ति रहती थीं । कुलों की निजी सम्पत्ति होने लगी तो स्त्रियाँ कुलों की सम्पत्ति होने लगीं और बाद में पति देवता की ।

ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, यह सब ताङ्न के अधिकारी ।

अपनी सम्पत्ति को पीटने में कुछ बुराई नहीं । पुराने समय में रूस में जब पिता अपनी लड़की पति को सौंपता था तो एक हंटर भी बक्त ज़रूरत के लिये साथ देता था ।

X

X

X

परन्तु समाज का शरीर बढ़ने से यह चौखटा चर्नने लगा । दासों ने बगावते शुरू कीं । मालिकों ने कहा—काम हो न हो, दासों को ठाले बैठे लिलाते जाओ, यह कौन न्याय है । हम ज़मीन देते हैं, यह हमारी ज़मीन को जोतें बोयें, और अपना भी पेट भर लें । पैदावार हमें दें । धर्मांचार्यों और कानून बनाने वालों ने कहा—ठीक है, मनुष्य-मनुष्य सब बराबर । किसी को दास बना कर रखने का दूसरे व्यक्ति को क्या अधिकार ?

बड़े-बड़े गाँव बसे जो बड़े-बड़े आदमियों की सम्पत्ति थे । इन बड़े आदमियों को सर्दार, सामन्त ज़मीदार या ताल्लुकेदार के अधिकार थे । यह राजा की छत-छाया में छोटे राजा हां गये । इनकी ज़मीन में बसने वालों को कहा गया तुम सरदार की प्रजा हो, इस ज़मीन को छोड़कर तुम कहीं जा नहीं सकते ।

सामन्त युग

गुलामी के ज़माने में, जो गुलाम मालिकों के लिये बढ़िया मलमले और कीमत्वाब बुना करते थे और इतर खीचा करते थे वे स्वतंत्र हो दूकानें करने लगे। पहले इन्हें रोटी भर मिलती थी, अब लगे दाम लेने। गाँव-गाँव फिर यह सामान बेचते फिरते थे। कुछ समझदार लोग इनसे माल खरीद दूर देशों में जा कीमतें बढ़ा-चढ़ा कर माल बेचने लगे। इन चीजों को खरीदने के लिये बड़े आदमियों को जरूरत हुई ज्यादा रुपये की। वे अपनी प्रजा को निचोड़ने लगे। जब उससे पूरा न पड़ा, तो जर्मीदारियाँ विकने लगीं और साथ ही प्रजा भी विकने लगी। परन्तु दासों की तरह नहीं जैसे जमीन में लगे पेड़ जमीन के साथ विक जाते हैं, उसी तरह। व्यापारियों को जरूरत थी मजदूरों की और राजा को सेना में सिपाहियों की। जर्मीदार अपनी प्रजा को जमीन छोड़ कर जाने न देते थे। समाज का चौखटा चर्चाने लगा।

निश्चय किया गया कोई किसी को बाँध कर नहीं रख सकता मनुष्य मनुष्य सब बराबर हैं। सब को हक है, चाहे जहाँ काम करे और अपना पेट भरे। समानता, स्वतंत्रता और न्याय के नारे गूँजने लगे। धमाचार्यों और न्याय के परिणामों ने कहा, भगवान का आदेश भी तो यही है।

इधर समाज के चौखटे में यह डावाँडोल देख पानी ने भाष बन कर संसार को हिलाना शुरू कर दिया। इंजन चलने लगे। सभ्यता ने कहा—मनुष्य को दास न बनाने दोगे, हम लोहे को दास बनायेंगे। आदमी का काम मशीन करेगी। दास प्रथा की जरूरत क्या?

श्रौद्योगिक क्रान्ति

कलें और कारखाने खुल गये। मनुष्य शहद की मक्खियों की तरह शहरों में बसने लगे। गाँव से लोग दौड़-दौड़ शहरों को आने लगे। दिन भर काम किया और टके वसूल किये। क्या अच्छा तरीका है! मालिकों ने कहा—दिन भर सौ आदमी से काम कराया, आधे मुनाफ़े में सबको टर-काया। क्या अच्छा तरीका है!

मनुष्य ने सोचा, प्रकृति की सबसे बड़ी देन स्वतंत्रता ही है! और वह स्वतंत्रता उसे मिल गई। स्वतंत्रता से उसने एक दूसरे का मुकाबिला शुरू कर दिया। छोटे कारखाने से बड़े कारखाने खुलने लगे। बड़े कारखानों के सहे माल के सामने छोटे कारखानों का माल महंगा पड़ा, वे उजड़ गये।

हाथ से काम करने वालों का तो कहना ही क्या ? वे अपना हथौड़ा बसूला और करधा बेच कारखानों में नौकरी करने चले । एक बहुत बड़ी श्रेणी ऐसे लोगों की पैदा हो गयी, जिसके पास सिवाय दो हाथों के कमाने का और कोई साधन नहीं रह गया । इधर एक मशीन, जो पहले तीन चार आदमी का काम करती थी, अब तीस-चालीस का काम करने लगी । मज़दूर श्रेणी खूब बढ़ने लगी । यह श्रेणी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, चाहे काम करे, चाहे हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहे । परन्तु पेट ! वह इन्सान के ऊपर बड़ा बन्धन है । वह नहीं बैठे रहने देता ।

पेट भरने के लिये जब तक साधन न हों वह भर नहीं सकता । जब यह पेट भरने और तन ढाँपने के लिये तैयार सामान की कीमत पैदा नहीं कर सकते, तो मिल-मालिक और व्यापारी इन्हें व्यों पालने लगे । जब यह लोग खरीद नहीं सकते, तो मालिक को पैदावार कम करना पड़ती है । इसका मतलब होता है, कुछ और आदमी बेकार । ज्यों-ज्यों बेकारी बढ़ेगी, त्यों-त्यों खपत कम होती जायेगी । ज्यों-ज्यों खपत घटेगी पैदावार कम करनी पड़ेगी बेकारी बढ़ती जायगी और इस सबका मतलब होगा—करोड़ों का नंगा, भूखा रहना ।

पूँजीवाद का दिवालियापन

अब फिर समाज का चौखटा चर्चाने लगा है । आज समाज के जीवन में व्यक्तिगत काम का महत्व कम रह गया है, जो काम होता है सम्मिलित तौर पर होता है । कील, कांटा तक बनाने के लिये सैकड़ों आदमियों को एक साथ हाथ और सिर जुटाने पड़ते हैं, परन्तु लाभ जाता है प्रायः किसी एक ही आदमी की जेब में । मालिक रहता है एक ही आदमी, और वह आदमी कारखाने और मिल को चलाता है केवल अपने मुनाफे के लिये ।

धन पैदा करने के सब साधन बहुत थोड़े व्यक्तियों के हाथ में हैं । वे पैदावार के चक्र को अपने मुनाफे के लिये चलाते हैं । समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये ।

एक और गोदामों में करोड़ों रुपये का माल भरा पड़ा है । १६३८-३८ में गेहूँ की कीमत चढ़ाने के लिये पूँजीवादी अमेरिका में गेहूँ को जलाया और समुद्र में फेंका गया था । दूसरी ओर लोग भूख से बिलबिलाते रहे । लोग सर्दी-गर्मी में कपड़ा न होने से मरते हैं ।

बाजारों में शोर मच रहा है—खरीदार नहीं, खपत नहीं ।

जनता में शोर मच रहा है, रोटी नहीं कपड़ा नहीं।

माँग भी है, सामान भी है, परन्तु दोनों बातें समाज के चौखटे में ठीक नहीं बैठतीं। वह चर्चा रहा है। इसके लिये अजीबोज़रीब उपाय सोचे जाते हैं। दूसरे देशों के बाजारों पर कब्ज़ा करो, उन देशों में अपनी पैदावार खपाओ। हो सकता है, कुछ समय के लिये किसी देश का गुज़ारा लूट-पाट से चल जाय, पर कब तक?

आखिर कोई देश दूसरे का शिकार क्यों बने? और फिर संसार के बढ़े-चढ़े सभी देश दूसरे देशों को नोचें-खसोटेंगे, तो लाश पर कुत्तों की तरह खुद भी तो लड़-लड़कर मरेंगे।

आज संसार में मनुष्य-समाज की यही हालत है। मनुष्यों के आराम और सुख बढ़ाने के बजाय आज मेहनत की जाती है और रुपया खर्च किया जाता है, मनुष्य-समाज का संहार करने के लिये। पिछले वर्षों में इंगलैण्ड ने अरबों रुपया गोला, बारूद और तोप तैयार करने में खर्च किया—जर्मनी ने उससे अधिक, तो फ्रांस ने भी अपने सामर्थ्य से अधिक और अमेरिका ने सबसे अधिक! आखिर बताइए, इस अरबों ही अरबों रुपये से, जिसे दुनिया ने मेहनत कर पैदा किया था, उससे मनुष्य का नाश कर देने के उपाय और साधन तैयार किये गये? ……समाज को इससे क्या लाभ हुआ?

मालिक ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि मेहनत करने वाले जिस हालत में हैं उसी में बने रहें। मेहनत करने वाले कोशिश कर रहे हैं कि मेहनत करने के लिये तैयार रहने पर भी उन्हें मेहनत करने के अधिकार से वंचित न किया जाय और मेहनत करने पर भी वे भूखे न रहें। कशमकश, तनातनी और संघर्ष जोड़ पकड़ रहा है। समाज का चौखटा चर्चा रहा है।


धर्म-गुरु और आचार्य कहते हैं कि भगवान् और प्रकृति ने इस चौखटे को ऐसा ही बनाया है, इसे तोड़ने की कोशिश करना आत्मनाश है। नादानी है। परन्तु जिनकी गर्दनें दब रही हैं, उन्हें ऐसे उपदेशों को समझने लायक होश ही नहीं। वे मुसीबत से पागल हो रहे हैं।

नयी व्यवस्था की ओर

बहुत दिन से समाज का चौखटा चर्चा रहा है। इस चर्चाहट को सुनकर एक आदमी ने कहा कि यह चौखटा बदल देना चाहिए। उस आदमी का नाम मार्क्स था। मार्क्स ने कहा—

सामाजिक व्यवस्था का नया चौखटा ऐसा हो कि जितने काम साझी मेहनत से किये जायें उनका फल भी लोग साझे में बाँट लें। उत्पत्ति के साधनों को कोई अकेले पैदा नहीं करता, वे सबके साझे हों। देशों को यों बाँटकार आपस में लड़ना फिजूल है। सब देश ऐसे मिल कर रहे जैसे एक देश के अनेक शहर या गाँव मिलकर रहते हैं उनके हितों में भेद नहीं होना चाहिए। लोगों ने हिसाब लगा कर देखा है कि संसार में इतनी पैदावार होती है कि किसी के भूखा मरने की ज़रूरत नहीं, परन्तु वह ठीक तरह से बँटती नहीं। वजह यह कि मालिक व्यक्ति का या मालिक श्रेणी का स्वार्थ ऐसा होने नहीं देता। सब दुश्व दूर हो जायें यदि समाज की प्रधानता हो जाय, यदि व्यक्ति के स्वार्थ को समाज के ही कल्याण की बात सोची जाय। यह ज़माना है पूँजीवाद के रूप में व्यक्तिवाद का, हमें ज़रूरत है समाजवाद की।

इम कहते हैं—पूँजीवाद के चर्चाते हुए चौखटे की जगह अब एक नये चौखटे की ज़रूरत है।



स्वराज्य और श्रेणी-समस्या*

प्रत्यक्ष में इस समय हमारे देश का बातावरण विशेष द्वुध नहीं दिखायी देता। जनता जेल जाने की तैयारी नहीं कर रही है। जो जेल में थे, जिनके निकट भविष्य में छूट जाने की कोई आशा नहीं थी, वे भी बाहर आ रहे हैं और जो अभी तक बाहर नहीं आ पाये, उनकी प्रतीक्षा में जनता उतावली हो रही है। वरिष्ठ ब्रिटिश शक्ति से कोई समझौता न कर केवल लोहा लेने की ही बात न सोच हमारे राजनीतिक कर्णधार सौदे और भाव तोल की बात-चीत में लगे हैं। आठ प्रान्तों में कांग्रेस की नीति का बोलबाला है, राष्ट्र क्रियात्मक या रचनात्मक कार्य-क्रम की ओर झुकता बताया जाता है।

यह सब ठीक है, परन्तु आज जैसी राजनैतिक जागृति हमारे देश में है ऐसी पहले कभी न थी और जो ठोस प्रश्न आज हमारे सामने हैं वे पहले कभी न थे। अब तक हमारे राजनैतिक संग्राम की एक पुकार थी। स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है। जब तक हम लोग केवल भावुकता या बज़हदारी से ही प्रेरित होकर स्वराज्य को कल्पना और स्वप्न का विषय समझते रहें, निहायत सहूलियत से यह पुकार हमारा काम देती रही। परन्तु ज्यों ही हमारे आनंदोलन में वास्तविकता का पुष्ट आया, या स्वराज्य का प्रश्न हमारे सामने आया, हम गम्भीरता से अपनी समस्याओं को सोचने लगे! हमारे सामने अनेक टेढ़े सवाल पैदा हो गये।

स्वराज्य की कल्पना।

हम सोचने लगे—स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार तो है, परन्तु वह स्वराज्य कैसा होगा? भिन्न-भिन्न श्रेणी और विचारों के लोग स्वराज्य

[*यह लेख १९३६ की स्थिति में लिखा गया था परन्तु लेख का दृष्टिकोण आज भी पुराना नहीं हुआ]

की कल्पना अपने-अपने स्वप्नों के अनुसार करने लगे। धनपति व्यापारियों और मिल-मालिकों ने समझाया—स्वराज्य का अर्थ होगा कि विदेशी व्यापार को हम भारी आयात कर लगा कर कुचल देंगे; हमारे खजानों में सोना बरसने लगेगा। ज़र्मांदारों ने सोचा—हम पर दबाव रखने वाली ब्रिटिश शक्ति का नाश हो जायगा। अपनी अधिकृत भूमि के हम निरंकुश स्वामी हो जायेंगे, सामंतवाद के गये दिनों के मीठे स्वप्न उन्हें फिर दिखायी देने लगे। देशी नरेशों ने भी गत वर्षों में ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ते हुए असंतोष की लहर को देखा। भारत में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की उमंग अनुभव की। एक दफे फिर वे महा-महिममय छत्रपति बनने का खबाब देखने लगे। पहली गोलमेज़ कान्फ्रेंस में स्वयं उन्होंने ही संघ शासन की चर्चा चलायी थी। मध्यम श्रेणी के नौकरी पेशा लोग और छोटे-मोटे व्यापारी सोचने लगे; स्वराज्य का अर्थ होगा कि तनखावाहैं बढ़ जायेंगी, टैक्स घट जायेंगे, पुलिस की डॉट-फटकार कम हो जायगी। किसानों ने समझा लगान कम देना पड़ेगा, बेगार बन्द हो जायगी। मज़दूरों ने समझा मज़दूरी बढ़ जायगी, बेकारी से छुटकारा मिलेगा, भर पेट खायेंगे, बेखौफ चलेंगे। मालूम होता था सभी का भला होगा, सभी की मन-चाही मुरादें पूरी होंगी परन्तु ज्यों-ज्यों भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ अपने स्वप्नों को ठोस रूप देने का यत्न करने लगीं इनमें परस्पर संघर्ष की सम्भावना पैदा होने लगी।

नेताओं की आशंका

हमारे नेता श्रेणी-संघर्ष की इन सम्भावनाओं से आशंकित हो रहे हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार श्रेणी-स्वार्थ के विचार से प्रेरित होकर स्वराज्य के आन्दोलन को संचालित करने की प्रवृत्ति धातक है। इसके परिणाम-स्वरूप श्रेणी-वैमनस्य बढ़ाकर हम ब्रिटिश शक्ति के मुक्ताविले में न केवल निर्वल हो जायेंगे, बल्कि लद्य-भ्रष्ट हो, स्वयं ही लड़ मरेंगे। मोटी नज़र से देखने से यह आशंका बहुत ठीक मालूम होती है और यही उचित जान पड़ता है कि हम पहले प्रजातांत्रिक क्रांति द्वारा राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर लें। इन प्रश्नों पर विचार करने का समय बाद में आयेगा। यह दलील हमें अपने उदार दल के नेताओं (Liberal leaders) की बातों की बाद दिला देती है। उनका कहना भी कितना माकूल था—हमें पहले ब्रिटिश शासन की सुरक्षा में देश की आर्थिक, सांस्कृतिक उन्नति कर शासन का

अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिए। स्वराज्य के योग्य हो जाने पर ब्रिटिश शासन के सहयोग से हम स्वर्यं स्वतन्त्रता और स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे।

यदि स्वराज्य जनता का जन्म-सिद्ध अधिकार है तो किस प्रकार का स्वराज्य जनता चाहती है या किस प्रकार की समाज या शासन-व्यवस्था में हमारा हित है, यह सोचने का अधिकार भी जनता का जन्मसिद्ध है। जब हम स्वराज्य-प्राप्ति के लिये प्राण को बाजी लगा रहे हैं, तो हम उसका विश्लेषण किये बिना, उसकी वास्तविकता की छान-बीन किये बिना नहीं रह सकते। आखिर स्वराज्य है क्या ? देश में देश के राज्य का अर्थ है क्या ? यां कहिए देश का ही अर्थ क्या है !*

नक्शे में तो 'हमारे देश' का अर्थ है—कुछ पर्वत श्रेणियाँ, कुछ नदियाँ, भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। स्वराज्य का अर्थ निश्चित ही इन बड़े पदार्थों की स्वतन्त्रता नहीं है। स्वराज्य का अर्थ है इस भू भाग में रहने वाले लोगों की स्वतन्त्रता और उनकी समृद्धि। इतना स्थान में रख लेने पर हम अपने लक्ष्य स्वराज्य की मीमांसा और परिभाषा किये बिना नहीं रह सकते। यदि स्वराज्य का अर्थ हम देश की जनता की स्वतन्त्रता और हित समझ लें, तो हम इस प्रश्न की अवहेलना नहीं कर सकते कि जनता का या देश की अधिक से अधिक जनता का लाभ कैसे हो सकता है।

अनिवार्य श्रेणी-संघर्ष

वास्तविकता की ओर से आखें बन्द कर अपने आपको धोखा देने से क्या लाभ ? हम यह बात भूल नहीं सकते कि हमारे देश की जनता अन्य देशों की जनता की भौति, भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विभक्त है और समाज में इन श्रेणियों के परस्पर सम्बन्ध ऐसे हैं कि उनके हितों में संघर्ष अनिवार्य है। एक श्रेणी की समृद्धि या स्वतन्त्रता प्राप्त करने का अवश्यम्‌भावी परिणाम यह होगा कि दूसरी श्रेणी, जो अब तक प्रथम श्रेणी की पराधीनता या दीनता से लाभ उठाती रही है, अपने हितों को खतरे में समझें। यह बात अप्रिय ज़रूर है परन्तु सत्य है। प्रत्येक मनुष्य संसार के अन्य प्राणियों में अपनी ही आत्मा अनुभव कर, उनके सुख से सुखी हो, यह रोचक सिद्धान्त

* यह लेख १६३६में लिखा गया था तब से हमारे देश का रूप और सीमाएँ बदल चुकी हैं। इस देश के पूजीवादी नेतृत्व और ब्रिटेन के स्वार्थ के समझौते ने इस देश को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में बाँट दिया है।

त्याग और आध्यात्मिक व्याख्यानों के लिये बहुत अच्छा विषय है परन्तु कोई समाज इस पर कभी अमल नहीं कर सका। कुछ व्यक्तियों की बात जाने दीजिए; व्यक्ति सद्भावना से प्रेरित होकर स्वार्थ का त्याग महत्तर स्वार्थ अर्थात् समाज और जगत् के कल्याण के लिये कर सकता है, परन्तु एक सम्पूर्ण श्रेणी या समाज अपने हितों या स्वार्थ का बलिदान नहीं कर सकता, करेगा भी तो किसी उद्देश्य से !

जब हमारा समाज श्रेणियों का समूह है, जब क्रदम-क्रदम पर श्रेणियों की समस्या हमारे सन्मुख अनिवार्य रूप से आयेगी ही, तो क्यों न हम परि स्थिति को उसी दृष्टि से देखें ? यदि जिस स्वराज्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं; वह हमारे देश की जनता या अधिकांश श्रेणियों के हितों के विरुद्ध जा रहा है तो जनता को सदा के लिये उल्लू बनाकर ऐसा स्वराज्य सफल न बनाया जा सकेगा। यदि वह देश की बहु-संख्यक जनता के हितों के अनुकूल है तो उसे स्पष्ट स्वीकार करने में हर्ज ही क्या ? बल्कि उसे स्पष्ट तौर पर अंगीकार कर उसका एलान करके ही हम अपने स्वतंत्रता के संग्राम को सबल और सफल बना सकेंगे। जिन श्रेणियों के हित बहुसंख्यक जनता के हितों के प्रतिकूल हैं उन्हें भी हम मूर्ख नहीं बना सकते। वे अपने लिये आने वाले ख़तरे को खूब समझती हैं। राष्ट्र निर्माण में उनका सहयोग कभी मिल नहीं सकता और हम उन्हें सन्तुष्ट करने के लिये बहुसंख्यक जनता को, प्रायः सम्पूर्ण देश को, अपने स्वार्थ और हित की बात सोचने और कहने से वंचित नहीं कर सकते।

शोषितों का स्वराज्य

जिन श्रेणियों के हित परस्पर-विरुद्ध हैं उनमें संघर्ष होता ही है। इस संघर्ष पर परोपकार की भावना और आध्यात्मिकता की लीपा-पोती कर हम उन्हें सदा बहला कर नहीं रख सकते। यदि स्वराज्य में देश के मुख्य अंग किसानों और मज़दूरों को पेट भरने का अधिकार या अपने श्रम से उपार्जित सामान को प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं मिलता, तो उनके लिये स्वराज्य का अर्थ क्या होगा ? उन्होंने जो कुछ त्याग या कष्ट अपने स्वपनों की प्राप्ति के लिये सहन किया है उसका क्या मुआवज़ा उन्हें मिलेगा और भविष्य में उनसे जो और भी अधिक त्याग की आशा की जा रही है, उसी के लिये वे क्यों तैयार होंगे ?

हमारा अपने स्वतंत्रता संग्राम का अनुभव हमें बताता है कि इस देश की कुछ श्रेणियाँ सदा जनता की महत्वाकांक्षाओं के विरुद्ध रही हैं। उन्होंने सदा हमारे शोषकों का ही साथ दिया। वे देश की जनता के शोषण में हमारे शोषकों के हिस्सेदार रहे हैं, उनके लिए ऐसा करना ही स्वाभाविक है। उनके संतोष के लिये हम यदि दलित और शोषित श्रेणियों की माँग को दबा देने का यत्न करेंगे तो इसका अर्थ होगा कि हमें स्वराज्य के स्वप्न को ही भूल जाना होगा या फिर ब्रिटिश शोषण की जगह देशी शोषण स्वीकार करना होगा।



किसान और मज़दूर श्रेणी-समस्या

एक ओर तो हम देखते हैं—संसार का मनुष्य समाज श्रेणियों का समूह है; मनुष्य-जाति का इतिहास, भिन्न-भिन्न श्रेणियों के विकास, उनकी पारस्परिक उत्तरा चढ़ी और संवर्ष का इतिहास है। दूसरी ओर हम देखते हैं—हमारे देश में इस प्रश्न को दृष्टि से ओँकल करने का और इसे दबा देने का प्रयत्न किया जा रहा है। मानो हमारे देश का सामाजिक और आर्थिक संगठन शेष संसार से पृथक् और भिन्न हो। इसमें सन्देह नहीं कि अभी हाल तक हमारे देश में श्रेणियों के भेद का प्रश्न उत्कट रूप में उपस्थित नहीं था। इसके तीन कारण थे। प्रथम उद्योग-धर्धों की उन्नति का अपेक्षा-कृत अभाव, दूसरा सामाजिक और राजनैतिक जागृति का अभाव, तीसरा और प्रधान कारण जिसका प्रभाव अब भी मौजूद है—था, विदेशी शासन का प्रभाव। विदेशी शासन की मौजूदगी में अपनी प्रत्येक राष्ट्रीय न्यूनता और हीनता का कारण हम स्वभावतः ही उस शासन को समझते रहे। दलित श्रेणियों का ध्यान मुख्य-शोषक की ओर ही रहा। उन्होंने हमारे अपने ही देश में मौजूद उन श्रेणियों की ओर कभी ध्यान न दिया जो विदेशी शासन के संरचना में शोषण का एक बड़ा भाग हज़म कर, विदेशी शासन के वृक्ष की जड़ों का काम करती रही हैं।

जब हमने देश की सम्पूर्ण शक्ति से विदेशी शासन व्यवस्था के वृक्ष को उखाड़ फेंकने का यत्न किया, तो हमें मालूम पड़ा कि इस वृक्ष की जड़ें हमारे समाज में कितनी गहरी पहुँची हुई हैं और यह जड़ें हमारे समाज की भूमि में, पृथक् पृथक् श्रेणियों के रूप में मौजूद हैं। हम ने विदेशी शासन व्यवस्था के बाहरी रूप को काट-छाँट कर, गोरे शासकों को भगा कर भी देखा कि उस शासन-व्यवस्था की जड़ों से जो शाखा-प्रशाखा निकली थीं वे अपने मूल शासन के अनुरूप ही थीं।

शोषण क्यों ?

उस समय यदि हम राह चलते किसी भी देश-नाकी से पूछते कि देश की दुरावस्था का कारण क्या है ? तो उरन्त उत्तर मिलता-विदेशी शासन । परन्तु विदेशी शासन के कारण हमारी दुरावस्था क्यों थी ? इसे सर्व-साधारण ठीक ठीक न समझते थे । ब्रिटिश भारत की अपेक्षा भी देशी रियासतों में जनता की दुरावस्था क्यों थी ? इस प्रश्न का उत्तर वे नहीं दे सकते थे । सर्व साधारण ग्रामीण—या शासन व्यवस्था और राजनीति से अनभिज्ञ जनता का झायाल था कि अंग्रेज लोग भारतवर्ष से टैक्स के रूप में धन संचय कर जहाजों पर लाद विदेश ले जाते हैं । देश से सब सोना-चाँदी चिंच गया है और देश में नोटों के रूप में कागज़ ही कागज़ रह गया है । इस से परे उनकी दृष्टि न जाती थी । सत्याग्रह और असहयोग के जमाने में कांग्रेस के प्रचारक ही इस प्रकार की बेसिर-पैर की बातें फैलाते फिरते थे । उनका स्वागत भी खूब होता था और एक दृढ़ तक जनता में असंतोष फैलाने के लिये बातें कारगर भी थीं ।

उस समय यह बतंगड़ चल जाता था, लेकिन आज नहीं चल सकेगा । आठ प्रान्तों में आज कांग्रेसी सरकारें चल रही हैं । टैक्स वहाँ आज भी लिया जा रहा है, बल्कि और टैक्स बढ़ाने की तदबीरें सोची जा रही हैं ।* आज हम लोगों के लिये यह कहना कि कांग्रेसी मंत्री टैक्स इकट्ठा कर विलायत भेज देते हैं, सम्भव नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि विदेशी शासन व्यवस्था में टैक्स इकट्ठा करने और व्यय करने की जो नीति थी, वह सदा देश की प्रगति के मार्ग में बाधक रही और स्वायत्त शासन कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने देश की दलित श्रेणियों को सहानुभूति का आश्वासन दिया । कांग्रेस द्वारा अखिलयार की गयी नीति में सदाशय का बायदा ज़रूर है ।

दुरावस्था किनकी ?

हमारे देश की दुरावस्था के क्या कारण हैं ? यह जानने के लिये पहले यह देखना जरूरी है कि दरअसल हमारे देश में दुरावस्था है किसकी ? हमारे देशी नरेशों की दुरावस्था नहीं थी, हमारे ताल्लुकेदारों और ज़मींदारों की दुरावस्था नहीं । हो सकता है पहले की अपेक्षा वे किसी क़दर कम स्वच्छन्द

* १९४६ में तो टैक्स इतने बढ़ गये हैं कि जनता अंग्रेजी राज की दासता को ही धन्यवाद देने लगी है ।

हों, उनकी निरंकुशता में कुछ कमी आ गयी हो, राजसी ठाठ और प्रमोद में सूपया पानी की तरह बहाने की सहूलियत में फर्क पड़ गया हो, कुछ कर्ज़ी सिर पर हो गया हो, परन्तु उनकी दुरावस्था नहीं। मिल मालिकों की दुरावस्था नहीं। कोठी-पतियों और व्यापारियों की भी दुरावस्था नहीं। वे भूखे नहीं, नंगे नहीं, रहने की बजह से लाचार नहीं। उनके प्रासाद आकाश को फोड़ते चले जा रहे हैं, उनकी मिलों की चिमनियों का धुआँ, उनकी क्षमता की ध्वजाएँ आकाश में फहरा रही हैं। उनके मोटरों और वाहनों में कमी नहीं आयी। मोटरों के प्रति वर्ष नये-नये आने वाले माडलों की खपत कम नहीं हुई, उल्टे बढ़ती ही जाती है। ऊँची तनखावाह पाने वाले सरकारी अफसरों या पूँजिपतियों की दलाली और कारिन्दगी करने वालों की दुरावस्था नहीं। ऊँचे पेशावर लोग भी दलित नहीं हो रहे हैं। इन्हें विदेशी शासन के प्रति यही शिकायत थी कि शोषण का बड़ा भाग वह शासन ले जाता था और इन्हें अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने का अवसर न मिलता था।

दुरावस्था है उन लोगों की जो अपने शरीर का पसीना बहा कर उपज और पैदावार मुहृश्या करते हैं। जो समाज के विराट रथ में घोड़ों और पश्यों का काम करते हैं, वे पिस रहे थे, पिस रहे हैं। उन्हीं के पेट झाली हैं, उन्हीं के शरीर नंगे हैं। और जो समाज के रथ पर बैठ कर सवारी कर रहे हैं या रथ की बागडोर हाथ में संभाले हैं, चाहे चिंता के बोझ से उनके माथे पर त्योरियाँ पड़ रही हों, जान के लाले उन्हें नहीं पड़ रहे हैं।

किसानों की दुरावस्था ?

बास्तव में श्रम करने वाली श्रेणियों या समाज के अंगों को लीजिए— सब से पहले आप के सामने ज़मीन से सिर मारने वाला किसान आता है। श्रेणी रूप से या सामूहिक रूप से इसकी क्या अवस्था है, यह किससे छिपी है ? यह सब कुछ उत्पन्न करके भी वह कितना दीन-हीन और पराश्रित है। समाज की शिकारी श्रेणी के हाथ में वह बिना पंख का पक्षी है। वह कितनी विडम्बना का पात्र है ? इसका अन्दाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसका दूसरा समानार्थक नाम है—गंवार !

किसान अपने किसानपने का चाहे जितना अभिमान कर ले, कोई दूसरा व्यक्ति न तो किसान बनने को तैयार होगा, न कहलाने को। फिर भी हमारे देश की सम्पूर्ण आबादी के तेझेस करोड़ (१६३० में) मनुष्यों में से जो भूमि से सम्बन्ध रखते हैं, इक्षीस करोड़ अस्ती लाख किसान ही हैं। शेष एक करोड़

बीस लाख ही ऐसे हैं जो अपने आप को दीन-हीन किसान न कर कह कर मालिक कहताने का अभिमान कर सकते हैं। एक हृदय तक इन लोगों का यह अभिमान ठीक ही है, क्योंकि देश की भूमि से प्राप्त होने वाली आमदनी में से एक अरब अरसी करोड़ रुपया इन्हीं के पेट में चला जाता है जिसके लिये इन्हें हाथ से मेहनत नहीं दिमाग़ से चालवाजी ही करनी पड़ती है।

इक्कीस करोड़ अरसी लाख किसानों का काम है मेहनत से पैदा करना और एक करोड़ बीस लाख का काम है, व्यय करना। मोटे हिसाब से कह सकते हैं कि प्रति एक भाग्यवान् के सुख और आराम की व्यवस्था के लिये अठारह अभागे मेहनत कर मरते हैं। कौन इनकार कर सकता है कि इन दो कोटियों के प्राणियों की दो भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ हैं? जब तक मौजूदा सामाजिक और आर्थिक शासन-व्यवस्था रहेगी इस बड़ी श्रेणी का जीवन छोटी आराम तलब श्रेणी के आधीन रहेगा और उन्हें सुख-चैन, स्वतंत्रता और पेट भर लाना कभी न सीधे नहीं हो सकेगा। जब भी यह बड़ी परन्तु पराधीन श्रेणी यह इच्छा करेगी कि उनकी मेहनत का फल उनके ही हाथों में रहे छोटी श्रेणी, जिसे विदेशी शासन-व्यवस्था की दया और सहायता से शक्ति है इस श्रेणी का विरोध करेगी।

विदेशी शासन-व्यवस्था के इस देश में क्रायम रहने का उद्देश्य क्या था? यदि वह उद्देश्य इस देश की प्राकृतिक सुविधाओं और जनता का शोषण था तो वह इसे इस देश की अल्पसंख्यक शोषक श्रेणियों के सहयोग से ही पूर्ण करता था। विदेशी शासन व्यवस्था और ये श्रेणियाँ इस उद्देश्य में सहयोगी और समर्भीदार थीं।

हम जो कुछ कह रहे हैं स्वप्न में नहीं बक रहे हैं। ऊपर हम किसान श्रेणी का ज़िक्र कर रहे थे। इस श्रेणी के प्रति ब्रिटिश शासक शक्ति का क्या रुख था इसे आप एक ही उदाहरण से समझ जायेंगे। किसानों और खेती की शोचनीय अवस्था देख सरकार ने एक जॉन्च कमेटी (Royal Agricultural Commission) नियत किया था। पहिली हिदायत इस कमेटी को यह कर दी गयी थी कि भूमि के बँटवारे या भिल्कियत के सम्बन्ध में ज़बान हिलाने की ज़रूरत नहीं। खेती का आधार है ज़मीन। जब उसी के सम्बन्ध में कोई सुधार या परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो अवस्था में परिवर्तन कैसे हो सकता है? मतलब—सुधार हो या ब्रिगाड, सरकार

अपनी सहायक शोषक श्रेणी की नींव हिलाकर अपनी शासन-व्यवस्था की इमारत नहीं गिराना चाहती थी। क्या इस बात से इनकार करने की कोई गुणालूक शेष है कि सरकार का दृष्टिकोण शोषक श्रेणी के हित का दृष्टिकोण था ?*

श्रेणी-समस्या—पूँजीपति और मज़दूर

इस बात से सहमत हैं कि स्वराज्य का अर्थ इस देश की भूखों मरती करोड़ों जन संख्या की स्वतंत्रता है और इस जनता को स्वराज्य की आवश्यकता के प्रति सचेत करने के लिये, स्वराज्य की लज्जाई में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिये, उनसे सम्बन्ध रखने वाली आर्थिक समस्याओं को हमें सामने लाना चाहिये। हमारे कुछ नेता उनके श्रेणी रूप से सजग होने और संगठित होने के विरुद्ध हैं। अब हम एक आर्थिक समस्या से सम्बन्ध रखने वाला हुने के लिये सम्मिलित प्रयत्न किये बिना, अपने कष्टों के निवारण के लिये सम्मिलित प्रयत्न किये बिना, अपने आपको शृङ्खला में बंधा हुआ अनुभव किये बिना नहीं रह सकते। उपरोक्त बातों को प्रगति का

* कांग्रेसी सरकार ने जनता की मांग और परिस्थितियों से विवश हो जमीनदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पास कर लिया है। परन्तु जमीनदारी उन्मूलन का जो उपाय निकाला गया है वह भूमि पर जमीनदार की मिल्कीयत से इनकार नहीं करता।

कांग्रेसी सरकार जमीनदारों की भूमि लेने से पूर्व उन्हें पुरस्कार में दस वर्ष के लगान की रकम देना चाहती है। दस वर्ष के लगान की यह रकम देनी होगी किसान को। इस सम्बन्ध में दो प्रश्न उठते हैं। प्रथम यदि जमीनदारी समाज हित के अनुकूल और न्यायोचित है तो उसका उन्मूलन क्यों ? यदि यह प्रथा समाज हित विरोधी और अन्याय पूर्ण है तो इसे मिटाने के लिये अब तक अन्याय करती आने वाली श्रेणी को पुरस्कार क्यों ?

क्या जमीनदारी प्रथा के परिणाम स्वरूप किसान इस अवस्था में है कि दस वर्ष का लगान एक साथ दे सके ? वार्षिक लगान न दे सकने के कारण जिन किसानों की बेदखलियां होती आयी हैं वे दस वर्ष का लगान पेशगी कहां से देंगे ?

स्वाभाविक मार्ग मानकर, हम श्रेणी चेतना के विकास और संगठन को किस प्रकार अनुचित बता सकते हैं ?

हमारे राजनैनिक नेताओं का प्रमुख दल, महात्मा गांधी के नेतृत्व में श्रेणी-चेतना और श्रेणी संगठन का विरोध इसलिये करता है कि उसे इससे हिंसा और वैमनस्य की बू आती है। वे लोग समाज को पुराने रामराज्य के पारिवारिक आदर्श पर ही संगठित और परिचालित देखने की जिद्द में हैं। मालिक पिता और मज़दूर पुत्र यही उनका पुराना गीत है।

पैदावार किस लिये ?

यदि हम समस्या के मूल में जाने का यत्न करें, तो पहला सवाल यही उठता है कि उत्पत्ति या उद्योग-धन्धों का उद्देश्य क्या है, या क्या होना चाहिए ? पूँजीपति की दृष्टि से उद्योग-धन्धे चलाने का उद्देश्य है—अधिक से अधिक माल मज़दूरों द्वारा पैदा करवाकर उससे लाभ का अंश प्राप्त करना। मज़दूर के सामने उद्देश्य का सवाल ही नहीं; क्योंकि उद्योग-धन्धे को जारी रखने की नीति में उसका कुछ भी हाथ या अधिकार नहीं। वह असहाय अवस्था में अपने श्रम की शक्ति को बेचने जाता है, ताकि पेट भर अब्र प्राप्त कर सके। समाज की दृष्टि में उत्पत्ति का उद्देश्य है—समाज या देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करना।

उल्लंघन तब पैदा होती है जब पूँजीपति मज़दूर की मेहनत को इतना अधिक हड्डप जाना चाहता है कि मज़दूर का जीवन ही असम्भव हो उठता है। सामाजिक व्यवस्था या परिस्थिति मालिक के पक्ष में है। समाज में बेकारों की संख्या इतनी अधिक है कि पूँजीपति मज़दूरी के भाव को जितना चाहे गिरा दे सकता है। यदि मज़दूर सम्मिलित रूप से उसका मुक्ताविला न करें तो मज़दूरी कितनी कम हो जा सकती है, इसका अनुमान हम केवल कठिन कल्पना से ही कर सकते हैं।

परन्तु यह क्या न्याय है या उचित है ? न्याय और औचित्य का निर्णय सदा किसी न किसी दृष्टि-कोण से ही होता है। यदि पूँजीपति के दृष्टिकोण से देखा जाय, तो वह न्याय पूर्ण और उचित है। पूँजीपति का दावा है कि अपनी पूँजी से वह कल-कारखाना लगाकर धन्धा चलाता है अपने लाभ के लिये। मज़दूर को ज़रूरत है, वह काम माँगता है। पूँजीपति जो कुछ मज़दूरी देना चाहता है, यदि मज़दूर को मज़ूर नहीं तो वह काम न करे, उसकी जगह कोई दूसरा आ जायगा।

एक समय था जब इस प्रकार का तर्क ही न्याय की कसौटी थी । लेकिन सामाजिक विकास के साथ हमारा दृष्टिकोण वैयक्तिक न रह कर सामाजिक होता जा रहा है और हम पूँजीपति और मज़दूर दोनों को समाज का अंग ग्राहक के हित को भी उसमें सम्मिलित कर न्याय की विवेचना करने लगे हैं ।

न्याय क्या है ?

हम यह बात अनुभव करने लगे हैं कि यदि मज़दूरों के शोषण की कोई सीमा न रहेगी, तो मज़दूर लोग (जो कि समाज का एक बहुत बड़ा अंश हैं) दिन-दिन शारीरिक और मानसिक अवस्था में गिरते जायेंगे और इस से सम्पूर्ण समाज या देश निर्भत होता जायगा । पूँजीपति इस आपत्ति के शोषण के (मुनाफ़ा कमाने के) बावजूद अपने अधिकार का समर्थन करने को तैयार है । उसका कहना है कि उसका यह अधिकार समाज के लिये हितकर है क्योंकि उद्योग-धन्धों के विकास में ही देश या समाज का कल्याण है । उद्योग-धन्धों का विकास पूँजीपति उसी अवस्था में कर सकता है, जब उसे अपने कारोबार में से लाभ का पर्याप्त अंश मिले—देश के कल्याण के नाम पर वह अपने शोषण के अधिकार की सफ़ाई देना चाहता है ।

यदि हम इस प्रश्न को मज़दूर की दृष्टि से देखें, तो एक दूसरा पहलू हमारे सामने आता है । उत्पत्ति के प्राकृतिक साधनों को तो कोई नहीं बनाता ! पूँजी क्या है ? —एक समय मेहनत द्वारा जो उत्पत्ति की जाती है और उस पैदावार के सम्पूर्ण अंश को उपयोग में न लाकर जो कुछ बचा लिया जाता है, वही पूँजी बन जाता है । इस पूँजी को उत्पन्न करता है मज़दूर । और इस पूँजी द्वारा प्राप्त मशीनों पर काम करता है मज़दूर ! परन्तु जो उत्पत्ति होती है उस पर अधिकार होता है पूँजीपति का । यह कैसा न्याय है ?

उत्पत्ति के कार्य-क्रम में पूँजीपति का क्या स्थान है ? भाग्य से या कौशल से पूँजीपति ने पूँजी के नियंत्रक या प्रबन्ध-कर्ता का स्थान ले लिया है । उसके आधीन सम्पूर्ण पूँजी की उत्पत्ति में उसकी अपनी मेहनत का हिस्सा उतना ही है, जितना कि मिल के किसी दूसरे मज़दूर, कल्की या मैनेजर का । परन्तु व्यवस्था ऐसी है कि प्रत्येक मज़दूर की कमाई का बहुत सा अंश पूँजीपति के हाथ चला जाता है, उसकी धन-शक्ति समाज में रोज़-रोज़ बढ़ती चली जाती है । मज़दूर केवल उतना पाता है जितना कि उसके शरीर में

किसान और मज़दूर श्रेणी-समस्या]

प्राण क्षायम रखने के लिये नितान्त आवश्यक है और रोज़-रोज़ अपेक्षाकृत असहाय होता जाता है। मज़दूर का कहना है कि उसको मेहनत का फल उसे पूरा क्यों न मिले ?

सामाजिक दृष्टि से हम यह समझते हैं कि उद्योग-धन्धों का उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना है। पूँजीपति जिस सिद्धान्त पर अपने उद्योग-धन्धों को चलाते हैं, उसमें उद्देश्य समाज की आवश्यकता को पूरा करना न रह कर केवल व्यक्तिगत लाभ उठाना रहता है। यदि उद्योग-धन्धों का उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना ही हो; तो पैदावार अधिक हो जाने, फालतू उत्पत्ति या मांग की कमी का सवाल कभी पैदा हो ही नहीं सकता। क्यों कि सुविधा और अवसर होने पर प्रत्येक मज़दूर करोड़-पति के समान रहने के लिये तैयार है। परन्तु हम संसार में सब और आर्थिक संकट ही देख पाते हैं।

आर्थिक संकट क्या ?

आर्थिक संकट है क्या ? आर्थिक संकट है खपत से ज्यादा माल का पैदा हो जाना। एक और तो हम अपनी आँखों से सभी तरफ़ कमी ही कमी हो जाने, लोगों को नेंगे और भूखे फिरते देखते हैं। दूसरी ओर पूँजीपतियों को चिल्हाते सुनते हैं खपत नहीं, माँग नहीं !* यह विरोध क्यों ? इस विरोध की जड़ है, पैदावार के उद्देश्य में। 'खपत या माँग नहीं' का अर्थ यह नहीं कि जनता को इन चीजों की जरूरत नहीं। इसका अर्थ है कि जिन लोगों को जरूरत है उनके पास मूल्य देने की शक्ति नहीं। मूल्य देने की शक्ति मज़दूरों या किसानों के पास न होने का मतलब है कि जितनी मेहनत वे पूँजीपति की आधीनता में समाज का धन बढ़ाने में करते हैं, उसका फल उन्हें उतना नहीं मिलता कि वे उसे खरीद कर व्यय कर सकें। परिणाम यह होता है कि उत्पत्ति फालतू पड़ी रहती है, पूँजीपति अपने मिल या

* १९३८ में संसार भर के पूँजीवादी देशों में पैदा हो गये माल की खपत न हो सकने के कारण त्राहिन-जाहिन मच्छी हुई थी। तैयार माल खप न सकने के कारण भिलें बन्द हो रही थीं और अनाज जलाया जा रहा था। संसार-व्यापी युद्ध में पैदावार का बहुत बड़ा अंश नष्ट हो जाने और पैदावार की शक्ति उपयोगी पदार्थों की अपेक्षा विनाश के साधन पैदा करने में खर्च होने से पूँजीपतियों के लिये सुअवसर आ गया।

उद्योग-धन्धे को बन्द कर देता है। बेकार मज़दूर मज़दूरी नहीं पा सकता तो विक्री और भी कम हो जाती है या बन्द हो जाती है। समाज में कारोबार या व्यापार की मशीन बिलकुल थम जाती है।

ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि समाज के पारिवारिक आदर्श (कम्यूनिज़म) पर संगठित होने की कल्पना मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में असम्भव है। समाज के जीवन का आधार उसकी पैदावार है। पूँजीपति उत्पादकों का उद्देश्य अपने कल-कारखानों से सामान तैयार करने में जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं, उनका उद्देश्य है—केवल अपने सामान को कम मज़दूरी से तैयार करा कर अच्छे दामों बेच सकना, ताकि उनकी जेब भारी हो सके।

लेकिन खरीदेगा कौन? ग्राहक कौन है? जो व्यक्ति मज़दूर बनकर मिल में काम करता है, वही मिल से बाहर आकर उस माल को खरीदने की भी ज़रूरत महसूस करता है यानी सामान को तैयार करने वाला मज़दूर या किसान समाज ही ग्राहक भी है। पूँजीपति की नीति है—मज़दूरी कम देकर माल तैयार करने की चेष्टा करना और मज़दूरी कम देने के लिये वह सफाई देता है कि देश की गरीब जनता को सस्ता माल पहुँचाने के लिये उसे सस्ती मज़दूरी की आवश्यकता है। यह कम मज़दूरी देने की प्रवृत्ति किसी एक व्यवसाय के ही मिल मालिकों में नहीं, बल्कि सभी व्यवसायों के मिल मालिक ऐसा करने की चेष्टा करते हैं। परिणाम यह होता है कि मज़दूर लोग, जो कि ग्राहक भी हैं, अपेक्षाकृत गरीब होकर मिलों द्वारा तैयार माल को खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं। नतीजा होता है—आर्थिक संकट! यह आर्थिक संकट मालिक और मज़दूर श्रेणियों के दिलों में विरोध और संघर्ष होने के कारण ही पैदा होता है।

श्रेणी-संघर्ष कैसे रुके?

संसार की अर्थिक व्यवस्था में सदा संकट आते रहने और उलझनें पैदा होते रहने का कारण है—उत्पादन के काम में भाग लेने वाली दोनों श्रेणियों अर्थात् पूँजीपति (शासक वर्ग) और मज़दूर या (ग्राहक शासित) वर्ग के हितों में विरोध होना। समाज के कल्याण के लिये उत्पत्ति होनी चाहिये। फिर उत्पत्ति में भाग लेने वाली इन दोनों श्रेणियों में यह तनातनी क्यों? कारण यही है कि शासक वर्ग सम्पूर्ण समाज के कल्याण की चिन्ता

न करं स्वयम् ही मुनाफ़ा पाना चाहता है। इसलिये उद्योग-धन्धों के विकास द्वारा उत्पत्ति का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता और मज़दूर या ग्राहक बेबस होकर पेट की रोटी के लिये लड़ने को आमादा हो जाते हैं। मरता क्या न करता ! हमारे देश में भी उद्योग-धन्धों के पूँजीवादी ढंग पर विकसित होने से स्थिति संसार के अन्य देशों से भिन्न नहीं। हम भी श्रेणी संघर्ष से बच नहीं सकते। श्रेणी-संघर्ष से बचने का यदि कोई उपाय हमारे लिये है, तो वह श्रेणीवाद का नाश और समाजवाद की स्थापना ही है।



मज़हब का मुलभ्या

आज हमारा देश और समाज बीस वर्ष पहले की तरह निराश और उद्यम-हीन नहीं है। समाज और देश के शरीर में जीवन की स्फूर्ति और स्पन्दन का प्रमाण मिल रहा है। हम पहले की भाँति निष्क्रिय नहीं। बात-बात में हम स्वराज्य की चर्चा करते हैं* स्वराज्य की प्राप्ति के उपायों पर विचार करते हैं। हमारे मार्ग में जो अङ्गचर्चाएँ और रकावटें हैं उनकी विवेचना करते हैं। अनेक प्रश्नों पर भिन्न-भिन्न विचार रखते हुए भी देश और समाज के सभी अंग इस बात से सहमत हैं कि मुख्य रकावट हमारे उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में हमारे देश और समाज में राष्ट्रीयता या कौमियत का अभाव है। लम्बे-चौड़े देश में रहने वाले हम पैतीस करोड़ हिन्दुस्तानी, एक प्राण और जान होकर, एक उद्देश्य के लिये अपनी शक्ति को संचित रूप से क्या नहीं लगा दे सकते।

हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते इस प्रश्न को भी हम सोचते हैं। हमारी वृहत् जनसंख्या छोटे-छोटे अनगिनत समूहों में विभक्त है। अनेक संस्कृतियाँ और अनेक सम्प्रदाय हमारे देश को छोटे-छोटे ताल-तलैया में बाँटे हुए हैं, इसलिये हम सामूहिक रूप से एक बड़ी नदी की तरह प्रबल वेग से बहकर अपना मार्ग नहीं बना पाते। यह ठीक है कि हम छिन्न-भिन्न हैं, कटे-फटे और बँटे-छंटे हैं, परन्तु हमें कौन चीज़ बाँटे हुए है? सौ ज़बान से हम इस बात को चिल्ला-चिल्ला कर स्वीकार करते हैं कि हमारे देश में मौजूद

* यद्यपि यह लेख १६३६ की भूमिका में लिखा गया था परन्तु इस समय भी इसकी उपयोगिता अनुभव कर इसे संग्रह में स्थान दिया जा रहा है। हमारी जिस राष्ट्रीय निर्बलता ने देश के दो भाग कर दिये—इस लेख में उसी प्रवृत्ति की विवेचना है।

साम्प्रदायिक, मज़हबी और सांस्कृतिक भेद हमारे समाज में मेढ़ों की तरह खड़े होकर हमें एक होने से रोके हुए हैं। परन्तु इसके साथ ही, उतने ही बल से, शायद उससे भी अधिक ज़ोर से हम अपने समाज को छिन्न-भिन्न किये रहने वाली इन मेढ़ों को मज़बूत बनाये रखने की भी पुकार बुलन्द किये रहते हैं।

हमारे साम्प्रदायिक नेता पुकारते हैं—धार्मिक (साम्प्रदायिक) और सांस्कृतिक स्वतंत्रता ! हमारे राजनैतिक नेता उत्तर देते हैं—जरूर परन्तु सहनशीलता के साथ (with tolerance) हमारे गणयमान्य मुकुटमणि नेता धार्मिक प्रवृत्ति का राजनौक योग्यता का मुख्य अंग मानते हैं। कुछ वर्ष की बात है, लाहौर में एक बहुत योग्य नेता ने अपने व्याख्यान में कहा था कि भारत की मुक्ति का साधन राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता या क्रौमियत तभी पैदा हो सकती है, जब देश का प्रत्येक हिन्दू सच्चा और पक्षा हिन्दू, प्रत्येक मुसलमान पक्षा मुसलमान और ईसाई सच्चा ईसाई होगा। सच्चे या पक्ष के हिन्दू, मुसलमान या ईसाई होने की यदि एक ही क्षेत्री इस निश्चित करना चाहें, तो इसका तात्पर्य होगा—साम्प्रदायिक कट्टरता।

परन्तु साम्प्रदायिक कट्टरता की हमारे नेता निंदा भी करते हैं। देश की जनता अबाक होकर अपने इन मार्ग-दर्शाओं की ओर देखती है और विमूढ़ होकर रह जाती है। अपने सम्प्रदाय में दृढ़ सत्य, विश्वास और कट्टरता की सीमाओं को पृथक करने वाली वह सूक्ष्म रेखा कहाँ है ? इसे जनता तो समझ ही नहीं सकती। हमारे विचक्षण नेता इसे समझ सकेंगे या नहीं, हम नहीं कह सकते। ऐसी कोई रेखा है भी या नहीं, इसमें भी हमें संदेह है।

बहुत सीधा सवाल है, एक सच्चा निष्ठावान् हिन्दू अपने पड़ोसी मुसलमान से हजार सहानुभूति प्रकट करे, परन्तु जब मंदिर में जोर से घरग्य बजाने का सवाल आवेगा, तब वह निष्पद्ध कैसे रह सकता है ? वह यदि नियम-धर्म से रहना चाहता है तो अस्पृश्यता की उपेक्षा कैसे कर सकता है ? एक निष्ठावान मुसलमान कुरान की आज्ञा का उल्लंघन कर रसूल में विश्वास न करने वाले कान्त्रि के प्रति कैसे सहानुभूति प्रकट कर सकता है ? सम्प्रदाय या धर्म में विश्वास रख कर भी कट्टर न होने का अर्थ है, शायद सम्प्रदाय या मज़हब के उपदेशों का आदर करते रहना, परन्तु उन उपदेशों पर आचरण करने की चेष्टा न करना।

सम्प्रदायिकता के इस सहिष्णु रूप का मुख्य स्रोत सेवाग्राम है। वहाँ सच्चे खुदाई शिवदमतगार और राम के सच्चे सेवक एक साथ बैठ कर भोजन करते हैं। एक अल्लाह की तसबीह फेरते हैं तो दूसरे राम-नाम की सुमरनी जपते हैं। भगवान् या अल्लाह प्रसन्न होकर वहाँ अपने आशीर्वाद की वृष्टि करते हैं। यहाँ सुख चैन का राज्य है। वर्धार्गंज से आवाज आती है—हमारी और देखो भगवान् के सच्चे सेवक और उपासक हम हैं। क्या तुम हमारा अनुसरण नहीं कर सकते? धर्म भी रुक्नता हत-बुद्धि होकर उस और देखती है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता। धर्म का यह नया अवतार सदियों से चले आये धर्म संस्कारों के विरुद्ध क्या कह रहा है? पुरातन सम्प्रदाय में दृढ़ विश्वास रखो, उसके लिये अपना सिर दे दो परन्तु उसकी रक्षा के लिये हाथ न उठाओ।

सच्चा मुसलमान छृष्टप्राता है। कुरान में हुक्म है—वाहदत का डंका बजा देने का। उसके बुजुर्गों ने अपने और काफ़िरों के खून से संसार की भूमि को उर्वरा कर, मज़ाहब की फ़सल को बढ़ाने का जो उदाहरण पेश किया है, क्या आज उसी को रोक देने का हुक्म दिया जा रहा या? वर्धा का नया फ़रिश्ता कहता है—बेशक सब ठीक है, तुम अपने-अपने धार्मिक आदेश को पूरा करो, परन्तु शान्त और सहिष्णु बने रह कर। भगवान् एक है। खुदा, राम और दूसरे सभी नाम उसी एक शक्ति के हैं।

इस मधुर उपदेश की प्रशंसा सर्वसाधारण जनता करती है, परन्तु उसे अपने जीवन में चरितार्थ करने में असमर्थ है। साधारण व्यक्ति पूछता है यदि 'वह' जिसे भगवान्, अल्लाह या ईसू के पिता के नाम से पुकारा जाता है एक है, तो उसकी प्राप्ति के यह सब मार्ग—सम्प्रदाय, भिन्न-भिन्न क्यों हैं? वर्धा का संदेश कहता है तुम्हारी समझ में फ़रक है, तुम ठीक समझा नहीं सकते। गीता, कुरान, बाइबिल सभी का उपदेश एक है। हो सकता है ठीक हो परन्तु क्या इन धर्म ग्रन्थों के अनुयाई सैकड़ों पीढ़ियों से इन धर्मग्रन्थों के लिये जान देकर इनकी आज्ञा, ठीक से समझे नहीं और आपस में यों ही लड़ मरते रहे? यदि यह धर्म ग्रन्थ सौ पीढ़ी तक मनुष्य की समझ में नहीं आये—तो आज ही क्या जमानत है कि वर्धा के फ़रिश्ते ने उन्हें समझ लिया है।

हमने निष्ठावान् और विद्वान् हिन्दुओं को यह कहते सुना है कि वेद और शास्त्रों पर नुक्ताचीनी मत करो, वह सर्वसाधारण मनुष्य की पहुँच के

बाहर है। एक आतिम मौलवी ने हमारी मूर्ख तर्क वृत्ति से चिढ़ कर कहा था—लाइलाह इस्लिला, इन शब्दों का अर्थ समझने की यदि तुम्हें दरअसल इच्छा हो तो मैं अपनी आयु भर इसकी व्याख्या कर सकता हूँ और यकीन रखो कि खत्म न कर पाऊँगा। डर कर उनकी उदारता से लाभ उठाने का साहस न हुआ, क्यों कि इस संक्रित से जीवन में बहुत से काम हैं। बाइबिल को यदि कोई पूर्ण रूप से समझ लेने का दावा करे, तो वह अपनी धृष्टा से केवल ईसाइयों के धर्मभाव को मर्मान्तक चोट ही पहुँचायगा।

जब साम्प्रदायिक सिद्धन्तों का यह हाल है, या कहिए भगवान् की ओर सुँह कर चलने का यत्न करने पर हम ठुकरा ही जाते हैं, या उनकी उँगली पकड़ कर चलने की चेष्टा करने पर हमारे हाथ में या तो कुछ आता हीं नहीं या वह पुरमज़ाक अदृश्य शक्ति हम सबको अलग-अलग उँगली पकड़ा कर बहका देती है, तो क्यों न हम किसी दूसरी वस्तु को संक्रेत मान कर चलने का यत्न करें।

यदि हम राष्ट्रीयता चाहते हैं, यदि विभाजक मेड़ों को तोड़ कर, सब जल को मिला कर एक दरिया वहा देना चाहते हैं, तो क्या इन साम्प्रदायिक मेड़ों के आदि मूल साम्प्रदायिक संस्कारों और उस अदृश्य शक्ति के सहारे चल कर ही हम उसे पा सकेंगे? गले के जिस साम्प्रदायिक बोझ ने हमें अब तक गारत किया है उसी पर बार-बार मुलम्मा चढ़ा कर ही क्या हम तैर कर पार निकल जाने की कोशिश करते रहेंगे? हम सहिष्णुता का कितना ही मुलम्मा अपने गले में बैंधे चक्की के इस पाट पर चढ़ाएँ, वह रहेगा सम्प्रदाय या मज़हब ही और वह हमें खींचेगा नीचे की ओर रसातल को ही।

थोड़े से साहस की जरूरत है। आँखें खुलने पर हमने कितनी ही मिथ्या धारणाओं और वहमों को मिथ्या धारणा या वहम कह कर छोड़ दिया। क्या इस अन्तिम मिथ्या धारणा से हमारा कभी छुटकारा न होगा? जब तक यह मज़हब का मुलम्मा, चाहे वह कट्टरता का गहरा मुलम्मा हो चाहे सहिष्णुता का हल्का मुलम्मा हो, हम पर चढ़ा रहेगा, हम आदमी के रूप में न पहचाने जायेंगे, न दूसरों को पहचान सकेंगे। न हमारी राष्ट्रीयता यहाँ पनप सकेगी, न हम राष्ट्रीयता के उस उद्देश्य की ओर एक भी क़दम बढ़ा सकेंगे, जिसका हम इतना ढौल पीट रहे हैं।

141742

855-H

745

सत्याग्रह का ठेका

एक दफे हिम्मत कर परिणत जवाहरलाल ने लिख डाला था कि महात्मा गांधी अनेक श्रवसरों पर ऐसी बात कह जाते हैं, जो हमें केवल उनके महात्मापन के कारण ही सहन कर लेनी पड़ती है। परिणत जी ने अपने आत्मचरित में इस बात को दूसरे शब्दों में फिर दोहराया है। इस पुस्तक में आप लिखते हैं कि महात्मा जी के जीवन में अनेक विरोधाभास हैं और शायद सभी महापुरुषों में ऐसे विरोधाभास होते हैं। हम इससे कुछ अधिक कहने की इजाजत चाहते हैं। महात्मा जी के जीवन में न केवल कुछ विरोधाभास हैं, अपितु उनके पत्र 'हरिजन' को पढ़ कर सीमित और मानवी बुद्धि से तो ऐसा जान पड़ता है कि आखीर में आकर गांधीवाद के सम्पूर्ण सिद्धान्त और कार्यक्रम परस्पर-विरोधी हैं।

गांधीवाद की संसार को सबसे बड़ी देन सत्याग्रह (Peaceful resistance) है। धर्म-प्राण होने और ईश्वरीय न्याय में दृढ़ विश्वास होने के कारण गांधीवाद के पास राज्य या शासन का विरोध करने के लिये, भगवान के प्रतिनिधि राजा के खिलाफ बगावत करने के लिये, कोई युक्ति नहीं हो सकती थी; परन्तु परिस्थितियों ने उसे मजबूर किया। गांधीवाद ने बगावत की, क्रान्ति को तोड़ा और उसके लिये अपना नैतिक यह अधिकार पेश किया कि वह आततायी के विरुद्ध भी हाथ नहीं उठाता; वह केवल अत्याचार सहन करता है। सत्याग्रही अन्याय नहीं कर सकता। श्रद्धालु समाज इस सैद्धान्तिक आविष्कार से मुग्ध और अवाक रह गया।

गांधीवाद द्वारा सत्याग्रह की निन्दा

महात्मा गांधी को स्वन्द में भी ख्याल न था कि यह सत्याग्रह एक दिन उनके ही ऊपर वार कर वैठेगा और उन्हें इसकी निन्दा करनी पड़ जायगी। महात्मा जी ने अपनी हड्डियाँ के सिलसिले में मजबूरों द्वारा धरना दिये

जाने की निनदा की और इसे निरी हिंसा (Pure violence) बताया है। यदि किसी जगह मज़दूरों ने धरना देते समय धैर्य खोकर या आवेश में आकर अशान्ति दिखायी है तो उसकी निनदा करने का अधिकार किसी भी सत्याग्रही को होना चाहिए, हालाँकि इस प्रकार की अव्यवस्था स्वर्य महात्मा जी द्वारा परिचालित सत्याग्रहों में इतने अधिक स्थानों पर, इतनी अधिक बार हुई है कि उसका वर्णन करते जाना हाथ के कंगन को आरसी में देखने का यत्न करना होगा। इस प्रकार की अव्यवस्था या अनुशासन की न्यूनता का सम्बन्ध सिद्धान्तों से नहीं, घटना विशेष से हो सकता है परन्तु महात्मा जी ने मज़दूरों के सत्याग्रह में निनदा अनुशासन की नहीं की। उन्होंने निनदा की है—मज़दूरों द्वारा सत्याग्रह को सिद्धान्त रूप से ग्रहण करने की।

मज़दूर और धरना

मज़दूरों की स्थिति क्या है ? वे अनुभव करते हैं कि उनकी मेहनत का पूरा मुआविज्ञा उन्हें नहीं मिलता। पूँजीवादी राज्य-शक्ति की सहायता से, या समाज में मौजूदा व्यवस्था से पूँजीपति का मज़दूरों के ऊपर नियंत्रण है और मज़दूरों द्वारा किये गये श्रम की पैदावार सब पूँजीपति के हाथ में चली जाती है। अपना पेट भरने मात्र के लिये भी पर्याप्त भाग मज़दूरों को अपने श्रम की पैदावार में से नहीं मिलता। जिन मिलों को मज़दूरों ने मेहनत कर करोड़ों रुपये कमाकर दिये हैं वे मिलें अधिक पूँजी एकत्र कर ऐसी मशीनें मँगा लेती हैं जिनसे पहले की अपेक्षा बहुत कम मज़दूरों से काम हो सकता है। यह मिलें अब मज़दूरों का कान पकड़ निकाल देना चाहती हैं। मज़दूर पेट पर हाथ रख, मिलों से असहयोग कर, मिलों के सामने सत्याग्रह कर अपने अधिकारों को माँगते हैं, जीवित रहने का अवसर चाहते हैं। मिल-मालिक साधनहीन मज़दूरों की शरीरी का फ़ायदा उठा दूसरे मज़दूरों को उनकी जगह ले आना चाहते हैं। मज़दूर मिलों के सामने धरना देकर अपने साथियों से अनुनय-विनय कर अपने और अपने बाल-बच्चों के पेट की रोटी सदा के लिये न छीन लेने के लिये अनुरोध करते हैं। जब उनकी अवश्या की जाती है, वे भूमि पर लेट जाते हैं और कहते हैं—मिल में जाना है तो जाओ, पर हमारे शरीर को अपने जूतों से कुचल कर जाओ।

महात्मा जी का विष्टिकोण

महात्मा जी कहते हैं यह अनुचित है। मज़दूरों को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं। जब महात्मा जी इस सत्याग्रह की निनदा करते हैं तो जरूर

ही यह अनुचित है। उनका दावा है—“As the author of peaceful picketing, I cannot recall a single instance, in which I encouraged such picketing” अर्थात् सत्याग्रह के प्रतिपादक की हैसियत से मुझे एक भी ऐसे अवसर की याद नहीं जब मैंने इस प्रकार के धरने को प्रोत्साहन दिया हूँ। धरसना के नमक सत्याग्रह की याद दिलाने पर आप फ़रमाते हैं, धरसना में नमक के कारखानों पर क़ब्ज़ा किया गया और उस पर अपना आधिपत्य रखने की भी चेष्टा की गयी, परन्तु वह तो सरकार के विरुद्ध था।

महात्मा जी के भक्त कहते हैं, महात्मा जी के शब्दों का अर्थ समझ लेना खिलवाड़ नहीं। इसलिये हम दावा नहीं करेंगे कि हम उनके उपरोक्त कथन का अर्थ समझ गये हैं, परन्तु कोशिश किये बिना भी नहीं रह सकते। हम अगर इस कथन का कुछ भी अर्थ समझें हैं, तो यह कि सत्याग्रह केवल सरकार के ही विरुद्ध किया जा सकता है। हम पूछते हैं, सरकार नामधारी शक्ति के अतिरिक्त यदि कोई अन्य शक्ति असहायों और दलितों पर अत्याचार करे तो दलित और असहाय जनता का क्या कर्तव्य होना चाहिये? क्या वे चुपचाप कायरता से अत्याचार को सहते चले जाय?………क्या वे लाठी लेकर उस अत्याचार का मुकाबिला करने लगें?

अनेक अवसरों पर जिन लोगों ने आत्मामिमान छोड़ कायरता के कारण लांछन, अपमान और पशुवत व्यवहार सहन किया है; उनकी महात्मा जी ने घोर निन्दा की है। उन्होंने कहा है—कायरतावश जो लोग अहिंसा का अनुकरण करते हैं उन लोगों की अपेक्षा वे लोग कहीं अच्छे हैं, जो हिंसक होते हुए कम से कम वीर तो हैं।

अहिंसा के नाम पर

मजदूरों के लाठी लेकर अपने अधिकारों की मांग पेश करने से महात्मा जी उनके क्या-क्या नाम धरते यह हमें न पूछने की आवश्यकता है और न बताने की। इन मजदूरों के लाठी लेकर चलने पर महात्मा जी क्या कहते और क्या नहीं कहते, इस बात को जाने दीजिए। हमारे लिये इतना ही वर्णाप्त है कि स्वर्यं कांग्रेस की सरकारें, जो कांग्रेस ब्रिटिश शासनकाल में मजदूरों की मांगों का औचित्य स्वीकार करती रहीं इन मजदूरों को लाठी उठा लेने पर, इन्हें बलवाई कह कर सैनिक और पुलिस शक्ति से इनका

दमन कर देतीं। * मिल-मालिक उससे बहुत-खुश होते और महात्मा जी का दावा भी क्षायम रह जाता कि अहिंसा और सत्याग्रह को उनके अतिरिक्त दूसरा कोई व्यक्ति व्यवहार में नहीं ला सकता।

हिन्दू-मुस्लिम दंगों के अवसर पर जब कांग्रेसी सरकारों ने बलवाइयों का दमन पुलिस और फौज की शक्ति से किया महात्मा जी को यह बहुत बुरा मालूम हुआ। उस समय उन्होंने कहा कि हम लोगों को अहिंसा का व्यवहार केवल राजनैतिक क्षेत्र में या सरकार के विशद्ध आन्दोलन में ही नहीं करना है, अपितु अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में करना चाहिये। आज जब मजदूर अहिंसा और सत्याग्रह से अपने अधिकारों के लिये मिल-मालिकों का सामना करते हैं तो महात्मा जी को यह भी उचित नहीं जान पड़ता। शराब के ऊपर धरना देने के लिये और विदेशी कपड़े की विक्री रोकने के लिये क्या धरना देने के बे सभी उपाय काम में नहीं लाये गये, जिनका उपयोग इस समय मजदूरों ने किया है? उस समय वह कार्य अहिंसा था परन्तु आज वह विशुद्ध हिंसा हो गया। गनू देसाई ने कांग्रेस के आदेश के अनुकूल विदेशी कपड़ा बाजार में लाने के विरोध में लारी के सामने लेट धरना दिया और प्राण दे दिये। क्या हम पूछ सकते हैं, गनू देसाई ने जिस सत्याग्रह में जान दी थी, वह हिंसा-पूर्ण था या अहिंसा-पूर्ण?

दुरंगी नीति

आपने अनेक परस्पर-विरोधी व्यवहार देखे होंगे, पर ऐसा विचित्र व्यवहार न देखा होगा। दंगों के अवसरों पर कांग्रेसी सरकारों द्वारा पुलिस और फौज का उपयोग करने पर महात्मा जी ने कहा कि पुलिस और फौज की सहायता से दंगे का दमन कर कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने अपनी अयोग्यता का परिचय दिया, वे अपने आदर्श से गिर गये! परन्तु महात्मा जी मिल-मालिकों के पुलिस की सहायता लेने के अधिकार का समर्थन कर रहे हैं और साथ ही कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों का यह कर्तव्य समझते हैं कि वे पुलिस द्वारा मिल-मालिकों की सहायता करें। साम्प्रदायिक दंगा करने वालों और गुरुडों का पुलिस द्वारा दमन करना गांधी जी को सहन नहीं, उन्हें वे प्रेम से समझाना चाहते हैं, परन्तु मजदूरों को पुलिस द्वारा दबाना उनकी इच्छा में उचित है। इस तर्क या नीति का क्या आधार है? हम नहीं समझ सके।

* १९१६ में यह बात केवल अनुमान थी परन्तु १९१८ में कांग्रेस सरकारों ने मजदूरों की सभी हड्डतालों को अवैद्य घोषित कर दिया है।

सभी दार्शनिकों का विचार है कि नीति के आदर्श संसार भर के लिए एक होने चाहिए परन्तु महात्मा जी मज़दूरों का मिल-मालिकों के विरुद्ध सत्याग्रह और अहिंसा की नीति का व्यवहार उचित नहीं समझते। सत्याग्रह और अहिंसा का ठेका वे अपने ही पास रखना चाहते हैं। यदि हम महात्मा जी के रवैये को निरा महापुस्तबों का विरोधाभास ही कह कर नहीं छोड़ देना चाहते तो हमें इसकी तह में जाना होगा। यह देखना होगा कि उनके इस बेमेल नैतिक सिद्धान्त की बुनियाद कहाँ है? समय-समय पर वे परस्पर-विरोधी सिद्धान्त का समर्थन जान-बूझ कर करते हैं या अपने संस्कारों के कारण?

मनुष्य नितान्त निस्वार्थ और त्यागी होकर भी दरअसल स्वार्थ की उस प्रेरणा से मुक्ति नहीं पा सकता, जो उसके संस्कारों की बुनियाद में पीढ़ी दर पीढ़ी से बसती चली आयी है। महात्मा जी का न्याय और निस्वार्थ भाव प्रशंसा के धोख्य होने पर भी वह अपनी श्रेणी के हित के चक्कर से नहीं निकल सका। जिस श्रेणी के धर्म-विश्वास, जिस श्रेणी की दार्शनिकता की बुनियाद पर महात्मा जी के संस्कार पनपे हैं, जब सत्याग्रह का सिद्धान्त उसी श्रेणी के स्वार्थ पर बार करने लगेगा तो वह निश्चय ही महात्मा जी की वृष्टि में अन्याय हो जायगा।

सत्याग्रह को पूँजीवादी श्रेणी पर बार करते देख महात्मा जी का पैतरा बदल जाना यह बात स्पष्ट कर देता है कि महात्मा जी का लक्ष्य या उद्देश्य स्वयं सत्याग्रह या अहिंसा ही नहीं, वह है—उस श्रेणी के स्वार्थों की रक्षा, जिनके वे स्वयं अंग हैं। महात्मा जी पूँजीपतियों से आशा रखते हैं कि वे कृपा और कर्मणा से एक दुकङ्ग रंक और मज़दूर की ओर फैक देंगे। परन्तु इस बात को सहन नहीं कर सकते कि रंक और मज़दूर ही मालिक के स्थान पर जा बैठे। ऐसा होने से महात्मा जी के सिद्धान्त जिस श्रेणी की दार्शनिकता पर कायम हैं, वह श्रेणी ही मिट जायगी।



जेल-सुधार

शरीर पर कोङ्गा हो जाने पर दर्द और कष तो होता ही है परन्तु वह घिनौना भी बहुत मालूम पड़ता है। उस ओर देखने को मन नहीं चाहता। परन्तु यदि उसकी उपेक्षा की जाय तो वह शरीर को बेचैन कर देगा और ताज्ज्ञव नहीं जो शरीर को ही ले ड्वेट। 'जेल' समाज के शरीर में कोड़े हैं। समाज की शासक और नियन्त्रक शक्तियाँ समाज के मवाद को खीच-खीच कर यहाँ इकट्ठा कर देती हैं। इसके बाद आवश्यक हो जाता है कि उस मवाद को साफ कर शरीर के रक्ताणुओं (Red corpuscles) को नचाया जाय और अगर मवाद इतनी मात्रा में बढ़ गया है—इतना विषाक्त हो गया है कि सुधर नहीं सकता तो अंग के कुछ भाग को या पूर्ण अंग को ही शेष शरीर की रक्षा के लिये काट दिया जाय।

पहले ज़माने की ज़राही यही थी और अशिक्षित देशों में आज दिन तक विगड़े फोड़े का यही उपचार है कि अङ्ग का भाग काट दिया जाय। परन्तु चिकित्सा शास्त्र के विकास के साथ सभ्य समाज में अङ्गों को यथा-सम्भव बचा ही लिया जाता है। वही बात जेलों के सम्बन्ध में लागू होती है। पहले अपराधी पकड़ा जाता था और उसको तुरन्त दण्ड देकर किसा समाप्त कर दिया जाता था। चोरी की है, हाथ काट दो। गाली दी है, ज़बान काट दो! कल्त्त किया है, सर काट दो। अगर जेलखाने ही भेजना है तो सूखे कुएँ में डाल दो। रस्सी में बाँध कर रोटी का ढुकड़ा और पानी का लोया नोचे पहुँचा दिया जाता था।

आज ज़माना है कि कैदियों के साथ भी मनुष्यता का ही सलूक करने की दुहाई दी जाती है। उन्हें मारिए-पीटिए नहीं, गाली न दीजिए। खाने को इन्सान का सा खाना दीजिए। पहनने को इन्सानों का सा कपड़ा दीजिए। भले आदमी की तरह उनसे बात कीजिए। ऐसे भी भले आदमी हैं, जिन्हें

यह सब बातें वेहूदी मजाक मालूम होती हैं। कुछ दूर की कौड़ी लाने वाले समझते हैं कि कांग्रेस सरकार का भी एक दिन आया है। उन्हें भी अपने चमड़े का सिक्का चला लेने दीजिये, और तमाशा देखिये। आखिर कांग्रेसी मिनिस्टरों को एक दिन फिर जेल जाना है।* इसलिये यदि वे समय रहते अपने लिये मुनासिब प्रबन्ध करना चाहें तो इसमें क्या अचरज !

जेल के अफसर अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि इस लाइ-प्यार से छैदी और भी बिगड़ेगे। अपराधियों की संख्या और भी बढ़ेगी। जेल सजा देने की जगह है, न कि मेहमानदारी की !

किसका ख्याल ठीक है, यह समय के दृष्टिकोण पर निर्भर है। पहले समय का दृष्टिकोण था—दुष्ट अपराधी आतावी है; वह समाज को हानि पहुँचाता है; उससे बदला लेना चाहिए। आज का ख्याल इससे भिन्न है आज दिन के समाज-शास्त्री कहते हैं कि अपराधी समाज को हानि ज़रूर पहुँचाता है, परन्तु इस हानि का बदला ले लेने से यह हानि पूरी नहीं होती। वह अपराधी को निर्वल मस्तिष्क या विकृत प्रकृति का मनुष्य समझते हैं। जैसे शारीरिक व्याधियों का इलाज किया जाता है इसी प्रकार मस्तिष्क की व्याधियों का इलाज कर वे अपराधी को समाज के तुश्मन के बजाय समाज का उपयोगी अंग बना लेना चाहते हैं।

पिछले समय में जेलखानों का जो उद्देश्य रहा हो, आज के सम्बन्ध समाज में जेलखानों का उद्देश्य अपराधी को सुधारना है। उसके मस्तिष्क और प्रवृत्तियों को सुमारा पर लाना है। इसी विचार से प्रायः यूरोप में जेलखानों को 'सुधार-गृह' (House of correction) का नाम दिया जाता है। अपराधी को सुधारने के लिये कौन उपाय सफल हो सकते हैं, यह निश्चय करना और उन उपायों को काम में लाना ही इन संस्थाओं का उद्देश्य है। अत्यन्त कठोर परिस्थिति में रह कर अपराधी के मस्तिष्क में जो कुछ मनुष्यता और सहृदयता शेष रहती है वह भी जड़ हो जाती है। वह समाज का और भी अधिक शत्रु बन जाता है। उसकी उपमा उस हिंसक पशु से दी जा सकती है जो मनुष्य रूप में विचर कर मनुष्य-समाज को निगल जाना चाहता है।

हमारे देश के जेलखाने अभी पुराने दरें पर ही चल रहे हैं। हम भी सुधार की ओर क़दम बढ़ाने का दावा करते हैं हम कहते हैं कि बर्बरता की उस अवस्था में; जिसमें अपराधी से बदला लेना ही न्याय का उद्देश्य था, जब आँख

* १९३६ में लोग ऐसी बातें कहते थे।

के बदले आँख दाँत के बदले दाँत तोड़ने का नियम था, जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता था उस अवस्था को हम पार कर चुके हैं। परन्तु हम अब भी क़ातिलों को फौसी पर झुलाते हैं, डाकुओं और दूसरे अपराधियों को आजन्म क़ैद या लम्बी-लम्बी क़ैद की सजाएँ देते हैं। शायद वह सब कुछ सुधार के आदर्श को पूरा करने का उपाय है।

जिसे आपने फौसी के द्वार के उस पार पहुँचा दिया, वह तो केवल परिजनों के दिल को दाढ़ा देकर ख़त्म हो गया। समाज को उसकी चिन्ता करने की ज़रूरत नहीं परन्तु जो व्यक्ति उम्र भर के लिये—बीस, पंद्रह, दस या पाँच-सात साल के लिये जेलस्थाने भेज दिया गया, वह समाज का शत्रु है। समाज उसे आयु भर या चिरकाल तक अपने खर्चे पर पालता पोसता रहता है। यदि अपराधी या आतातायी के जीवन में सुधार जाने की कोई आशा नहीं, तो उसे समाज के गले का बोझ बना देना कौन न्याय है? इस में कौन बुद्धिमता और कौन दूरन्देशी है? जिन लोगों से समाज को सदा हानि ही पहुँचने की आशा हो, ऐसे लोगों को तो हैज़ा, प्लेग आदि के कीटाणुओं की तरह नष्ट कर देने में ही कल्याण है। आतातायी या अपराधी को समाज के सिर का बोझ बना कर रखने के लिये यदि कोई युक्ति हो सकती है तो वह यही कि उसे हम विशेष कारणों के कारण मरिटिष्ट का रोगी समझते हैं और इस बात की आशा रखते हैं कि उचित उपायों से उसका सुधार हो सकता है।

यदि सुधार ही सचमुच हमारा उद्देश्य हो, तो उसके अनुरूप परिस्थितियाँ भी पैदा करनी होगी और विपरीत परिस्थितियों का निवारण भी करना होगा। पहिला सबाल यही उठता है कि जो आदमी किन्हीं कारणों से आसाधारण और विकृत अवस्था में है, उसे सुधारने के लिये दुष्ट प्रवृत्ति की संगति से बचाया जाय। इसलिये आप उसे जेल में ले आते हैं। जेल में हमें उस व्यक्ति को सुधारने के लिये केवल नितान्त आवश्यक समय तक ही रखना चाहिए। पल्टन में जो लोग भर्ती होते हैं, उन्हें लगभग छः मास तक शिक्षा दी जाती है। इतने समय में भर्ती हुआ गोरखा-किसान या अल्हड़ मज़दूर सुध़इ सिपाही में बदल जाता है। उसका स्वभाव, प्रकृति और प्रवृत्ति सब बदल जाती है। एक अपराधी की मनोवृत्ति को बदलने के लिये इससे दुगना, तिगुना, न सही चौगुना समय पर्याप्त होना चाहिये। आयु भर के लिये एक आदमी को पिंजरे में बन्द कर देने में क्या औचित्य और उपयोगिता है? या इसी बात को दूसरे शब्दों में कहें—मुद्दतों भले

आदमियों पर टैक्स का बोझ लाद कर इन आतताइयों को खिला-पिला कर पालने में कौन सा न्याय है ?

एक साधारण अपराधी पर जेल में काटे हुए समय का क्या असर पड़ता है, यह भी सोचने की बात है। जिस समय अपराधी आरम्भ में जेल के फाटक के भीतर क़दम रखता है, उसका मन भय और अपनी करनी के प्रति पश्चाताप और परिताप से कांप उठता है। उसे संसार अंधकारमय दिखायी देता है। प्रतिक्षण वह उस आभागे ज्ञान को कोसता है जब उस से न जाने कैसे कोई चूक हो गयी या उसकी अकल पर पर्दा पड़ गया। वह रो-रोकर अपने देवता से ज्ञान और सहायता की प्रार्थना करता है। भविष्य में निष्कर्लंक और संयम का जीवन व्यतीत करने का प्रण करता है। यह है समय, जब आप उसे नये सांचे में ढाल सकते हैं।

छः मास बीत जाने पर वह उतना द्रवित नहीं रहता। वह सोचता है—“भाग्य के विद्रप से वह नरक में आ पड़ा है। उसे चुपचाप समय काट कर बाहर पहुँचना है।”

एक साल और बीतता है। अब उसे कभी ही कभी घर की याद आती है। जेल के भीतर आते ही उसे जीवन जैसे विलकुल असम्भव मालूम होता था, वह बात अब नहीं। वह ‘तिकड़म’ सीख गया है। उसके गुण, स्वभाव जेल के बातावरण के अनुरूप हो गये हैं। जेल उसका घर हो गया है। जेल के भीतर ही चारुर्य से छोटी-मोटी चोरी कर वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है।

वर्ष पर वर्ष गुजर जाते हैं। आखिर एक दिन आता है वह अपने चिर आवास को छोड़कर पुराने, परन्तु भूले हुए संसार में जाता है, जहाँ बहुत दिन हुए उसकी जड़ें उखड़ चुकी हैं, जहाँ उसके लिये समाज की ओर से तिरस्कार और पुलिस की ओर से पग-पग पर शंका प्रतीक्षा कर रही है। कई दिन पहले से उसकी भूख और नींद हराम हो जाती है। उसे आसरा किसका है। जेल में आत्मसम्मान और नैतिकता को खोकर भी उसने कुछ सीखा है। उसने सीख लिया है, अपने से अधिक अनुभवी अपराधियों से अपराध की कला को। उसे अब पुलिस को चक्रमा दे सकने की अपनी ज़मता पर अधिक विश्वास है। अब वह उतनी जल्दी न्याय के जाल में नहीं फँस जायगा और यदि फँस भी जायगा, तो क्या ? जेल ही तो जायगा। आयु का इतना बड़ा भाग जहाँ उसने काट दिया है, क्या शेष न काट सकेगा !

अब जरा यह भी देखना है कि कैदी को आत्म-सुधार के लिये क्या प्रोत्साहन मिलता है ? जेल का कोई भी अफसर—महाप्रभु सुपरिएटरडेण्ट से लेकर कुद्र चपरासी तक अपना यह कर्तव्य नहीं समझता कि कैदी को सहानु-भूति या प्रोत्साहन का एक भी शब्द कहे । उन्हें मतलब है जेल के क्रान्ति और अपना रोब पूरा रखने से । जेल का मंत्र है—“कम खाना, गम खाना, तब कटे जेलखाना ।” इस व्यवस्था में सुधार को कहाँ स्थान है ?

हमारा कायदा है कि पुलिस ने अपराधी को पकड़ आदालत के सामने पेश कर दिया । जो सज्जाएँ आज से सौ वर्ष पूर्व के सामाजिक विकास के अनुरूप थीं, लड़ियों और श्रेष्ठियों में गुथी हुईं ‘पेनल-कोड’ में सजी हैं । जब साहब ने देखा—अपराध के नाम से जो माला अपराधी के गले में फिट आयी, अपराधी को सज्जा के रूप में पहना दी । आदालत से जेल के नाम बारेण्ट चला—यह सज्जा अमुक आदमी पर पूरी की जानी चाहिए । जेल को और बात से मतलब नहीं, मतलब है सज्जा देने से ।

‘पेनल-कोड’ यानी दरड विधान दरड देता है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता । जेल उस दरड को पूरा करता है । कैदी दरड को दाँत पीस कर भेलता है । समाज दरड का खर्च निभाने के लिये टैक्स भरता है । कैदी छूटता है, जैसा पहले था वैसा ही नहीं, बल्कि उससे बहुत भयंकर बन कर । फिर वही चक्र—वही चोर-कोतवाल का खेल ।

यदि हम दर-असल सुधार चाहते हैं, तो उसमें प्रतिकार और दरड-विधान के हिये जगह नहीं, उसमें सुधार-विधान होना चाहिए । आज जेल सुधार का मतलब समझा जा रहा है—भुने हुए चने की जगह छौंके हुए चने, दाल में कुछ जीरा-धनिया, ओढ़ने के लिये गर्मियों में एक गाढ़े की चहर, हो सके तो थोड़ा सा खेल-कूद ।

ज़रूरत है, असल में समस्या को जल्लाद की घण्टि से न देखकर शिक्षक की घण्टि से देखने की ! ज़रूरत है, अपराधी को केवल शिक्षा के लिए, सुधार के लिये कुछ समय तक एक अलग जगह में रखने की । आयु भर तक उसे पिंजरे में ज़कड़ कर, उसके शरीर को निढाल, मस्तिष्क को कुन्द और अनुभूति को ज़ड़ बनाकर समाज के लिये बोझ बना देने की नहीं । ज़रूरत तो असल में है—हमारे दरड-विधान की जगह एक सुधार-विधान की ! सुधार की भावना के अनुरूप तो वही होगा ।

इमारी गुलामी तुम्हें मुबारिक

हम सुबह की सैर से लौटते समय एक हश्य देखने के आदी हो गये थे। लादूश रोड पर एक दूकान में—वह कमरा बनाया तो गया था—दूकान सजाने के लिये परन्तु वहाँ दूकान न थी। एक मामूली सी खाट कमरे के बीचों-बीच पड़ी रहती और भले आदमियों के जैसे विस्तर पर एक आदमी पड़ा रहता। आदमी के अंग प्रत्यंग बहुत दुबते और निढाल से जान पड़ते थे और रंग एकदम विश्री, पीला सा। आँखें चेहरे पर अनुपात से बड़ी और सहायता के लिये पुकारती सीं।

भले घर के से रूप-रंग की एक औरत भाड़ से कमरे और बरामदे को झाड़ती दिखाई पड़ती। कभी वह मरीज़ की कराहट सुन उसकी ओर देखती है और कभी कर्श पर बैठे गोद के बच्चे का रोना सुन उसकी ओर ध्यान देती।

स्त्री, पुरुष और संतान का यह छोटा सा परिवार कुछ बेसौका सा मालूम होता था। मैंने उनसे पूछा—‘दूकान में यह घर कैसा’?

उन्होंने कहा—“जान पड़ता है, यह आदमी बीमार है, इताज के लिये लखनऊ आया है। यह लोग यहाँ अपरिचित हैं। मकान ढूँढ़ने की सुविधा नहीं हुई, इसलिए दूकान में ही बस गये हैं।”

उस दूकान के समीप से गुज़रते समय ध्यान अवश्य उधर चला जाता। कुछ दूर मैं उसी परिवार की बात सोचती चली जाती। आखिर सङ्क के दायीं और के एक बँगले से हार सिंगार के फूलों की सुगंध आकर ध्यान बदल देती।

वह आदमी बीमार था, उसकी हालत करणा-जनक थी; परन्तु मुझे उस स्त्री का ही ध्यान अधिक आता था। उसके चेहरे पर एक विषरण

निराशा सी, भाग्य के सामने पराजय स्वीकार कर लेने का सा भाव छाया रहता था। उसका चेहरा भाव शून्य-सा जान पड़ता था। पति बीमार है, इसलिये उसके दुःख और चिन्ता का अन्त नहीं। इसे पति की तीमारदारी से ही कुर्सें नहीं मिलती होगी, तिस पर इसे परदेश में सहायता देने वाला कौन है? बाज़ार से सौदा-सुलफ लाने का भी काम इसी को करना पड़ता होगा और बच्चा गोद में है।

बच्चा गोद में है—कितनी मामूली सी बात है कह देने को; परन्तु जिसे बच्चा गोद में लेकर पालना पड़ता है, उससे धूँछिये। बच्चा गोद में होने का अर्थ है, रक्त-मांस के एक लोथड़े को तिल-तिल कर आदमी बनाना। आप आदमी को देखकर उस भगवान की महानता का अनुमान करते हैं और श्रद्धा से उसके चरणों में सिर नवा देते हो।

वह भगवान कहाँ है, कैसे आदमी की रचना करते हैं, कौन जानता है? हम देखते हैं, गली-गली, घर-घर आदमी की रचना हो रही है; परन्तु इन रचनाएँ कोई कुछ नहीं समझता। वर्ष मास, सप्ताह, दिन, घण्टे और सेकण्ड का वह कौन भाग है जिसमें आदमी रचना का उत्तरदायित्व लिये इन प्राणियों को चिन्ता से छुट्टी मिलती हो।

खैर, वह भले घर की ओरत; उसका आदमी खाट पर पड़ा है। वह उसकी तीमारदारी में, चिंता से पल भर को छुट्टी नहीं पा सकती। वह अपनी गोद में एक आदमी की रचना भी कर रही है। उसके सिर कितना बोझ है? इन हो आदमियों का और अपना पेट उसे नित्य भरना है। दिन में, रात में उनकी प्रत्येक आवश्यकता को उसे पूरा करना है। उसका अपना अस्तित्व कुछ नहीं, वह अपने आराम या कष्ट की चिंता नहीं कर सकती, उसका अपना समय कोई नहीं, उसे आराम का कुछ अधिकार नहीं। अगर वह अपने आराम का ख्याल करती है तो वह दुष्टा है; नहीं, वह डायन है।

किसी भले-चंगे आदमी के आराम की चिन्ता करना क्या होता है? इसे शायद मेरी बात पढ़ने वाले मुश्किल से जानते होंगे। मैं कुछ-कुछ जानती हूँ। 'इन्हें' अगर पानी के गिलास की ज़रूरत हो, या सिगरेट जलाने के लिये दियासलाई की ज़रूरत हो और वह मुँह से हुक्म निकलते ही सामने न आ जाय तो इन्हें ऐसा मालूम होता है कि संसार का सब नियम बिगड़ गया, वह अब नष्ट हुआ ही चाहता है। और मैं सोच रही थी—बीमार और बच्चे की बाल, जो सामने रखे गिलास को उठाकर पानी भी नहीं पी सकते, जिन्हें

पेट भरने और खाली करने के लिये हर बक्क दो हाथों के इशारे की ज़रूरत है। जो मुँह से कुछ कह भी नहीं सकते, जिनकी आँख का भाव ही समझना होगा, जो शायद प्रांत और देश की राजनैतिक और आर्थिक आवश्यकताओं और परिवर्तनों को भाँप लेने से आसान नहीं है। वह यह सब कुछ करती है, परन्तु पड़ोस में रहने वाले भी शायद इसे नहीं जानते।

मैंने कई पत्र-पत्रिकाओं में मंत्री पंडित गोविन्द वल्लभ पंत की दिनचर्या बढ़ाई है। लोग कहते हैं—उन्हें भोजन करने और सोने की फुर्सत भी नहीं मिलती, उनका त्याग धन्य है; लोग उनकी जय-जय पुकारते हैं। लोग उनके दर्शनों को तरसते हैं। सारा प्रांत उनकी ड़ॅगली के इशारे को सरक्ता से देखता है। शायद यही उनके अनवरत परिश्रम का पुरस्कार उन्हें मिलता है। परन्तु स्त्री को—उन सब लिंगों को जिनसे गली-मुहल्ले भरे हुए हैं, क्या पुरस्कार मिलता है? उनके लिये पुरस्कार का सवाल नहीं उठता, न उठे कैसे? यह उनका काम है। इसीलिये उनकी सुष्ठि हुई है।

हमारा कुत्ता रात भर जाग कर घर की रखवाली करती है। इशारे पर बिजली की तरह लेपक कर आता है। कोई हमें छू सके, इससे पहले वह अपनी जान तक दे देगा। एक प्याले में, जो बरामदे में पड़ा रहता है, उसे रोटी डाल दी जाती है। घर में उसका कोई निश्चित स्थान नहीं। उसे मैंने कभी 'थैंक्स' नहीं कहा। यदि कहूँ तो उसी दिन सूरज छूवने से पहले यागल-खाने भेज दी जाऊँगी। सामने के मकान में जो लाला जी रहते हैं, उनकी धोड़ी घर भर को गाढ़ी में लाद कर भीलों घसीटती है; पर मुझे यक़ीन है कि समझदार लाला जी ने धोड़ी की इस सेवा का पुरस्कार देने की बात नहीं सोची होगी।

यूनान आज मिट सा गया है; परन्तु वह दिन भी था, जब यूनान ही संसार का गुरु था। हमारे भारत को ही लीजिए, एक समय क्या था? भारत और यूनान की उस समय की समृद्धि संसार को चकाचौंध करती थी। दोनों ही संसार सम्यता के जन्म-दाता समझे जाते हैं। यूनान की सम्यता का आधार था, वहाँ की दास प्रथा। दास प्रथा का नाम सुनकर आपके माथे पर बत व्याप्ति पड़ता है! नाक ऊपर व्याप्ति चढ़ जाती है!

इतिहास के सब विद्वान और महान् मार्क्सवादी भी इस बात के गवाह हैं कि अगर दुनिया में दास-प्रथा न होती तो सम्यता का विकास भी ऐसा न होता। न बन पाते यूनान के सुन्दर मन्दिर और धियेटर, न बन पाते

मिश्र के पिरामिड, न बन पाती चीन की दीवार, न बन पाती अजन्ता की गुफाएँ, दिल्ली की मीनार और आगरे का ताज ।

आहा ! वह कैसा सुन्दर दृश्य होगा जब पाँच सौ नर-पशु—मेरा मतलब है गुलाम—पंक्तियों में रस्सियों से बँधे हज़ारों मन पत्थरों से लदी गाड़ियों को खींचते होंगे । उनके पसीने से चमकते हुए शरीरों पर पसीने की धार बह कर धारियाँ पड़ जाती होंगी और घोड़ों पर सवार गुलामों के जमादार लम्बे कोडे फटकार कर उन गुलामों को जल्दी-जल्दी चलने के लिये ललकारते होंगे । कोई साँस तोड़ गिर पड़ता, कोड़ा सड़ाक से बोलता होगा, गुलाम के शरीर पर एक सिंदूरी रेखा बन जाती होगी, पसीने में रक्त का मेल होकर जब लाल-लाल धारियाँ बन जाती होंगी, जब दबी हुई हाय सैकड़ों करठों से निकलती होगी । वह कैसा सुन्दर दृश्य होगा, जब दासप्रथा मनुष्य-समाज की सम्भता के रथ के लिये यों राज-पथ तैयार करती होगी !

क्या अब ज़माना बदल गया है ? क्या अब स्वतंत्रता, समता और न्याय का ज़माना है ? आदमियों के लिये होगा । ज़ियाँ तो आदमी नहीं हैं, कभी थीं भी नहीं । उनके लिये स्वतंत्रता, समता और न्याय का प्रश्न कैसा ? देखिये, मनु महाराज ने समाज की सुष्ठि के आदिमें ही कह दिया था कि स्त्री बचपन में पिता के, जवानी में पति के और बुढ़ापे में पुत्र के आधीन रहेगी । जैसे पाँच ‘क’ कार और ‘म’कार होते, वैसे ही ज़ियाँ के लिये तीन ‘प’कार है—पिता, पति और पुत्र इस से बाहर उनका ज्ञेत्र न है, न होना चाहिए । मैं कहती हूँ, स्त्री आदमी नहीं है । बन्दर की शक्ति आदमी से बहुत कुछ मिलती-जुलती है, पर वह आदमी नहीं । स्त्री की शक्ति भी आदमियों से बहुत अधिक मिलती है लेकिन इससे वह आदमी नहीं बन जायगी । चीनी लोगों में विश्वास था कि स्त्री के आत्मा नहीं होती । युरोप के विद्वान् भी एक समय इस समस्या में उलझे हुए थे कि स्त्री में आत्मा होती है या नहीं ? अब तो आत्मा का ज़माना ही नहीं रहा । भला हो (Materialism) या भौतिक वाद का, अब ज़ियाँ में आत्मा होने न होने से कुछ विगड़ने की सम्भावना ही नहीं रही ।

स्त्री न आदमी है, न आदमी का दर्जा ही पा सकती है । वह और घरेलू पशुओं की ही तरह आदमी के उपयोग की चीज़ है । हाँ, बहुत ही अधिक उपयोग की चीज़ है । उसके बिना आदमी का काम नहीं चल सकता । इसलिये कभी-कभी आदमी भावावेश में आकर उसे पूज्य भी बता

देता है। जैसे हम गाय के दूध के बिना काम न चल सकने के कारण गौ माता कहते हैं और उसके गले में रसी बाँधकर खुंटे पर लड़ा कर देते हैं, या नदी को गंगा मैया कह कर शहर का मल उसमें बहा देते हैं; इन चीजों की सार्थकता इसी बात में है कि वह मनुष्यदेव के क्रितने उपयोग में आती हैं।

क्या दासता का ज़माना नहीं रहा? इस शहर के गली-मुहल्लों में घर-घर में आदमी बनाने की जो कठिन मेहनत की जा रही है, उस मेहनत में लगी हुई लियों को आप दास न कह कर और क्या कहेंगे? यह सब वह किस पुरस्कार या मेहनत के लिये करती हैं? समाज को क्षायम रखने के लिये? समाज से उन्हें क्या लेना-देना? समाज में उनका कुछ अधिकार नहीं! जब उनका अधिकार नहीं, तो समाज उनका नहीं। वे समाज की हैं, समाज उनका नहीं।

आपने सुना होगा, जब समाजवाद पर वहस चलती है और कहा जाता है कि समाजवाद आने पर सम्पत्ति सबकी साभी हो जायगी, तब मनचले पूछा करते हैं—तब तो औरतें भी समाज में साभी सम्पत्ति हो जायेंगी! यह है, आदमी की ज़हनियत और उसका संस्कार, जो सभ्यता के आडम्बर को फोड़ कर बीच से बोल पड़ता है।

बात तो कह रही थी उस दूकान में रहने वाले परिवार की:—कल उस दूकान में दो तीन और भी औरतें दिखायी पढ़ी थीं। सबकी सब परेशान थीं। हम लोगों ने समझ लिया—शायद बीमार की हालत ख़राब होने की ख़बर पाकर कोई सगे-समन्धी आये होंगे। आज जब हम लोग सैर से लौट रहे थे तो ‘भाईदूज’ के दिन कुछ छोटी-छोटी लड़कियाँ हाथों में फूल लिये किलकती जा रही थीं। भाई उनके अभिमान से सिर उठाये साथ चले जा रहे थे। आज उन्हें तिलक होगा। आज वह छोकरे समझेंगे—हम मद्द इन बहिन नामधारी आश्रित जीवों के रक्षक हैं।

आज दूर से ही उस दूकान ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। वहाँ से वेदनाभरी चीत्कार का शब्द आ रहा था। दिल कुछ भुरा सा होने लगा। समीप आकर उधर आँख उठाने में डर लगता था परन्तु आँख रहती न थी। सिर के बाल खोले, कपड़े अस्तव्यस्त, वे भले घर की लियाँ सर और छाती पीट रही थीं। वह मर गया।

वह भले घर की लियाँ, लज्जा जिनका प्राण है, बात करती हैं तो ऐसे कि कोई सुन न ले, इस तरह से चीत्कार कर रही थीं। उन्हें सुध नहीं थी।

कि लोग उन्हें इस अस्त-व्यस्त अशोभनीय अवस्था में देख रहे थे। उनमें से सब से बेहाल थीं; वही जरूर उसकी स्त्री थी।

क्यों न वह यों दुखी हो—उसका संसार आज समाप्त हो गया—उस बात को छोड़ो, उसका ध्यान कर मन दुखी होता है।………कलेजा मुँह को आने लगता है।

परन्तु यदि इससे उलटा हो जाता, यानी वह स्त्री मर जाती, तो क्या इतना बाचता मचता ? वह औरत मर जाने पर इतनी बदक्रिस्मत न होती जितनी आज न मर जाने पर है। इसीलिये समझदार बड़े-बूढ़े जब मर्द को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं—तू चिरंजीव हो। लेकिन औरत को असीस देते हैं—तेरा सुहाग बना रहे, तेरा पति चिरंजीव हो, अर्थात् तेरे जीवन की सार्थकता बनी रहे तू किसी के काम आती रहे।

कुछ लोग कहते हैं, यह सब अशिक्षा के कारण है। मैं समझती हूँ, शायद भारत में सभी अशिक्षित हैं। ज़रा कड़वी बात कहूँगी, हमारे मिनिस्टर भी अशिक्षित हैं, हमारे कॉंग्रेस के बड़े-बड़े नेता, सोशलिस्ट लोग सभी अशिक्षित हैं। यह भारत को स्वतंत्रता दिलाने की क्रियाक में जान दे रहे हैं परन्तु इनकी स्त्रियाँ चिकों के पीछे ऐसे बन्द हैं, जैसे बनारसी बाग (चिड़िया घर) की जालियों के पीछे वे जानवर जिनके उड़ या भाग जाने का ख़तरा है।

एक बड़े विद्वान डाक्टर साहब हैं, यानि Ph. D.। आप फिलासफी की दबा पिला कर मनुष्य का इताज करना विलायत से सीख आये हैं, नये विचार के हैं। उनके यहाँ भी वही हाल है जो ‘शरीक’ घरों में होता है। वे इसे अच्छा भी नहीं समझते पर लाचार हैं, क्या करें। मनोविज्ञान शास्त्र के परिणत हैं इसलिये उन्होंने इसका कारण भी छूँढ़ निकाला है। आप कहते हैं “Women-folk do not like to cross the limit of Harem because they do not like to take the responsibility. They shirk it. They haven't got the stamina” स्त्रियाँ हरम के संसार के बाहर नहीं आना चाहतीं, क्योंकि वे उत्तरदायित्व अपने सिर नहीं लेना चाहतीं। उनमें साहस नहीं, जीवन नहीं। इनका कहना ग़लत कैसे हो सकता है? आखिर मर्द हैं न।

हमारे साहब कहते हैं, स्त्रियों को भीतर रहते-रहते अभ्यास हो गया है। भीतर रहने में ही वे अपना सम्मान समझती हैं। उन्हें कोई देख ही नहीं

सकता, इसी घमरड में वे पूली नहीं समातीं। इनका कहना भी ठीक है। मर्द जो कहे सब ठीक है।

मैं एक बात कहती हूँ, जियाँ आदमी के लिये बहुत उपयोगी जीव हैं। कुछ लोग उन्हें सजा-धजा कर साथ लिये फिरते हैं। इसमें भी एक संतोष होता है, वैसा ही सन्तोष जैसा कि प्रदर्शनी (Dog-show) में अपना अच्छा कुत्ता खेजने से होता है। एक गर्लर पूरा होता है—देखो, हम कैसा सुन्दर जानवर लिये फिरते हैं।

हाँ, अगर रुद्धी आदमी है तो वह पुरुष के दर्जे की आदमी नहीं, वह दास है। रुद्धी दासता के सिद्धान्त पर ही समाज क्लायम है। मैं उस दासता के विरुद्ध विप्लव नहीं करना चाहती। मजे में हूँ। हमारा कुत्ता यदि विप्लव कर भागेगा तो क्या करेगा?

बहुत हो गया। अब एक बात कह दूँ—हे पुरुष ! तुम्हारी जय हो हमारा सुहाग क्लायम रहे। हमारी गुलामी तुम्हें मुबारिक हो।



पढ़ी-लिखी लड़की

पढ़ी-लिखी लड़की ? वृद्ध उसका जिक्र सुन निराशा से मुँह फेर लेते हैं, नौजवान कनिखियों से मुस्करा देते हैं और जिन्हें अपने अपद् होने का गर्व है वे कुल-बधुएँ मुह पर आँचल रख लेती हैं।

वह उपहास और वित्तणा की चीज़ है, परन्तु समाज उसका लोहा मानता है। उसकी क्रद्र किये बिना नहीं रह सकता और उसे अनिच्छा से पढ़ी-लिखी लड़की के सामने सिर झुका देना पड़ता है।

साड़ी के आँचल को सिर से नीचे खिसका कर, एक हाथ में बदुआ, और दूसरे हाथ में कुकरमुत्ता सी छोटी छतरी लिए चेहरे को पाउडर से, बावचाँड़ियाने में की गई सफेदी की तरह सफेद बना कर ऊँची घंडी के जूते से रुढ़ी जर्जरित समाज की छाती पर ठोकर लगाती हुई वह जब कालिज और बाजार पर धावा करती है तो बुजुर्ग वित्तणा से सिर झुका लेते हैं और नौजवान धृष्टता से धूरने लगते हैं। वह इन नज़रों के आघातों को अपनी रोमांचित त्वचा पर सहती, इनसे कुछ सकपकाती, कुछ प्रोत्साहित होती, अपने पैरों में सदियों से पड़ी बेड़ियों को रौंदती चली जाती है। स्वच्छन्द बायु में मनुष्यता के अधिकार का लगा स्वाद वह छोड़ नहीं सकती।

वह यह भी जानती है कि इस जाहिरा तिरस्कार के पीछे पुरुष समाज की पराजय और कायरता छिपी है। जब समाज की कसौटियों पर उत्तीर्ण होनहार नौजवान के ब्याह की बात चलेगी, जिस दिन समाज के मुकुटमणि आई० सी० एस० का घर बसाने की ज़रूरत होगी, उस दिन सूरज की रोशनी में भी दिया लेकर लोग उसे हूँ ढते फिरेंगे। उसका पिता, उसकी रुद्धिवादी माता, उसका सम्पूर्ण परिवार इस तथ्य को स्वीकार करता है। इसलिए गली-मुहल्ले की उठती उँगलियों की उपेक्षा कर बेटी को गाड़ी में बन्द कर

स्कूल भेजना पड़ता है। शादी के बाजार में उसका दर बढ़ाना ज़रूरी है; वर्ना बाजार में बाकी बच रहे सौदे की तरह उसका घर में इस्तेमाल हो जाना कोई सम्भव नहीं। वह गले का बोझ बन कर घर में पड़ी-पड़ी सड़ेगी, अपमान और बदनामी की दुर्गन्ध बन समाज में फैलेगी और वंश को ले छूबेगी। इतना ही नहीं, स्वर्ग में विश्राम करते हुए पूर्वजों को भी घसीट कर नरक में पड़ूँचा देगी।

एक समय था जब इस प्रकार की अड़चनों का इलाज हमारा समाज कर लिया करता था और भारत की देव-पूज्या वसुन्धरा को कन्या-रत्नों से उपजाऊ बनाया जाता था। लेकिन भारत में कलियुग के चरणों को दृढ़ कर जाने वाले 'लार्ड विलियम बेन्टिंग' ने वह अधिकार भी भारत की धर्म-प्रिय प्रजा से छीन लिया! अब जन्मते ही लड़की को मार देना अपराध हो गया। अब इस मुसीबत के पैदा हो जाने पर, इस वंश के राहु के उदय होने पर, उसे पालना पड़ता है।

एक समय था, लड़के पढ़ा करते थे; पर आज लड़के से ज्यादा ज़रूरी पढ़ाना लड़की का हो गया है। लड़का कमबूल पढ़ नहीं पायगा, आई० सी० एस० नहीं बनेगा, उसे दफ्तर में कहीं कुर्सी नहीं मिलेगी तो दूकान कर लेगा, कुछ न कर सकेगा घर की जायदाद सम्भाल लेगा। इससे जायगा तो भूखा ही मर जायगा। पर लड़की !—अगर उस बला को गले लगाने वाला कोई न मिला, तो वह डायन सब कुछ खा जायगी।

इस धौंस पर उसका स्कूल जाना शुरू होता है, क्रदम-क्रदम चढ़ती वह समाज के सर चढ़ जाती है और समाज के स्वामी पुरुष की चुटिया पकड़ कर मन चाहा नाच नचाती है। पुरुष बेबसी से दाँत पीसता है मगर मजबूर है। इतना ही नहीं, अब वह कहने लगी है कि समाज में उसकी भी बराबर की जगह है। वह पालतू जानवर और खानगी नौकर क्यों बनी रहे। किसी-किसी का अरमान यह है कि चूल्हे के पास न बैठकर वह दफ्तर की कुर्सीं पर बैठे, बाजार और अदालत चलायें। जो समझदार है, उनके कालेज की सीढ़ियाँ चढ़ लेने का मतलब है, जीवन भर के लिये कौमार्य जीवन में ही कमाई कर एक ऐसा आदमी कमा लेना जो उनके लिये संसार में कल्पवृक्ष के समान हो। बँगला, हवेली मुहय्या करे, फूल-सेज सजाये और दुनिया के वह सच ऐशोआराम, जिन्हें सिर्फ़ कमर तोड़ देने और दिमाग़ फोड़ देने वाली मेहनत से पाया जा सकता है, खुद तैयार करे और

‘प्राण-प्यारी’ को अर्पण करे। उनकी सम्पूर्ण शिक्षा-दीक्षा, मेहनत मशक्ति का उद्देश्य होता है, एक सफल कामयाव पुरुष की ‘प्राण-प्यारी’ बन सकने की, उसे ख़रीद सकने की योग्यता प्राप्त करना।

हमारे समाज में ही नहीं, सम्पूर्ण सृष्टि में इस प्रपञ्च को सफलता-पूर्वक रच सकना स्त्री के जीवन की सफलता है, प्रकृति ने स्त्री को सब प्रकार से निर्वल और असहाय बनाकर भी यह शक्ति दी है और स्त्री सदा से इसका उपयोग करती आयी है। वह कहने को पुरुष के पैर की ज़ूटी है लेकिन असल में उसके मुँह की लगाम रही है। मज़ा यह है कि स्त्री की यह दासता स्वीकार करना, अपने भाग्य को मोहिनी स्त्री के पैरों के तले रख देना। पुरुष अपना सौभाग्य, अपनी सफलता समझ गई से सिर ऊँचा उठा कर चलता आया है।

और पढ़ी-लिखी लड़की की अकल देखिये कि इस अधिकार और रियायत को ठोकर मारकर दर-दर, बाज़ार-बाज़ार आवारा फिरना चाहती है। सारी आयु पुरुष को बेवकूफ बना कर उसकी मज़दूरी पर चैन करने की अपेक्षा खुद मज़दूरी करने का जुनून उसके सिर पर चढ़ रहा है। घर की चार-दिवारी की अपेक्षा वह धूप और बरसात के मज़े लेना चाहती है। यह परदा, वह घूंघट, जो अब तक उसके आदर और सम्मान का चिन्ह रहा है, वह उसे फ़ाइ कर फ़ैक देना चाहती है। परदा अब उसे अपमान जान पड़ते लगा है। वह कुल बधू इतना नहीं समझ पाती कि गधे धूप और बरसात में कूड़े-करकट के ढेर पर चरते नज़र आते हैं; लेकिन कीमती धोड़े अगाड़ी बंधे, गले में दोनों तरफ़ रस्सी लगे, बन्द अस्तबल में सम्मान और इज़ज़त के साथ मालिश करते हैं। पर पढ़ी-लिखी लड़की को इतना बेवकूफ नहीं समझा जा सकता; वह तो हमारे समाज की अकल का इत्र है।

सब की वजह तो बतायी जा सकती है; लेकिन हमारे बुज़ुर्ग, भरे पेट पर हाथ फेर कर आध्यात्म चिन्तन करने वाले आदर्शवादी बुज़ुर्ग बौख़ला पड़ेंगे। कहेंगे, हर बात में समाज का आर्थिक विश्लेषण करना कम्यूनिज़िम का रोग है; हालाँकि कांग्रेस के राज में दिलेरी से बातें को जा सकती हैं, लेकिन कम्यूनिस्ट बनना यहाँ भी ज़तरे से खाली नहीं। लेकिन सच को, चाहिे वह कितना ही अधिय क्यों न हो, छिगाने के लिये विशेष चतुरता की ज़रूरत रहती है। दुर्भाग्य से हो या सौभाग्य से, इस चतुरता का भरोसा हमें अपने ऊपर नहीं और न उसकी विशेष साध है।

पढ़ी-लिखी लड़की यह सब क्या और क्यों कर रही है ? हमें जान पड़ता है, परिस्थितियाँ उसे मज़बूर कर रही हैं। समाज की आर्थिक परिस्थितियाँ हमारे पारिवारिक संगठन को इतनी बुरी तरह दबा रही हैं कि परिवार का केन्द्र बन कर रहने वाली असूर्यमपश्या नारी कुचली हुई निवौली की गुठली की तरह बाहर निकल आयी है। समाज की मौजूदा परिस्थितियों में, अद्वालिका में, चन्दन के छपरखट पर बैठ कर 'राजा' से नौलखे हार के लिये रुठ-रुठ कर अब जीवनयात्रा पूरी नहीं हो सकती। अब 'राजा' की भी एक के बाद एक 'डोला' घर में लाकर रनिवास भरते जाने की तौफीक नहीं रही।

पुरुष के सुख और भोग का साधन बन जाने पर भी समाज से अब ढुकड़ा पाने के लिये ही नारी को गली-कूचे की खाक छाननी पड़ेगी; बगल में पुस्तकें दबा कर स्कूल जाना पड़ेगा, स्टेथिस्कोप लेकर डाक्टरी करनी पड़ेगी, नर्स भी बनना पड़ेगा और अगर इस जीवन के संघर्ष में वह किसी सफल परिश्रमी पुरुष को फँसा सके तो वह अपना भाग्य सराहती हुई बच्चे को हाथ की उँगली पकड़ा कर बँगले की सङ्क पर टहलती हुई भी नज़र आयेगी।

आर्थिक स्थितियों ने उसे दबाया, अक्षर-ज्ञान ने उसके पैर की बेड़ियों को ढाला किया, देश के राजनीतिक बवंडर ने समाज को हतुद्धि कर दिया और चतुर नारी पैतरा बदल कर बाज़ार में खड़ी नज़र आयी। पुरुष की हुक्मत का दबाव उठ चुका था, वह बोली—देश और राष्ट्र की इस लड़ाई में हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिल कर चलेंगी। उस दिन पुरुष ने नहीं जाना था कि यह कंधे से कंधा मिलाकर चलने का ख्याल पुरुष के परम्परागत अधिकार को चुनौती है।

और सब सह्य होने पर भी पढ़ी-लिखी लड़की का पुरुष की पाशविक्ता को यों फटकार बताते फिरना बर्दाश्त नहीं हो सकता। यह यों बर्दाश्त कर लेने की चीज़ भी नहीं। हम दुष्यन्त, भौम, अर्जुन और पृथ्वीराज के नामलेवा हैं। लौखिनवार और खिल्जी की कहानी हम पढ़ते हैं। तिस पर यह तिलियाँ हमारी आँखों के सामने ऐंठती और बल खाती फिरती हैं और हमारे भुज-दरड़ फड़क तक नहीं सकते।

अपने इस पराभव को यों याद कर कर सिवा होठ चबा लेने के और क्या चारा है। इससे बेहतर यही है कि यह पढ़ी लिखी लड़कियाँ हमारी

पाशविकता को भड़का कर, हमारी असमर्थता का उपहास करने के लिये प्रदर्शन न किया करें।

शास्त्र में लिखा है—खी का शृंगार पति के लिये है, उसकी अनुपस्थिति म उसे कूड़े की तरह अनाकर्षक बना रहना चाहिए; और यह पढ़ी-लिखी नारी समाज में बन-ठन कर निकलती है। मानो वह एक पुरुष विशेष को भोग्य सम्पत्ति न होकर आत्म-संतोष के लिये शृंगार करती है। पुरुष का समाज में आत्म-सम्मान के लिये छैला बन कर निकलना हमारी समझ में आता है। परन्तु नारी का यह चिकिनियाँ बनने का दुस्साहस अस्त्व है। पुरुष अगर फिसलता है, तो उसका उत्तरदायित्व सदा खी के हो कर्त्त्वों पर होना चाहिए? इस सत्य को यह पढ़ी-लिखी लड़कियाँ क्या भूल जाती हैं?

इन पढ़ी-लिखी लड़कियों के बात-बात पर पुरुष को चुनौती देने के ढंग को आज्ञिक इद तक बर्दाशत किया जाय? हम समझते हैं—अपनी इज्जत बचाने के लिये इन अवलताओं को, सात खून माफ़ कर, बेलगाम छोड़ दिया जाय और शास्त्रों में अपने अधिकारों की महिमा पढ़-पढ़कर दिल बहलाया जाय? उन्हें जीवन के संघर्ष में आने दिया जाय, इससे बचने का कोई उपाय नहीं।

हम लौट कर समाज की आदिम अवस्थाओं को ओर जा रहे हैं। इतिहास के विद्वान बताते हैं कि समाज की प्रारम्भिक अवस्था में समाज का संगठन वर्गवादी ढंग का था और खी पुरुष की सम्पत्ति नहीं थी। समाजवाद फिर चला आ रहा है और लियों ने पहले से ही कहना शुरू कर दिया है कि वे पुरुष की सम्पत्ति बन कर नहीं रहेंगी।

यह नक्तों का संयोग इतना प्रबल है कि पुरुष इसके विरुद्ध सिर मार कर भी कुछ न कर सकेगा। इसलिये हमारी सलाह है कि समाज को चलने दिया जाय और अपने बीते दिनों की याद में गम खाकर आठ और सौ सठक लिये जायें। इस ज्ञाने में जो कोई इस पढ़ी-लिखी लड़की के जात में फँस जाय, वह अपने को भाग्यशाली समझे और जो बेरंग रह जाय, वह मन मार कर उसे कोसा करे।

नींद नहीं आती

कुछ लोगों से सुना है कि नशे में मनुष्य की विचार-तरंग खूब सजीव हो उठती है, कुछ लोग देव-प्रिय सुरा की स्फूर्तिदायिनी शक्ति के उपासक हैं, कुछ भाँग भवानी के भक्त और कुछ गाँजे की चिलम के ही क्रायल हैं। एक-आध ग़रीब सिगरेट भक्त को छोड़ मुझे नशे के मैदान के इन महारथियों से परिचय प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। इससे उनकी शान में ज़बान खोलने का साहस नहीं कर सकता; लेकिन सभ्यता की चढ़ती के इस युग में विचार तरंग को उत्कर्ष देने की ज़रूरत किसे न होगी ? इसी से मन्दी के इस ज़माने में अपने जैसे ग़रीब आदमियों के लिये आज़माये हुए नुसखे का परामर्श देता हूँ।

मैं दावे से ढंके की चोट कह सकता हूँ कि विचारों की उड़ान को स्फूर्ति देने के लिये, कल्पना के घोड़ों को सरपट दौड़ाने के लिये, अनिद्रा अव्यर्थ साधन है। आधी रात के सज्जाटे में जब अपनी अकोमल शव्या पर लेटा, छृत की ओर आँखें लगाये निद्रादेवी की प्रतीक्षा में रहता हूँ, उस समय मन और कल्पना उच्छ्वस्त हो जहाँ न पहुँचे वही दूर। कितने विचार मस्तिष्क में आ चक्र काट जाते हैं, इसकी गणना नहीं। ऊँची बिड़की के लोहे के जंगले से कुछ टिमटिमते हुए तारे दिखलाई पड़ते हैं। उन्हें देख सोचता हूँ, मेरे विचारों की संख्या क्या इन्हीं के बराबर है ?

अनेक विचार अनेक रूप में आते हैं—कुछ सृजि के रूप में और कुछ आशा के रूप में। सोचता हूँ—भूत की बात, मुदूर भूत की बात और निकट भूत की बात, और कुहासे से आवृत्त झुट-पुटे भविष्य की बात, कठिन वर्तमान को सदा आङ में रख कर। भूत मरकर भूत हो गया और भविष्य है स्वप्न;

असल है केवल कठिन वर्तमान। सो उस वर्तमान से पलता छुड़ा कर मैं कहाँ भाग जा सकूँगा।

मेंढक, झिल्ही, झींगुर अपनी झंकार से रात की बीमत्स नीरवता को सक्षम बनाने का यत्न कर रहे हैं, कभी-कभी दूर से कुचे का भोंकना भी सुनाई पड़ता है और चूप्पी के बोझ से दबा दूर समीप के अनेक घड़ियालों से रात के घरटों के बजने की मंद, तीव्र और कर्कश……अनेक प्रकार की धातु की टंकार का शब्द भी कान को सुनाई पड़ता है और नियमित अन्तर से सुनाई पड़ती है क़ैदी चौकीदारों की पुकार बैरिक नम्बर इतने क़ैदी ताला, जंगला, लालटेन सब ठीक हैं। इस सब के ऊपर सुनाई देता है, सज्जाटे में दबे पैर आकर नैश-बायु का चिंतातुर मूक वृक्षों से रहस्य-वार्ता करना, बायु के कोमल-सुखद स्पर्श से वृक्षों के पत्तों का मर्मर शब्द।

भूत, भविष्य का चक्कर लगा कल्पना फिर वर्तमान के खूँटे पर आ टिकी, दिन भर का क्रिया-कर्म फिर आँखों के सन्मुख क्रम से दोहराया जाने लगा। अपने इस संकुचित संक्षिप्त संसार में भी तो मैं चिन्ता मुक्त नहीं हूँ। कितनी साध और यत्न से लगाये गये मेरे इन पौदों का क्या कुछ न बनेगा? क्या दीमक इन सबको खाकर छाई कर देगी?

दीमक की असंख्य सेना से छाई जाकर सफेद पड़ गयी पौदों की जड़ें मेरी आँखों के सामने दिखाई देने लगीं। सोचा—कितनों को मार चुका हूँ और कितनों को और मारना पड़ेगा। किस विष से इनका बीज नाश कर सकूँगा?

इस गूढ़ चिन्ता के तार को तोड़ दिया आकर एक मच्छर ने। धृष्ट जीव कान के पास आकर भिन्नभिन्न लगा। हाथ के एक बार से उसका फैसला कर निश्चित होने पर सोचा……सो गया हूँ या नहीं; यही पता लेने यह मच्छर आया था। सोता पाकर दुष्ट ज़रूर डंक मारता। इन को भी कितना ही मारता हूँ, परन्तु बाज नहीं आते। आखिर कितनों को मारूँगा? यह मुझे सोने क्यों नहीं देते? क्या आराम से सोने का भी अधिकार मुझे नहीं?

दूर पर बहुत से मच्छरों की भन-भन सुनाई दी। सोचा, यह क्या दल, बत से आक्रमण की तैयारी हो रही है? कह चुका हूँ—रात के सज्जाटे में कल्पना अवाध हो उठती है। मच्छरों की उस कानफेस की बात समझने में कुछ उलझन अनुभव न हुई। समझ गया यह लोग अपने स्काउट* के न

*... गत में जेंडर के लाजो नन्नकर परिस्थिति हेजे लाने वाले मिहावी।

लौट सकने से चिन्तित हो उठे हैं। सोचा—कल सुबह मच्छर-संसार के समाचार पत्रों में सनसनीखेज लिख लपेगी—

“एक वीर सैनिक या दुष्ट नर-राक्षस के हाथों बलिदान ! मच्छर जाति के नर रक्त पीने के जन्म सिद्ध अधिकार के विरुद्ध मनुष्यों की घृणित कार्रवाई !”

“मच्छर-जाति के नौनिहालो ! यदि तुम्हारी नसों में अपने पूर्वजों का रक्त वर्तमान है, तो मानव-रक्त पान के अपने अधिकार के लिये लड़ मरो !”

सोचा, मच्छरों की असंख्य सेनाओं का आक्रमण होगा और दोनों हाथों के दो-चार प्रहरों में अनेक सैनिक वीर-गति को प्राप्त कर जायेंगे ।

ध्यान फिर दीमक की ओर जा पहुँचा । सोचा—दुष्ट इस समय सुख शांति से पौदों का सत्यानाश कर रहे होंगे और सम्भव है मैदान में खेत रहे बन्धुओं की स्मृति में महति सभा कर निर्दोष दीमकों पर, जो शांति-पूर्वक प्रकृति-दत्त अधिकार से भोजन संचय कर रहे थे नर राक्षस के जघन्य अत्याचार की निन्दा कर रहे हों ।

सोचा, मच्छर या दीमक के मृत्यु-जीवन का संसार में क्या महत्व है, करोड़ों ही मरते हैं ।

विचार-शक्ति चोट खा जाग्रत हो उठी । सोचा, मनुष्य में और मच्छर में भेद ही क्या है ? जीवन-रक्षा के लिये संसार में संघर्ष और प्रजनन की प्रवृत्ति उसमें भी मनुष्य के ही समान है, अन्तर है केवल आकार में । वह इतना छोटा है कि उसका कुछ महत्व हो ही नहीं सकता । सोचा—

आकार छोटा होने से ही क्या है और मनुष्य का ही आकार कितना बड़ा है ? खयाल आया—कुम्भकर्ण का, जिसके मुख में राम की सेना के लाखों बानर प्रवेश कर नाक-कान के रास्ते निकल आते थे और ध्यान आया वृत्रासुर का, जो पृथ्वी को चर्याई की भाँति लपेट कर ले चला था और फिर ध्यान आया वौलटेयर के लिये शनि-नक्षत्र के निवासी मीकोमेगा द्वारा इस पृथ्वी के वर्णन का, जिसके लिये इस पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों में से हेतु मछली को छोड़ अन्य किसी जीव को आकार की छुदता के कारण अणुवीक्षणयंत्र (Microscope) द्वारा भी देख सकना असम्भव था, जो विशेष सावधानी से हेतु मछली को नाखून के ऊपर टिका माइक्रोस्कोप से देख कर इसी परिणाम पर पहुँचा था कि यह पृथ्वी केवल हेतु मछलिय

का स्थान है। भूमध्य सागर जिसके पैर के टखने से ऊपर न पहुँच सका उसके मुकाबले में इस मनुष्य शरीर का क्या महत्व है?

अपने आपको इतना तुच्छ, इतना अग्रणी मानने के लिये मन तैयार नहीं हुआ। मन को समझाया—वह सब काल्पनिक वर्णन है। मनुष्य इतना तुच्छ नहीं हो सकता। मनुष्य से बड़ा कौन है? परन्तु विचार-तरंग तो लगाम तुड़ा चुकी थी। उसने कहा—वृत्रासुर और मीक्रोमेगा काल्पनिक होंगे। परन्तु यह उनसे भी कहीं बड़ा जीव समष्टि मनुष्य-समाज तो प्रत्यक्ष सत्य है। इस मनुष्य-समाज के आकार से नर-शरीर का क्या मुकाबिला। समाज शरीर के अंग के कोटि-कोटि रोमों के एक छुद्र भाग से भी तो इस नर-शरीर की तुलना नहीं हो सकती, उसके मुक्काबिले में इसका क्या महत्व होगा?

इस अप्रिय आलोचना से मन को हटाने के लिये करबट बदल कर सोचना चाहता था कि कोहनी पर की सूजन ने याद दिला दी—पिछली से पिछली रात एक मच्छर के काटने का खयाल आया—इतने मच्छरों से वास्ता पड़ा है परन्तु याद है केवल इसी की, न हो बड़ा वीर था। मच्छरों के इतिहास में ‘शत्रु नाशक’ के नाम से इसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया होगा। ४८ घण्टे से तो मुझे ही इसकी याद है। यह अड़तालीस घण्टे मच्छर जाति के पंचांग में न जाने कितने बरसों पीढ़ियों के बराबर होंगे। असंख्य मच्छरों को नितांत तुच्छ और अग्रणी समझ कर भी मैं इस मच्छर को महत्व दिये बिना न रह सका। सोचा, सुष्ठि के आदि से आज तक अरब गुणा अरब मनुष्य मर चुके हैं! उनकी कोई भी गणना या हिसाब नहीं। मनुष्य-प्राणी वास्तव में ही तुच्छ, निखिल है—परन्तु उसी समय खयाल आ गया, इतिहास में चमकते हुए उन नामों का—राम, कृष्ण, विक्रमादित्य, सिकन्दर, फराउन, अकबर, नैपोलियन। अब तक मनुष्य-समाज इनके नाम भूला नहीं है ठीक उसी तरह मुझे परसों रात काटने वाले मच्छर की सुध है।

उच्छृङ्खल कल्पना ने कहा, राम एक बड़ा मच्छर था; सिकन्दर भी एक मच्छर था, उसके डंक में तीव्र विष था जिससे मनुष्य-समाज का इतना बड़ा शरीर तड़प उठा। ऐसे ही फराउन, अकबर और नैपोलियन भी पराक्रमी मच्छर थे। उनका नाम चला आता है क्यों कि वे एक रोज़ समाज को व्याकुल कर सके थे। सोचा—और भी कुछ मनुष्य इस मच्छर ऐसी करतूत कर गये हैं जिससे उनका समाज उन्हें भूल नहीं सका है। सुनते हैं, एक मच्छर था

बाल्मीकि, वह ऐसा मिनमिनाया कि आज तक प्रतिभाशाती मच्छर उसका अनुकरण कर सकना गैरव का हेतु समझते हैं। ऐसे ही मच्छर थे होमर, कालिदास और शेक्सपियर।

यह जो एक ढीठ मच्छर मेरे कान के पास आ भिनभिना रहा है। क्या इसके मन में भी नाम कमाने की महत्वाकांक्षा समाई है और इस मतलब के लिये मेरी नींद खराब करने में भी इसे कोई संकोच नहीं ! कितने शोक और लज्जा का विषय है !



मुझे मंजूर नहीं

दुनिया की सभी अच्छी बातें आराम देह भी हों, ऐसा विश्वास नहीं। इन बातों में से एक बात सुबह तड़के उठकर सैर करने जाना भी है। आराम हो या तकलीफ ! डाक्टर के हुक्म से जाना ही पड़ेगा। आँखें मलता हुआ चला जा रहा था।

कुछ दूर एक नौजवान खूब ऊँचे स्वर में गाता चला जा रहा था—‘तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया।’ इसने दिमाग को सचेत कर बच्ची हुई नींद को भी भगा दिया। देखा, मैं ही अकेला नहीं। भुरंड के भुरंड लोग चले जा रहे हैं। पर उन्हें काम है, उन्हें मिल में जाना है और मिल का बिगुल बज चुका है। इन्हें रोटी का ढुकड़ा कमाने के लिये जाना है। पर कौन बता आई है जो यों परेशान हूँ। खैर, डाक्टर की इच्छा। इस युग में विधाता ने अपने अधिकार डाक्टरों को सौंप दिये हैं।

फिर आवाज़ आई—‘तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया।’ सोचा, खुदा की तारीफ ज़रूर है कि ज़र्मीं और आसमां बनाये और उस पर हमें भी बनाकर छोड़ दिया परन्तु उसके आगे किसने क्या बनाया यह दूसरा सवाल है। यह ऊँची तीस हज़ार घोड़ों की ताकत की मिल और यह चौमंज़िले मकान और यह बाग, यह लहतहाते खेत भी शायद खुदा की मर्जी से, उसी के हुक्म से बने होंगे परन्तु चश्मदीद गवाही तो यह है कि इन्हें इन्सान ने बनाया है।

तारीफ उस खुदा की जिसने समुन्दर बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने जंगल, पहाड़, गुफा बनाये; पर मैं न तो समुन्दर में तैर सकता हूँ और न जंगल पहाड़ की गुफा में मजे से रह सकता हूँ। किसी को अगर बुरा न लगे तो मैं गा देना चाहता हूँ……

काश, मेरी आवाज़ उस नौजवान की तरह गाने लायक और होती। मुझे इंट-पत्थर से सर फोड़ दिये जाने का भय न होता तो मैं गा देता—‘तारीफ है उस जवाँ की जिसने मकां बनाया, तारीफ है उस जवाँ की जिसने पलंग बनाया, तारीफ है उस जवाँ की जिसने कपड़ा बनाया और फिर रोटी व दाल बनाई, मोटर लारी बनाई और खाने को दबाई बनाई।’

हाँ, तो बनाई किसने ? मैंने पैदा होकर अब तक कुछ नहीं बनाया ! कुछ पढ़ लिख कर अग्रर कुछ बनाया तो दफ्तर के रजिस्टर में हिसाब बनाया है और बनाई हैं बातें।

लेकिन क्या हर्ज, मैंने नहीं बनाया तो मेरे भाइयों ने बनाया है। अभिमान से छाती पूल उठी। वे सब लोग जो सुवह मिलों में काम करने के लिये चले जा रहे थे, उन्हीं की तरफ देखकर मैंने कहा—हाँ यह है मेरे भाई, जिन्होंने सब कुछ बनाया है।

उसी समय मिल में जाने वालों की शब्द का सा एक जीव पीछे से दौड़ता हुआ दूसरों के साथ आ मिला। वह हाँप रहा था। मालूम होता था पीछे रह जाने के कारण समय की कमी को पूरा करने के लिये उसे दौड़ना पड़ा है। उसने आते ही कहना शुरू किया—‘क्या करें यार लड़का बीमार है, उसकी बजह से देर हो जाती है। उसकी माँ रोटी भी नहीं पका पाती।’

सोचा यह हमारा भाई है, इसका लड़का बीमार है। इसे शायद डाक्टर की भी ज़रूरत पड़ती होगी ? डाक्टर का ख्याल आते ही डाक्टर की एक दफे की फ़ीस तो इसकी महीने भर की कमाई है।

X

X

X

सुबह सैर के बक्क दिल को खुश रखना चाहिये, इस ख्याल से मैंने यह बात भुलाने की कोशिश की। पर जिस बात को भुलाने की कोशिश कीजिये, वह बरबस पीछे पड़ जाती है।

बार, बार ख्याल आने लगा। यह लोग जो चार मंजिल का मकान तैयार करते हैं ‘यह लोग जो इतनी बड़ी-बड़ी मिलें, रेलगाड़ियाँ और मोटरें तैयार करते हैं, दुनियाँ भर का पेट भरने का सामान तैयार करते हैं, इन्हीं को रहने को मकान नहीं ! रहते हैं तो ऐसी जगह, जहाँ भले आदमी सिर्फ जानवर बाँध सकते हैं और खाते हैं तो ऐसा जो खाने लायक नहीं और सवारी का तो सबाल ही क्या ?

जिन मञ्जदूरों ने दिल्ली में वायसराय का महत्त तैयार किया था आज अगर वे उधर से निकल जाना चाहें तो नहीं जा सकते। उधर देखते होंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी? ओफ्र अन्याय।

फिर ख्याल आया कि अन्याय इस में क्या है, उन लोगों ने मेहनत मञ्जदूरी की, उन्हें उसका दाम मिल गया। जितनी मेहनत मञ्जदूर लोग करते हैं उस सबका दाम उन्हें मिल जाता है, इसमें अन्याय कुछ भी नहीं। लेकिन फिर ख्याल आया अगर मेहनत की पूरी मञ्जदूरी मञ्जदूर को मिल जाती है तो मालिक के पास क्या बच रहता है? उसे परोपकार से मतलब?

उसी समय एक ठेकेदार साहिवा का ख्याल आ गया, जिनकी बाबत मशहूर है कि वे एक समय पन्द्रह रुपये के मुँशी थे; लेकिन अब दस लाख के आसामी हैं। ख्याल आया—एक समय वे अपने करमों के फल से गरीबी का दुःख भोग रहे थे परन्तु अब उन्होंने सुनाफ़े के रूप में बहुत सा पुण्य संचय कर लिया है, या दूसरों का कर्म संचय कर लिया है इसलिये हजारों मञ्जदूरों का पेट भरते हैं और भगवान के नाम पर पुण्य-दान भी करते हैं।

X

X

X

मिल के गेट के सामने से गुजरा तो उस पर लिखा था—‘नौकरी की जगह खाली नहीं है।’ इसका मतलब हुआ कि बहुत से लोग मञ्जदूरी दूँद्हने आते होंगे। इसका मतलब यह हुआ, बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होंगी जो कुछ मञ्जदूरी न पाकर भूखे मरते होंगे। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि आदमी काम करने को तैयार हों तो उसे काम क्यों न मिले? वह भूखा क्यों मरे? पर किया क्या जाय? माल की खपत नहीं होती।

माल की खपत क्यों नहीं होती? यह लोग जो इतने बेकार हैं यह मञ्जदूरी न मिलने से कुछ खरीद नहीं पाते। खपत हो तो कैसे?

और खपत होती क्यों नहीं; जब इतने लोग भूखे-नर्गे हैं तो इन लोगों की भूख मिटाने और पेट भरने को क्यों इन्हीं लोगों को मञ्जदूरी मेहनत करने नहीं दिया जाता। बहुत सोचने पर ख्याल आया, जब तक सुनाफ़े की गुंजाइश न हो काम कैसे चल सकता है?

इस सबका इलाज बताया जाता है समाजवाद। समाजवाद से अगर संसार के इतने दुःख दर्द का इलाज हो सके तो बुरा क्या है परन्तु समाजवाद मुझे पसन्द नहीं। कहते हैं समाजवाद में सब जायदाद छिन जायेगी।

यह मुझे पसन्द नहीं कि मेरा एक मकान है वह भी मुझ से छिन जाय लेकिन समाजवाद में सुनते हैं सब लोगों को उम्र भर खाने को मिलेगा और रहने को घर !

हो सकता है । पर मुझे मज़दूर कहलाना गवारा नहीं मैं मज़दूर को अपना भाई कह सकता हूँ परन्तु अपने आपको मज़दूर नहीं कह सकता । और फिर दिन भर टोकरी कौन दोयेगा ?

लेकिन हिसाब लगा कर कहते हैं इस कला-कौशल के ज़माने में अगर दुनिया में कोई भी आदमी बेकार न रहे तो केवल डेढ़ घण्टा हर एक आदमी के मज़दूरी करने से ही संसार का पेट भर सकता है यह भी ठीक हो सकता है । ख़याल भी बुरा नहीं । पर पहले कह चुका हूँ कि दुनिया की हरेक अच्छी चीज़ में मज़ा भी हो यह बात नहीं । समाजवाद यानी मज़दूरों किसनों का रज अच्छा हो सकता है पर मुझे मंजूर नहीं ।



न्याय

जेल के श्रहाते के बार्थी और की दीवार में नया मज़बूत दरवाज़ा लगाने के लिये पुराना दरवाज़ा निकाला जा रहा था। उस समय चौखटे के ऊपर चने गिलहरी के कोटर की याद आयी; उसके छोटे-छोटे बच्चे का क्या हाल होगा? किसी-किसी समय दिल में एक अजीब सी कमज़ोरी आ जाती है!

गिरती हुई मिट्टी और इंटों के बबाल के बीच से एक छोटा सा बच्चा निकल कर सामने नीम के पेड़ पर दो हाथ चढ़ा और गिर पड़ा। दीवार पर बैठा हुआ कौवा लपका परन्तु मटरू मौके पर था। ताली बजा उसने कौवे को ललकार दिया।

बहुत बेचैनी की हालत में बच्चा इधर-उधर झपट रहा था। मेरे कहने से मटरू ने अंगोळा फेंका, बच्चे को पकड़ नीम के तने पर रख दिया। बच्चा दो हाथ चढ़ फिर गिर पड़ा। फिर उसे सहारे से तने पर रखा गया, पर वह सभल न सका। गिलहरी के बच्चे का त्रास और बेचैनी देख मुझसे रहा न गया। उसे अपने हाथों में ले लिया। पुच्कारा, दुलारा, परन्तु वह भय के कारण मेरी उँगलियों के बीच से निकल कूद पड़ता था।

उसकी माँ का कहीं पता नहीं था बच्चा खुद पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था और कैवे ताक में दीवार पर बैठे थे। बच्चे की इच्छा के विरुद्ध उसे रुमाल में लपेट लिया। सौचा—रोटी डाल दूँगा और इसे बैठा दूँगा। इसकी माँ रोटी लेने आयेगी तभी उसे भी ले जायगी। मैंने पेड़ से या छूत से गिलहरी के बच्चे गिर जाने पर उसकी माँ की विकलता देखी है। वह छोटा सा तुच्छ जीव संतान के मोह में कैसे छृष्टपटाता है? इसे जिसने भी देखा है, वह गिलहरी के बच्चे की कभी उपेक्षा नहीं कर सकत।

बाहर से फिर मठरु के ताली बजाकर ललकारने की आवाज़ आयी । उचक कर पूछा—क्या है ?

जब दीवार गिरने के तलातम में दूसरा बच्चा निकल कर भागा, तब ताक में बैठे कौवे ने उसे झपट लिया परन्तु मठरु ने जोर से ताली बजा कर शोर किया और मजदूरों ने ढेले बरसाये । कौवा सुध-बुध भूल गया और बच्चा उसकी चोंच से छूट गया । मठरु ने उसे भी उठा मेरे हाथ में दे दिया ।

सोचो तो मौत ! साक्षात मौत के मुँह से वह बचा था । गरमी में प्यासे पक्की की तरह अपना छोटा सा मुँह फैलाये वह बुरी तरह हाँफ रहा था । उसकी पतली सी पूँछ आधी कट गयी थी । मुझे वह अपना न समझ सका—शायद उसने सोचा कौवे के मुँह से छीनकर मैं उसे स्वयं निगल जाना चाहता हूँ । ऊँगलियों में से निकल वह कूद पड़ा ! मेरा कलेजा मुँह को आ रहा था । झट से उसे उठा दूसरे बच्चे के साथ लेपेट दिया । एक तौलिये में उन्हें लपेट रोटी के टुकड़े ज़ंगले के आगे फैला मैं उनकी माँ की प्रतीक्षा करने लगा ।

तीसरा बच्चा जो ऊपर चढ़ गया था नीम की शाखा से पट्ट से गिरा—उसे शायद उसकी माँ ऊपर उठा ले गयी थी । एक कौवा साहस कर के ऊपर से मरड़ा कर निकल गया । बच्चा इतने ऊँचे से गिरा था कि उसकी आँखें मुँद गयीं । लोगों ने कहा—मर गया—अपने दिल का क्या हाल हो रहा था ?

उसी समय इतने मनुष्यों की आहट और कोलाहल की भी परवाह न कर वह गिलहरी झपटी हुई आयी । गिलहरी का क्या कुछ चेहरा होता है ? उस पर हाव-भाव, विकलता, आँखों में यह कुछ नहीं दीख सकता परन्तु उसकी व्यग्रता । वही हजार जिह्वा होकर सब कुछ कह कर रही थी । माँ का स्पर्श पाते ही बच्चा सजग हो गया । माँ किस पागलपन से उसके सम्पूर्ण शरीर को चाटने लगी; मानों वह उसे निगल जाना चाहती थी । चूमने में जो हम स्नेह की चरम अभिव्यक्ति समझते हैं, वही तो !

माँ अपना पेट फाइ बच्चे को ढाँप लेना चाहती थी । बच्चे को मुँह में दबा गिलहरी फिर नीम पर चढ़ी । मैं उसके साहस, उसकी जान-निसारी पर स्तब्ध रह गया । उस समय याद गया—मेरी भी तो माँ है…… ।

परन्तु परमेश्वर का न्याय क्या यही है । उस बेचारी का मकान उजड़ गया, बच्चे रुल गये । वह नन्हीं सी जान ! मैं पूछता हूँ—क्या न्याय यही है ?

कौवे सामने की दीवार पर पंक्ति में बैठे थे। चोच को दाँयें-बायें छुमा, ऊपर-नीचे कर वह अपना पेट भरने की चिन्ता में थे। तब सुसे इयाल आया—अभी इनके मुँह का कौर छीन अपनी समझ में मैं बड़ी दया कर बैठा हूँ।

गिलहरियों के प्रति मेरे कम उलाहने नहीं हैं। पिछले दिनों मटरों की ब्यारी में अंकुर फूटते ही इन दुष्टों ने अपने पिछले पैरों पर बैठ एक-एक अंकुर चुन-चुन कर, गिन-गिन कर काट दिया था। “उडनविहार” की (Linaria) की फूलों से लदी डालियाँ काट कर डाल दीं। “गुलदाउदी” (Crysenthimum) के लहकते हुए फूल, जिनके बोझ से टहनियाँ गिरी पड़ती थीं इन्होंने सैकड़ों काट दीं। जहाँ कहीं कोई नरम कपड़े का टुकड़ा रुमाल या कुछ और नीचे पड़ा पाया, अगले पंजों से उसे गोल-गोल समेट कर वह धोसले में बिछाने के लिए ले चली। इनका ध्यान उधर से हटाने के लिये मैंने दाल, दलिया विवराया, डबल रोटी इन्हें खिलायी। इन्होंने सब कुछ खाया और फिर भी फूल खराब किये।

परन्तु न जाने क्यों इनके प्रति मोह होता है। जब डबल रोटी जंगले के पास नहीं पाती तब मुँह उठा ऐसे माँगती है कि रहा नहीं जाता। विवश मुख से प्यार के निरर्थक शब्द निकल पड़ते हैं—रोटी डाल देता हूँ।

फुलवाड़ी ही उजाइती हों, शेष जीव-जन्तु की यह हत्या न करती हों, सो भी बात नहीं। दीमक के बिल को खोद कर जब यह चुन-चुन कर कीड़े खाती हैं तब क्या उस हत्या की गिनती रह जाती है। परन्तु इन्हें मैं पुचकार कर, चीनी लगा कर डबलरोटी खिलाता हूँ। और कौवा जब उस रोटी पर झपटता है, तब उसे मिलता है—डेला-पत्थर।

कौवे के खिलाफ केवल एक ही शिकायत है, वह एक दिन थोड़ा सा साबुन ले गया था। लेकिन यही मेरा न्याय है, शायद यही मेरी दया है। जो कुछ ही परन्तु परमेश्वर भी तो देखता है, वही क्या कुछ करता है। उसे न अपने बनाये इतने सुन्दर फूलों की चिंता है न दीमकों की, न गिलहरी की, न कौवों की और न मनुष्यों की ही—मुझे ही क्या इस मुसीबत में थों फँस जाना चाहिए था?

वह गिलहरी नया धोसला बनाने के लिये बड़ी ही व्याकुलता से इधर-उधर से मूँज, सन और चीथड़े बटोर रही थी। रोटी का टुकड़ा उठाने वह नहीं आयी। मैं दोनों बच्चों को जंगल के समीप रख रखवाली के लिये बैठा था।

मैं उस दिन कारदूसी की पुस्तक बिलकुल न पढ़ सका—वह गया भाङ में। पौने छः बजे मैं वैरिक में बन्द हो गया पर मैं ज़गले के पास ही बैठा था। वह गिलहरी नया घर बनाने की फ़िक्र में यों परेशान थी कि बच्चों की फ़िक्र में इधर आ ही न पायी। बच्चों को रात भर के लिये जाली की डोली में बन्द करने की सोच ही रहा था कि पट से आवाज़ हुई। देखा उसका तीसरा बच्चा ज़मीन पर गिर पड़ा और उसके साथ ही उसका अधबना घोंसला नीम की पत्तियों में उलझ कर लटकने लगा। सोचा, अब की बार ज़रूर मर गया होगा। हाय ! वह व्यग्र नन्हीं सी जान फिर दौड़ती हुई चली आयी। उसके स्पर्शमात्र से बच्चा फिर चेतन हो गया। वह चाटना-चूमना, उस नन्हे से दिल से—शायद वह एक रक्ती भर का होगा, ममता का महान उमड़ा पढ़ रहा था। वह उसे फिर सुँह में दबा कर ले चली। बच्चे को डाल पर बैठा उसी समय फिर नये सिरे से घोंसला बनाने का उसने लगा लगाया। धैर्य और साहस की सीमा क्या कहीं इसके भी आगे है ? उसकी वह नन्हीं सी जान और उसकी वह शक्ति ! आश्चर्य का विषय क्या कुछ और होगा ? परन्तु परमात्मा !—वह कहाँ है और वह क्या कर रहा है ?

अँधेरा होने लगा था। दोनों बच्चों को ज़रूर भूख लगी थी। अँख में दबाई डालने की नली से मैंने ज्यों-त्यों दोनों को दूध पिलाया। वह दुमकदा बहुत घबराया हुआ था। दूध नहीं पीता था। दूसरे ने तो कुछ पिया।

रात में गिलहरी को बच्चों से मिला देने का उपाय सोचा। नया घोंसला बनाने के लिये सन और मूँज की तलाश में वह ज़रूर दौड़ेगी, इसलिये उसके पुराने घोंसले की नरम-नरम सन में दोनों बच्चों को लपेट धूप होने पर नीम की जड़ के पास रख दिया। गिलहरी बहुत तड़के से ही बावली सी इधर-उधर भाग दौड़ कर रही थी। सुबह बच्चों ने रात की अपेक्षा नली से कुछ अधिक दूध पिया और उनकी घबराहट भी उतनी नहीं रही थी। बल्कि वे मेरी अंजुली छोड़कर ज़मीन पर बैठने में हिचक रहे थे।

माँ की सूत देख……धूप खा बच्चे हाथ-हाथ भर ऊपर तने पर चढ़ गये। गिलहरी कूद कर आयी……और फिर……सभी बड़े-बड़े कवियों ने कस्ता और वात्सल्य के चित्र खींचे हैं पर……इस दृश्य के आगे सब हैय !

मुँह में एक बच्चे को दबा वह ले चली, परन्तु कहाँ……उस नीम पर नहीं। कोई तीस गज़ परे, बीच में एक पेड़ छोड़ दूसरे एक बड़े नीम पर। कल साँझ को जहाँ से उसका बच्चा टपक पड़ा था उसी ओर। जितनी देर में

नया धोंसला बनेगा उतनी देर बच्चे कहाँ रहेंगे । फिर पल-पल पर वर्षा....
यही सब सब सोच-विचार कर कोई कोटर ढूँढ़ कर उसने बच्चे को टिका
दिया है, ऐसा जान पड़ता है । दो-तीन मिनिट में वह फिर आयी, दूसरे बच्चे
को ले गयी । बच्चों के सकुशल माँ की गोद में पहुँच जाने से खुशी तो ज़रूर
हुई परन्तु उनका साथ छूट जाने से कुछ वियोग—दुःख भी ज़रूर हुआ ।

X

X

X

क्या !.....मैं जानता हूँ.....तुम यही तो कहोगी कि परमात्मा ने मेरे
द्वारा कौवे के मुख का कौर छीना और जब तीनों बच्चे जवान होकर हज़ार-
हज़ार दीमकों की हत्या करेंगे, तब परमात्मा किसके द्वारा क्या करेगा ? किस
की रक्षा करेगा, किसका संहार करेगा, किस पर दया होगी और किस पर
अन्याय होगा ? और है वह सब का परमपिता !

अस्तु, तुम बात सुनो—मैंह कुछ देर बरस कर थमा था । मैं ज़रा चहल-
क़दमी कर रहा था । जगह-जगह पानी ख़ड़ा था । वह गिलहरी फिर आयी ।
पंजों से उस सन का गोला बाँध वह उठा कर चली । वह बोझ उसके लिये
श्रद्धिक था और जगह-जगह ठहरा हुआ पानी—उसके लिये वह सब बड़े-
बड़े तालाबों से क्या कम था ? रुक-रुक कर, हाँफ-हाँफ कर वह उस बड़े-
बोझ को लिये जा रही थी । जीवन-संसार में क्या है ? एक निरंतर चिंता
और कष्ट !

यह तो है गिलहरी की बात ! ज़मीन पर जहाँ-तहाँ पड़ा चारा-दाना तुग
लेने से उसका पेट भर सकता है और पेड़ की कोटर उसके लिये घर है ।
परन्तु हाय रे मनुष्य ! तेरे तो हर एक काम में हज़ार झंझट हैं और फिर तेरे
सिर पर कौन मुसीबत नहीं ? आँधी-पानी है, आग और बाढ़ है, भूचाल है,
उस पर चोर डाकू है, अत्याचारी की स्वेच्छाचारिता है, और यह सब तुम्हारे
दयामय परमेश्वर की इच्छा से, उसके न्याय से है ।



गरीब का भगवान्

जगह-जगह पलस्तर छूट कर फ़र्श और दीवारों पर अद्भुत चित्रकारी होती चली जा रही है। यदि मानसिक उलझन से राह छूटते हुए किसी प्रख्यात कलाकार ने काग़ज पर ऐसी भूल भुलैया बना दी होती; इस चित्रकारी की भावगम्भीरता पर मासिक पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हो सकते, टिकट लगा कर इनका प्रदर्शन किया जा सकता था। परन्तु मध्यवित श्रेणी का ही भाग होने का दावा करने वाले, वास्तव में विच्छीन नागरिक के मकान में अद्भुत रूपरेखा में छलझा हुआ पलस्तर केवल मच्छरों, खटमलों, मकड़ियों और छिपकलियों की पैदाइश और बढ़ती की जगह है। उलझा फ़र्श घर भर को धूल से भर देता है। मकान मालिक किराये की उगाही में उतावला होने के बावजूद मकान की मरम्मत के मामले में विलकुल अधीर नहीं है। बहुत सीधा सा और रुखा सा उत्तर है—‘छोड़ न जाओ ! कौन एहसान कर रहे हो !’

वास्तविकता को देखते मानना पड़ेगा कि एहसान नहीं कर रहा हूँ। मकान में डटे रहना ही उस पर अन्याय जान पड़ता है। नये सिरे किराये पर चढ़े ऐसे मकानों के आसानी से पच्चीस और तीस रुपये भिल सकते हैं। हम पुराने किरायेदार होने के नाते भारत रक्षा विधान की छत छाया में १४) से एक पाई अधिक थमाने को तैयार नहीं। मकान मालिक मुन्शी की आँखों में कुछ अदब है। स्वयं उत्तर के बजाय तफ़सील देने की तकलीफ़ गवारा करते हैं—चूने की कीमत चौगुनी हो रही है, मज़दूर तिगुनी-चौगुनी मज़ुरी माँगता है; मालिक भी क्या करे ?………जेव से कोई कहाँ तक लगा दे ? मकान का सद भी तो नहीं निकल रहा !

विवश होकर स्वयम् मरम्मत करा डालने का निश्चय किया।

मज़दूर ने कहा—सवा रुपया रोज़ ! सुनकर जैसे अचम्भा-सा जान पड़ा, परन्तु जब उसने पेट पर हाथ मार कर कहा, इसे भी तो किसी तरह भरें कि नहीं ! तब लाचारी थी । तीन-चार दिन सोच कर मज़दूर हुये कि मुरम्मत कराना तो पड़ेगा ही । किर जैसा आज, वैसा कल । बल्कि हो सकता है, कल सवा से डेढ़ रुपया हो जाय ।

मज़दूर को लगा लिया लिया । संध्या समय दफ्तर से लौट कर देखा, इस हिसाब से तो महीना-पन्द्रह दिन तक मज़दूरी भरनी होगी । घरवाली ने शिकायत के स्वर में कहा—‘मुझ दिन भर जब देखो कभी पानी पीने जा रहा है, कभी पेशाब के बहाने निकल गया । हाथ पैर ऐसे चलते हैं; जैसे जान ही नहीं ! हरामझोर है एक नम्बर का !’

मज़दूर से बहुत झगड़ा हुआ । उसकी हरामझोरी के बारे में सन्देह नहीं था । लेकिन लड़ झगड़ कर वह अपना सवा रुपया ले ही गया । न देते तो कहीं गँवार हाथ छोड़ बैठता, क्या ठिकाना ! और अपना दारोगा साहब के यहाँ उठना बैठना है नहीं, जो कुछ हैसला करते । बेवसी थी ।

दूसरा मज़दूर एतवार के दिन लाये और थोड़ी-थोड़ी देर बाद ललकारते रहे । काम जितना चाहिये था उतना तो नहीं हुआ; परन्तु किर भी घरवाली को दिखा कर कहा—‘यह फ़रक होता है जब कोई देखने वाला सिर पर हो ।’

दूसरे दिन एतवार नहीं था । दफ्तर जाना पड़ा । दफ्तर में हर घड़ी घर पर हरामझोरी करते मज़दूरों का ख्याल बना रहा । दिन पर दिन रजिस्टरों में आँखें गड़ाये सिर यां ही चक्रा जाता है तिस पर घर की उल्भन । काम कुछ हुआ नहीं । पांच बजे चपरासी दिन भर के काम की रिपोर्ट भरवाने लाया । जो कुछ किया था लिख दिया । मन में आशंका थी, हेड-क्लर्क साहब कल दफ्तर में आते ही टोकेंगे—‘कहिये मिस्टर, यह दिन भर का काम है !’ और जब सालाना तरकी का मौका आयेगा, रोजाना रिपोर्ट उल्या कर दिखायेंगे । साहब के सामने पेशी होने पर वे ‘हरामझोर’ तो नहीं कहते; पर आँखों में आँखें गड़ा पूछते हैं—‘अपना काम होता तो क्या दिन में इतना ही करते ?’ और स्वयम किये काम की ओर संकेत कर दिखा देंगे, करने से इतना काम हो सकता है ।

साहब को मुनासिब जवाब देने का अरमान पूरा किया जाय तब, जब उनकी नौकरी के बिना पेट भर सके । उन्हें जवाब नहीं दिया जा सकता, मन बुट-धुट कर ही रह जाता है । मन कहता है—तुम्हारी जगह होते तो

उससे भी ज्यादा कर दिखाते १ तुम क्या पैतालिस रुपये माहवार में गुजारा करते हो ? पैतालिस सौ रुपये की तो तुम्हारी सबारी ही है । पैतालीस तब देते हो, जब सौ की मेहनत करा लेते हो । पाँच रुपया बढ़ाने का लोभ देते हो इस शर्त पर कि २०-२५ का काम और अधिक कर दिखायें । तनखाह देते हो तो कौन एहसान करते हो ! पैसा देना चाहते हो मुश्किल से जिन्दा भर रह सकने लायक और काम चाहते हो शक्ति भर । जैसे गाय के साथ किया जाता है । जितना हम कमा कर देंगे उतना थोड़े ही दे दोगे १ हमें दूह-दूह कर ही तो मोटे हो रहे हो बेटा ! और हमें ही आँख दिखाओ और हरामखोर बताओ । फिर इयात आया कि गाय पाल कर उसे इसलिये तो कोई नहीं दुहता कि लौटकर उसे ही पिता दिया जाय ।

सोच में गर्दन खुजाता भगवान के लिखे के आगे सिर झुकाये चला जा रहा था । फिक्र थी घर में लगे मज़बूर की जिससे अपना बहुत कुछ वही रिश्ता था, जो साहब का हम से है । घर पर आते ही घरवाली ने स्वर ऊँचा कर शिकायत की, देखा—‘चोर कैसा हरामखोर निकला ! कल तुम सिर पर थे, कुछ किया भी और आज तो जैसे हाथों में मेहदी रचा रखी है । आज कल से बारह आने भी नहीं किया । अब कल पैसे देते बक्त ख्याल रखना ।’

ऊंट अभी ताजा-ताजा पहाड़ के नीचे से चला आ रहा था, इसलिये कुछ अधिक बोलने का उत्साह नहीं हुआ । कह दिया—‘मरने दो हरामखोर को !’

जिस दिन दफ्तर में दिन अच्छा नहीं कटता, घर लौटकर बच्चों और बीबी से परेशानी होती है; भगड़ा हो जाता है । इसलिये कुछ अलग-सा बैठा, थाली पर पुकारे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था और मन में उठ रहा था—समाज के यह सब आर्थिक सम्बन्ध छीना-भफटी और चोरी-डकैती नहीं तो क्या हैं ? मेहनत करने वाला अपनी मेहनत का अधिक मूल्य चाहता है और मेहनत करने वाला कम से कम मूल्य देकर अधिक से अधिक परिणाम चाहता है ।

ऐसी हालत में किसी दूसरे के लिये मेहनत क्यों करते ? अगर उसके बिना गुजारा चल सकता ! दिल तो चाहता है, यदि रक्तम पास होती तो कोई रोज़गार कर लेते । रक्तम (यानि दूसरे की मेहनत खरीद सकने का साधन)……रोज़गार, यानि दूसरे की मेहनत के परिणाम से कम मूल्य देना !……मला तो नहीं मालूम होता; पर दुनिया में हो ही क्या रहा है……?’

‘तरकारी तो बना रखी है। बनिये के यहाँ से रुपये का आटा ले लो तो भट्ट से फुलके उतार दूँ !’—घरवाली ने सुनाया। इस थकावट पर यह सन्देश। तबीयत और भी भज्जा गई पर कुछ बोला नहीं। विचारों में जो उलझा हुआ था।

एक रुपया और अंगोला ले गली से चला जा रहा था। पहले रुपये का आटा होता था तो मज़दूर से उठवाकर लाते थे। सभी कुछ बेहद मंहगा हो रहा है; पर क्यों ?

सब चीज़ें मंहगी हो जाने का कोई कारण समझ नहीं पाता। कहते हैं कम पैदा हुआ है या लड़ाई पर जा रहा है, बाज़ार में जितना चाहिये उससे कम है। मान लिया कम है पर इससे दाम बढ़ने की क्या सफाई। दाम तो लागत के हिसाब से होने चाहिये ! लागत को कौन पूछता है। दाम होते हैं माँग के हिसाब से। यानि हमें ज़रूरत है तो आप चाहे जितनी कीमत माँग सकते हैं। मुझी भर आटे के लिये या एक गज़ कपड़े के लिये आप जितनी रकम चाहें हम से छीन लें। यह तो साहब मजबूर करना है, दबाना है और फिर अगर कोई आदमी गले में फंदा डाल कर या सीने पर छुरी रख किसी की गाँठ ढीली करवा लेता है तो उसमें ही क्या डाकाज़नी है ? अगर मुलम्मा की हुई चीज़ बाज़ार में सोने के दाम बेच देना चोरी है तो जो माल जितनी लागत और मेहनत से बना है, उससे ज्यादा दाम बसूल लेना क्या चोरी नहीं ?

हम कहते हैं चीज़ों के दाम क्यों बढ़ाये जाये ? देश में या बाज़ार में कोई चीज़ कम है तो सभी लोग हिस्से से थोड़ी-थोड़ी पायें। पर यह हो जो नहीं पाता। जिसके पास रुपया अधिक है वे अधिक दाम देकर यथेष्ट ले लेना चाहते हैं। जब हमारा बच्चा दूध के बिना बीमार हो रहा है, वे खाना खाकर बीमार पड़ना चाहते हैं। हाँ; जिनके पास और भी अधिक रुपया है, वे बाज़ार में कम पड़ती चीज़ को सबकी सब खरीद कर और भी मंहगा बेचते हैं और उनकी जेब में रुपया और भी अधिक बढ़ जाता है। इस तरह के कामों से कम रुपये वालों का संकट बढ़ाने की उनकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। मज़ा यह है कि जब भी कोई व्यक्ति सुखी होने की चिन्ता करता है तो यही सोचता है कि उसके पास रुपया बढ़ जाय यानि वह दूसरे को दुखी करने लायक हो जाय। खूब रही; हमारा सुख है तो दूसरों को दुखी कर सकने में।

हाँ, तो देश और बाज़ार में मौजूद सामान में सबके बराबर हिस्से की बात सोच रहा था। यह बात कुछ बेमतलब-सी ही है। हिस्सा निश्चय होना चाहिये। पैदावार के लिये की गई सब लोगों की मेहनत से, पर वह होता है लोगों की जेब में मौजूद रुपये से। एक बात और, रुपया अधिक कमाने का तरीका दम तोड़ कर मेहनत करना हो, तो मैं मान नहीं सकता। उसका तरीका है दूसरों की मेहनत का परिणाम हड्डप कर लेने का उपाय कर लेना। उसके लिये पैसा होना चाहिये। पैसा पैसे को खींच सकता है तभी तो कहते हैं— माया को माया मिले कर-कर लम्बे हाथ !

यह तो दिखाई दिता ही है कि जिसके पास रुपया है वही अधिक रुपया कमा सकता है। ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने जीवन भर की, अपनी सन्तान के जीवन भर की आवश्यकताओं के लिये रुपया है फिर भी वे कमाने की कोशिश करते हैं।

यह लोग रुपया इसलिये नहीं कमाते की ज़रूरतें पूरी करनी हैं; बल्कि इसलिये कि रुपया यदि यह लोग नहीं कमायेंगे तो कोई दूसरा उसे समेट लेगा। सम्पूर्ण कारोबार और उद्योग-धन्वे का अभिप्राय और परिणाम यह है कि समाज के रुपये को अधिक समेटा जाय और यह रुपया और अधिक रुपया समेटने के उपयोग में लाया जाय। आखिर जो लोग लाख दो लाख रुपया महीना कमा रहे हैं; उन्हें इसकी ज़रूरत ! सोने के कोर तो कोई खाता नहीं। बड़े से बड़ा ऐश भी आदमी करे, तो क्या खर्च कर लेगा ! पर यहाँ तो रुपया खर्च करने के लिये कमाया ही नहीं जाता, वह तो कमाई के साधन के रूप में कमाया जाता है, ताकि दूसरों के पास हमारी अपेक्षा कम रह जाय।

रुपया जो जनता के परिश्रम का, मेहनत का प्रतिनिधि है, उसे जनता के अपने उद्योग में न आने देकर यह लोग उसे क्यों समेटते जाते हैं ?

दूसरे की बस्तु ले लेना चोरी है, तो दूसरे की मेहनत खसोटना क्या चोरी नहीं ? बस्तु भी तो मेहनत से ही बनती है ! मेहनत तो सभी करते हैं; कम से कम मौका मिलने पर मेहनत कर रुपया सभी कमाना चाहते हैं। लेकिन; जिनके पास रुपये हैं, वे मेहनत का पूरा दाम रुपये की सूखत में देते नहीं सभी कारोबार तो उनके हाथ में हैं। कभी वे कहते हैं, कपड़ा मन्दा हो गया। कभी कहते हैं गल्ला मन्दा हो गया। क्या हम समझें कि लोगों को कपड़े और गल्ले की ज़रूरत नहीं रही। मतलब तो यही है न, इनके बेचने

से उन्हें कफ़ी मुनाफ़ा नहीं—इसलिये इन चीजों की बाजार में जरूरत नहीं। दुनिया मरती है तो उनकी बता से। और ऐसा; ऐसे ही लोगों के हाथ ताकत है। सरकार भी उन्हीं के हाथ में है। यह लोग मालिक हैं और सरकार मालिकों की मलका। नहीं तो इस कहर के ज़माने में, आज भी जिन लोगों के यहाँ खतियाँ भरी हैं उन्हें कोई पूछने वाला क्यों नहीं? मैं पूछता हूँ क्या इस खत्ती को वे अपने पेट में डाल लेंगे? पर उपाय हो तो क्या? उपाय की जरूरत है गरीबों को।

जो भी अपने दुख का उपाय करना चाहता है, गरीब नहीं रहने का ही यत्न करता है। पर गरीब तो दुनिया में रहेंगे ही यानि जब तक लोगों की मेहनत छीन कर अमीर बनना जायज रहेगा, ऐसा करने का साधन रहेगा, तब तक अधिक लोगों को गरीब ही बनना पड़ेगा! किर मजा यह है कि लोग अमीरों की इस चांरी को भगवान की इच्छा और न्याय कहते हैं।

भगवान ताक़तवर है, मालिक है; इसलिये वे तो मालिकों की सी कहेंगे ही। गरीब को भी एक भगवान् ढूँढ़ना होगा। वह कहाँ मिलेगा? शायद अपने जैसे दूसरे गरीबों में ही! उसकी ही सहायता पर वह भरोसा कर सकता है।



नया वर्ष

नया वर्ष आ गया। उसके लिये एक उत्साह भी दिखाई देता है परन्तु जब गत वर्ष जा रहा था मन में विचार उठता था, यदि यही वर्ष रहे तो अच्छा हो। बीते वर्ष के साथ सुख-दुख के कितने ही सम्बन्ध जुड़ गये थे, डससे एक सम्पर्क और मोह हो गया था। पर वह वर्ष बीतता कैसे नहीं! एक के बाद एक जब हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष बीत गये तो यह वर्ष कैसे टिका रह सकता था? कोभ का एक सांस लिया और तर्क ने सुझाया, समय कभी स्थिर नहीं रह सकता, गति ही धर्म है, गति ही जीवन है।

मनुष्य को परम्परागत अनुभव से कितनी ही बातें जानने को मिलती हैं। मनुष्य समाज के इन संचित अनुभवों की, अनेक पीढ़ियों की स्मृति और इनसे निकाले गये परिणाम ही मनुष्य-समाज का ज्ञान है। जीवन की भाँति मनुष्य के ज्ञान का गुण भी गति और विकास है। उस ज्ञान का कलेवर समाज का साहित्य है। यदि मनुष्य के जीवन और उसके ज्ञान का गुण गति और विकास है तो उसका साहित्य भी इस धर्म और लक्षण से मुक्त नहीं हो सकता। समाज अपनी अवस्था और उद्देश्य के प्रति जितना चेतन और चिन्ताशील होगा, उसी मात्रा और अनुपात से उसके साहित्य में गति और विकास की अनुभूति प्रकट होगी।

हमारे साहित्य (हिन्दी-उदू) में आज प्रगति की पुकार सुनाई देती है, उसका विरोध भी है। प्रगति के विरोध का विचार कुछ अप्राकृतिक सी बात जान पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे गत वर्ष की विदाई के ज्ञाणों में इच्छा हुई थी 'यही बना रहे तो अच्छा हो!' यदि कोई बालक चाहे कि उसकी आयु न बढ़े, कोई चाहे कि समय की गति रुक जाये, गति समय का धर्म है तो

[नया वर्ष]

समय से बना जीवन कैसे गतिहीन हो सकता है ? क्या समय और जीवन को अलग किया जा सकता है ? उदाहरण से यों समझिये—नदी का गुण है कि उसमें सदा प्रवाह रहता है। जो नाव नदी की धार में है उसे बहना ही पड़ेगा ।

यह उपमा पूर्ण नहीं क्यों ? नाव प्रायः बहाव से हटकर लड़ी भी रहती हैं। काश्मीर में तो लोग नाव घर (House boat) में घर बना कर रहते हैं। ठीक है, परन्तु नाव को स्थिर रखने के लिये उसे प्रवाह से हयाकर या तो किनारे लगा लेना होता है या उसे किसी तालाब या पोखर में रखना पड़ता है। समय की नदी और जीवन की नाव की इस उपमा के साथ दूसरा प्रश्न भी जुड़ा है ? क्या हम अपने जीवन की नाव को स्थिर कर देना चाहते हैं ?…… क्या हम जीवन के उद्देश्य की मंजिल पर पहुँच गये हैं ?…… क्या हम समय को भी स्थिर जल के तालाब की भाँति समझ सकते हैं ? यदि समय गतिहीन तालाब नहीं, और यदि हम जीवन की पूर्णता की मंजिल पर पहुँच नहीं गये तो परिवर्तन के प्रवाह से हटकर व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की नाव को किनारे कैसे लगा दिया जा सकता है ।

जीवन में गति का मोह ही लक्ष्य है। यदि जीवन में केवल गति ही लक्ष्य हो तो आँखें मूँद कर जीवन की नाव को समय के तेज प्रवाह में छोड़ देने की वृत्ति होनी चाहिये। मनुष्य ने ऐसा कभी नहीं किया और करेगा भी नहीं, क्योंकि वह चिन्ताशील है। चिन्ताशीलता और विचार में ही उसका मनुष्यत्व है। चिन्ताशील और विचारपूर्ण भाव से उद्योग के पतवार चला कर जीवन के विकास की ओर जाना ही मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयत्नों का लक्ष्य और उद्देश्य है। और समाज की चिंता और विचार की प्रतिक्रिया का स्थूल और संचित रूप ही साहित्य है। समाज के साहित्य में यदि सचेत गति और प्रगति का संकेत लक्षित न हो तो वह हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक जड़ता का प्रमाण होगा ।

यदि हम अंध गति में विश्वास नहीं रखते, यदि मनुष्यता के नाते हमें समय के प्रवाह में जीवन नौका की गति-विधि को विचार और चेतना से निश्चय करना है तो आज के युग में अपनी नाव में विज्ञान की मोटर लगा कर हम प्रवाह के विरुद्ध जाने का भी निश्चय कर सकते हैं। नदी के प्रवाह की दिशा से अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है, हमारा इष्ट और लक्ष्य ! यदि हम अपनी मंजिल की बन्दरगाह लाँघकर प्रवाह के साथ बहते

हुए गंगा सागर या सिन्ध की खाड़ी में गिरने जा रहे हैं तो कोई वजह नहीं कि लौटने का यत्न न किया जाय !

इसी तर्क के आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ता है कि हमारे समाज में साहित्य की आधुनिक प्रगति के विरोध की प्रवृत्ति, जड़ता नहीं, बल्कि पीछे लौट चलने की सचेत भावना है। हमारे सामाजिक जीवन की उस मंजिल की ओर लौट चलने की भावना है जिसमें रम्य नदी तटों पर ऋषि-आश्रमों में तपस्विनी बालायें हिरण्यों के साथ किल्लोतल किया करती थीं और तपोधनी महाज्ञानी यज्ञ से उठते पुनीत धूएँ से सुवासित बातावरण में 'अगम' को जानने के लिये समाधि लगाये रहते थे। जिस समय चार घोड़ों से लीचे जाते स्वर्ण रथ पर सबार महाराज कामिनी को अंक में लिये मूरा का शिकार करते और ज्ञानधनी ऋषियों को स्वर्ण से मढ़े सींगों वाली हजार-हजार गौओं और...दास-दासियों का दान देते थे, तब हमारे पूर्वजों के धनुष की टंकार से दिशायें गूंज उठती थीं।

जिस मंजिल से हम गुजर आये हैं, साहित्य के पदों पर उसका यह चित्र अत्यन्त सुहावना जान पड़ता है। चित्र की भलक और बास्तविकताओं में कुछ अन्तर होता है। सिनेमा के पदों पर सूर्य की किरणों में नाचती तालाव की लहरियाँ, कमल किनारे पर फुटकरे पक्षी और भ्रमर सब अत्यन्त सुन्दर जान पड़ते हैं। परन्तु किनारे का वह दलदल जिसमें फँसकर निकलना तुष्कर हो जाता है, दलदल में छिपी जोके और तड़पा देने वाले मच्छरों के डंक चित्र में दिखाई नहीं देते। और फिर कौन कह सकता है:— हमारे पूर्वज दान देने और लेने वाले महाराज और ऋषिवर ये या दान में दे दिए जाने वाले द्विपद दास पशु। जो भाव्यशाली शासक वर्ग की पालकी उठाकर चलते थे। और यदि वह स्वर्ण युग आज फिर लौट आये तो पालकी हमारे कंधों पर होगी या हम पालकी पर होगे। पालकी आरूढ़ हो सकने की सम्भावना और पालकी ढाने की आशंका दोनों में से कोई भी हमें स्वीकार नहीं! क्योंकि मनुष्यों में मनुष्य बन कर रहना ही हमारी महत्वाकांक्षा है। वह कौन मनुष्य है जो शेष मनुष्यों से कुछ अधिक बन जाना या मनुष्य से कुछ नीचे रह जाना चाहेगा? कितना ही सुहावना चित्र हमारे सम्मुख उस बीती मंजिल का आप पेश करें परन्तु मनुष्य की नस्त में ही भोक्ता और भोग्य का अंतर हमें स्वीकार नहीं।

और यदि कहो कि वर्तमान युग की सभी सुविधाओं को लेकर प्राचीन की भावना का पोषण किया जाय तो वह सम्भव नहीं दीखता। मनुष्य का

जीवने उसके साधनों का परिणाम है और उसकी अनुभूति, भावनाएँ और विचार उसके जीवन के क्रम से पृथक नहीं हो सकते। मनुष्य के साधनों और मनुष्य की मनुष्यता में अन्योन्याश्रय (अरण्डे से मुर्गी और मुर्गी से अरण्डे) का सम्बन्ध है। विचार की उसकी शक्ति उसे साधन उत्पन्न करने और साधनों का विकास करने की क्षमता देती है और उसके विकसित साधन उसे अधिक विचार कर सकने की, उचित-अनुचित और न्याय-अन्याय के विवेचना का अवसर देती है।

मनुष्यत्व है क्या ? शास्त्र कहता है—“धर्मोहितेषां अधिको विशेषो” मनुष्यत्व ‘धर्म’ में है। पशु में धर्म नहीं होता। परन्तु वह ‘धर्म’ क्या है ? हमें मनुष्य और पशु में केवल एक ही भैद दिलाई देता है और वह है साधन सम्पन्न और साधनहीन होने का। यह साधन ही ‘धर्म’ है। इस धर्म (साधन) के बल से ही मनुष्य प्रकृति में आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र और कर्म योनि का अधिकारी है क्योंकि मनुष्य प्रकृति में अपने जीवन के लिये आवश्यक पदार्थ और परिस्थितियां स्वयम् उत्पन्न कर सकता है—पशु ऐसा नहीं कर सकता। मनुष्य के साधनों का विकास ही उसके मनुष्यत्व का विकास है। विकास की इस मंजिल से पीछे हटने के लिये हम तैयार नहीं, कौन मनुष्य है जो तैयार होगा ?

यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी सामाजिक स्थिति की वर्तमान मंजिल में सभी कुछ सत्यम्-शिवम्-सुन्दरम् (सुन्दर और संतोष जनक) है। ऐसा नहीं है इसलिये मनुष्य समाज की विकासोन्मुख प्रवृत्ति मौजूदा समाज में अव्यवस्था के रूप में बन गये बन्धनों को दूर कर प्रगति और नयी व्यवस्था की माँग कर रहा है।

जिस व्यवस्था को अपनाकर हम अपना पोषण और विकास करते रहे हैं उसके प्रति अनुराग स्वाभाविक है। यह बात स्थूल पदार्थों के लिये ही नहीं, भावना और संस्कारों के लिये भी सत्य है परन्तु चिड़िया का बच्चा फुदक सके और उड़ सके इसके लिए आवश्यक है कि उसकी रक्षा करने वाले अरण्डे का छिलका टूट जाय। जिस भिल्ली में लिपटा रह कर शिशु गर्भ में रक्षा पाता है और जिस नाड़ से वह गर्भ में पोषित होता है, जन्म के पश्चात् उस भिल्ली और नाड़ का मोह छोड़ना ही पड़ता है। जिस पौष्टिक पकवान से शरीर ने रस ग्रहण कर लिया है, उसका उपयोग मेडे में हो जाने के बाद उससे निवृत्ति लेनी ही पड़ती है। फिर हमारे समाज के विकास में

समय विशेष और समाज की अवस्था विशेष में अपनाई नीति और संस्कृति के लिये इस नियम की उपेक्षा कैसे की जा सकती है ? उसमें परिवर्तन करना ही होगा ।

मनुष्य समाज की भावना, अनुमति और संस्कृति के समुच्चय साहित्य के विषय में विकास, परिवर्तन और प्रगति का यह नियम अपना कैसे हो सकता है ? साहित्य के विषय में यह नियम इतिहास के किस युग में अपवाद बन पाया था जो आज ऐसा हो सके ? वेदों के उद्गाथक अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से लेकर प्रेमचन्द्र तक किस साहित्य ने समय से प्रभावित होकर स्वयं समय को प्रभावित करने का यत्न नहीं किया । यदि व्यास और कालिदास, कालिदास और चन्द्रवरदाई, चन्द्रवरदाई और तुलसी, तुलसी और भारतेन्दु और फिर प्रेमचन्द्र की भाषा, समस्याएँ और पात्रों में परिवर्तन है तो आज का साहित्यक व्यास करे ?

बदलते वर्ष के साथ वह समय की उपेक्षा कैसे करे ? न करने पर भी पुराना वर्ष जायगा ही, नया आयगा ही और नया समय नयापन लेकर……।



समाज के शत्रु

कल्पू आठ बरस जेल की सज्जा काट रहा है। जिस दिन उसे अदालत ने आठ वर्ष के कारावास का दण्ड दिया था, उसका हृदय चिद्रोह की अर्द्धन से जल उठा। अपनी कल्पना में, मन में और मुख से गालियाँ दे अपमान की जितनी चोट वह अदालत को पहुँचा सकता था उसने प्रतिहिसा में पहुँचाई और फिर विवश हो, जेल की दुष्पाच्य दाल रोटी को, चोरी से पाई चूता मिली पत्ती की तम्बाकू की फांकी से हज़म करता हुआ सज्जा के दिन पूरे करने लगा।

जेल में सज्जा की मशक्त वह उतनी ही करता है जितनी के लिये लाचार है। कल्पना में वह सोचता है, जब वह इस बार जेल से छूट कर जायगा, इस ढंग से चलेगा कि फिर पकड़ा न जाय। इस दफे भी वह केवल पुलिस की बैद्धमानी और अदालत के पक्षपात के कारण सज्जा पा गया। उसके विश्वद सुवूत नहीं था।

उसके सम्मुख यह प्रश्न नहीं कि उसने क्या किया ? पहले एक बार उसे चोरी के अपराध में सजा मिली थी। पुलिस ने दूसरी बार फिर उसका चालान चोरी के अपराध में कर दिया और अदालत ने उसे चोरी का अभ्यस्त अपराधी समझकर दण्ड दिया। चोरी के इलजाम को कल्पू स्वीकार नहीं करता। परन्तु अपने मन में वह जानता है कि अपने गाँव के रामाधार अहीर का बैल गत में खोलकर वह दूसरी तहसील में बेचने के लिए ले जा रहा था। जब उसने पुलिस के सन्देह की आशंका देखी वह बैल को छोड़ सक गया। परन्तु फिर भी पुलिस ने उसका और लावारिस बैल का सम्बन्ध जोड़ कर चोरी के अपराध में उसका चालान कर दिया।

अहीर का बैल खोलकर वह इसलिये नहीं ले गया कि उसे अहीर से द्वेष था और वह अहीर को हानि पहुँचाना चाहता था। मार्गशीर्ष का महीना लग गया था। उसके यहाँ पिछली फसल में जो कुछ हुआ था वह चुकने को आ गया और चिल्ला जाड़ा पड़ने से पूर्व रजाई की आवश्यकता थी। इन चीजों की जरूरत किसे नहीं होती । सभी को होती है और अपने-अपने रिजक के ढंग से सभी इन चीजों को कमाते या पाते हैं।

गाँव के जमीदार राजा आदमी हैं। उनके यहाँ भगवान का दिया सब कुछ है। चार गाँव जमीन हैं। किसान जोतते हैं और अपनी पैदावार से उनका लगान देते हैं। कल्लू आठ बीघे जमीन जोतता है और जमीदार के खजाने में आठ रुपया फसल के जमा करता है। इजारों रुपया जमा होता है। उनके यहाँ रुपया बहता है। जहाँ रुपया है, वहाँ सब कुछ है।

बन्दे साह फसल पर गाँव से गल्ला खरीद शहर ले जाते हैं। शहर से कपड़ा, नमक, तेल, गुड़ लाकर गाँव में बेचते हैं। इस हेरा-फेरी में उन्होंने पक्की हवेली खड़ी कर ली है।

थानेदार साहब धोड़े पर गाँव-गाँव फिरते हैं। उन्हें सरकार तनझाह देती है और फिर जब कोई कुछ कर बैठता है या किसी तरह का काम पड़ जाता है तो उन्हें खुश करना ही पड़ता है। बकील साहब भी जब किसी का मामला अदालत में लाते हैं, रुपया पाते हैं और रुपये से सब काम चलता है। किसी चीज की कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं, केवल रुपया चाहिये।

कल्लू को भी अहीर के बैल की जरूरत नहीं थी। वह बैल रुपया बनाने के लिये ही ले जा रहा था। रुपया चाहिए था उन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिये जिन्हें सब पूरा करते हैं। जैसे दूसरे लोगों के रुपया पा सकने के अपने ढंग हैं, वैसे ही कल्लू का भी एक ढंग है। रामरतन की बछिया खोल कर वह अहमदपुर ले जा दस रुपये में दे आया। मिर्जा की बकरी वह छः रुपये में बेच आया। उसकी ज़रूरतें पूरी हुई हैं। पिछली बार मेले में बजाज के यहाँ से धोती जोड़ा उठाने में फँस गया था, वैसे ही अब की बैल के मामले में फँस गया।

दूसरे लोगों को अपनी ज़रूरत पूरी करने पर पुलिस कुछ नहीं कहती, कल्लू बेचारे को पकड़ लेती है। उस पर चोरी का इतज़ाम लगाकर चालान छुर दिया जाता है। कल्लू कहता है—यदि सुबूत से वह चोर साबित हो जाय तो बेशक उसका सिर मार दिया जाय। अगर सुबूत न हो तो उसे सजा

देना जुल्म है। उसका अभिप्राय है, सुबूत में फँसै बिना यदि वह अपना काम बना ले तो किसी का क्या ! वह दाँव है यदि उसका दाँव पड़ पड़ जाय तो दूसरी बात।

कल्तू दार्शनिक नहीं, नीतिज्ञ नहीं, वह मौखिकता का दाँव भी नहीं कर सकता ! वह संसार में जो कुछ अपने चारों ओर देखता है उसे अपनी समझ के अनुसार समझता है। उसे संसार में सब ओर दाँव-न्हीं-दाँव दिखाई देता है। दाँव का पड़ और चित्त पड़ना भाग्य की बात है। ज़मीदार राजा चार गाँव के मालिक बाप के घर पैदा हुए। यह भाग्य का दाँव नहीं तो क्या है ? जिसे ज़मीन की ज़रूरत है वह भक्त मार कर उन्हें मुँह माँगा लगान देगा।

बन्दे साह तेरह रुपया मन भरते हैं और जब अपना अनाज समाप्त हो जाने पर कल्तू लाला को स्वयम् ही बेचा अनाज उधार खरीदने जाता है तो लाला २३) मन के हिसाब से अङ्गूठा लगवा लेते हैं। यह दाँव है कि नहीं ? जब वह या उस जैसा दूसरा कोई आदालत में फँस जाता है तब वकील बाबू रुपये गिनवाये बिना जज के सामने नहीं जाते और जब गोङ्ग में फावड़ा लग गया था, लुटिया बेचकर डाक्टर बाबू के सामने दो रुपया रखे बिना उन्होंने दवाई देने से इनकार कर दिया था। यह दाँव था या नहीं ?

अब वह सेन्ट्रल जेल में बन्द है। सरकार ने लोहे और पक्की ईंटों की तीस लाख रुपये की इमारत उसे और उस जैसों को बन्द रखने के लिये ही बनवाई है। वह ताले में बन्द रहता है। उसकी पिंजरानुमा बारिक के बाहर ऊँची दीवार है। दीवार के अन्दर पहरा है, दीवार के बाहर पहरा है। मतलब यह कि वह भाग न जाय। अर्थात् उसका दाँव लगने देने का पूरा प्रबन्ध कर लिया है। सरकार स्वीकार करती है, एलान करती है कि उसकी और सरकार की दाँव की लड़ाई है !…………ऐसी अवस्था में यदि उसका दाँव लग जाय तो ?

परन्तु उसका दाँव लग जाने पर वह और दण्ड पायेगा। सरकार का दाँव बरसों उसकी आयु भर सफल होता रहने से वह प्रशंसा की पात्र है। इसे कल्तू अपना भाग्य और निर्वलता के अतिरिक्त और क्या समझ सकता है ?

जेल से बाहर पुलिस थी। पुलिस डण्डा, गोली बन्दूक और हथकड़ी ले तैयार थी कि कल्तू या कल्तू जैसे दूसरे आदमी दाँव लगाने का यत्न करें तो

दबोच लिये जांय। पुलिस का यों तैनात रहना इस बात का प्रमाण है कि इस प्रकार के आतताइयों से देश भरा है। निसन्देह ऐसे आततायी सैकड़ों नहीं हजारों हैं। उनकी संख्या लाखों तक पहुँच सकती है। दांव लगाकर समाज के शीर को नोच लाने के लिये चोट करने वालों को समाज का शत्रु नहीं तो और क्या कहा जा सकता है?

समाज का शत्रु कौन है? जो समाज को हानि पहुँचाये, समाज को कष्ट दे। समाज की हानि और लाभ क्या है? यह बात हानि लाभ का निर्णय करने वाली शक्ति के विचार और अपने हित पर निर्भर है। बद्दे साह जिस प्रकार हवेलियाँ खड़ी करते रहे, उस ढंग को इस महायुद्ध से पूर्व इस देश की शासन शक्ति ने कभी बुरा नहीं बताया। व्यापारिक कौशल इसी बात में रहा कि सस्ता से सस्ता खरीद कर मँहगा बेचा जाय। आज युद्ध-काल में जब इस ढंग का परिणाम चरम सीमा पर पहुँच गया तो समाज, देश और सरकार के प्रति अन्यथा जँचने लगा।

समाज के हानि लाभ का विचार छोड़ यदि केवल नैतिक दृष्टि से देखा जाय तो कल्लू के काम और बन्दे साह, बकील साहब, डाक्टर साहब के ढंग में कुछ अन्तर नहीं दिखाई देता। प्रत्येक अपनी आवश्यकताओं पूर्ण करने के लिये रूपये के रूप में साधन बटोरता है। उसके प्रकट उपाय भिन्न-भिन्न हैं। या इन उपायों की स्वीकृति में अन्तर है। कोई व्यापारी, बकील, डाक्टर अपना पेशा जनहित के लिये नहीं करता। यह सब अनेक प्रकार के दाँव हैं। जिस से परिस्थिति विशेष में दूसरों को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए विवश किया जा सकता है। कल्लू और उस जैसों का उपाय हमारे वर्तमान समाज में व्यवस्था की दृष्टि से हेय समझा जाता है।

हमारे समाज में कल्लू और उस जैसों का दांव हेय समझा जाने पर भी वह सदा से हेय रहा हो सो बात नहीं। अफरीदियों के इलाज के में लूट और डकैती आज भी जायज़ पेशा है। जितना कि हमारे समाज में मरणासन्न रोगी के सम्बन्धी से फीस पाये बिना इलाज करने से इनकार कर देना या किसी बजाज का सर्दी से मरते व्यक्ति को बिना दाम पाये कपड़ा देने से इनकार कर देना।

व्यक्तिगत उद्देश्य से जब हम कल्लू और उस जैसे समाज के इन शत्रुओं और समाज के सम्मानित पेशेवर लोगों में अन्तर नहीं पाते तो समाज के इन शत्रुओं का दुर्भाग्य केवल उनके दाँव की कमज़ोरी में ही दिखाई देता है।

प्रश्न है कि ऐसे लोगों की सामाजिक शत्रुता का कारण क्या है ? समाज को हानि और कष्ट पहुँचाने के उद्देश्य से ही वे जोलिम भेलने जाते हों सो बात नहीं । यथार्थ है कि वे जीवन की उन सब सुविधाओं और अवसरों के लिये, जिनके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते वेदंगे प्रयत्न करते हैं । जीवन की इन आवश्यकताओं और अवसरों के बिना उनका जीवित न रह सकना उनका अपराध नहीं समझा जा सकता । उनका अपराध है, वेदंगे उपायों का अवलम्बन और इन उपायों के अवलम्बन का कारण है—उनकी उपायहीनता या समाज का शत्रु बनने के लिये उनकी मज़दूरी ।

समाज के इन शत्रुओं के अपने जीवन की रक्षा के उपाय यदि समाज को ठेस पहुँचाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि समाज रूपी रेतगाड़ी के डिब्बों में जीवन निर्वाह के उपायों के रूप में बैठने का स्थान कम है । पहले आकर या किसी तरह से रिंजरी कराकर जिन लोगों ने बैठने का स्थान पा लिया है, समाज के शत्रु स्थान न होने पर भी गाड़ी में बुझ उन्हें ढेलते और कष्ट पहुँचाते हैं । इस उपमा को नैतिक और दार्शनिक भाषा में कहा जाता है ‘जीवन संघर्ष है—जीवन है संग्राम बन्दे, जीवन है संग्राम !’

यदि जीवन संग्राम और संघर्ष ही है तो फिर जितना अधिकार हमें अपने लिये स्थान घेरने का, प्रयत्न करने का है उतना ही कल्पु और उस जैसे व्यक्तियों को है । हम उन्हें समाज का शत्रु कहते हैं । उनमें संस्कारों का इतना गर्व नहीं कि स्थान रिंजरी रखने वालों को समाज का शत्रु कह सकें, वे अपने आपको पीड़ित और आभागा कह कर केवल दाँव लगाने का अधिकार मांगते हैं ।

समाज के सुखी और सम्पन्न अंश को समाज का हित-चिन्तक और समाज के साधनहीन अंश को समाज का शत्रु मान लेना हमारे समाज की आज दिन स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार तो ठीक है परन्तु इस व्यवस्था को प्राकृतिक नियमों के अनुसार सर्वकाल के लिये सत्य नहीं माना जा सकता ।

युद्धकाल के अनुभव के बाद सरकार ने गल्ले, दूध तथा जीवन के लिये दूसरी नितान्त उपयोगी वस्तुओं के व्यापार या वितरण को व्यवसायी के निर्णय पर, उसके मुनाफे की कसौटी पर क्यों नहीं चलने दिया ? इसलिये कि आज दिन की कठिन परिस्थिति में उस व्यवस्था की असंगति स्पष्ट हो गई । यह व्यवस्था मनुष्य समाज की रक्षा का मार्ग नहीं उसके विनाश का मार्ग जान पड़ने लगी और उसी मार्ग (मुनाफ़ा खोरी) पर अड़े रहने वालों

को समाज का शत्रु करार दिया गया। इमें यह स्वीकार करना पड़ा कि व्यवस्था का उद्देश्य समाज की रक्षा या सर्वजन की रक्षा है।

कल्लू जैसे और समाज के शत्रु कहलाने वाले प्राकृतिक रूप से मनुष्य समाज के शत्रु साँप, बिच्छू, प्लेग और हैंजे के कीड़ों की भाँति नहीं हैं। वे समाज के शत्रु उसी रूप में हैं जिस रूप में सस्ते मूल्य पर खरीद करने की इच्छा करने वाला गाहक महंगा बेचने की इच्छा रखने वाले व्यापारी का शत्रु है या स्टेशन पर बहुत भीड़ की अवस्था में स्थान के लिये परस्पर झगड़ने वाले मुसाफ़िर। इस शत्रुता का कारण केवल आत्मरक्षा और परस्पर हितों के विरोध की भावना है।

समाज में इस प्रकार प्रकट होने वाले वरोधों का उपाय हम समाज की चादर में सुधारों की छोटी-मोटी चिन्नियां लगाकर करना चाहते हैं। कारण यह कि हमारा दृष्टिकोण अब भी संस्कारों और श्रेणियों के अधिकार और हित के विचार से प्रभावित है। यदि हम मानवता के आधार पर कुछ तर्क करें तो व्यवस्था का केवल एक आधार दीलता है—सब मनुष्यों को विकास और आत्मरक्षा का समान अवसर हो और प्रत्येक मनुष्य को अपने श्रम का पूरा फल पाने का अधिकार और अवसर हो। केवल इसी आधार पर समाज के सब लोग परस्पर मित्र हो सकते हैं।



चोरी मत कर

उपनिषद में लिखा है—“मागृधः कस्यस्विद्दनम्”—किसी का धन लेने का यत्र भत करो। इतनी अमूल्य बात हमारे शृणि हमें उत्तराधिकार में दे गये। इस बात का हमें अभिमान है। यह बात सोच कर अभिमान से मेरा सिर ऊँचा हो गया। पर उसी समय खब्याल आया उन नुकाचीन लोगों का जो दूर बात में पड़ निकाल सकते हैं।

जानते हो वे क्या कहेंगे?—वे कहेंगे ऐसी अमूल्य बात तो दुनिया भर के सभी धर्म-ग्रन्थों में लिखी मिलेगी और यदि कल्पु धुन है और जगन मोची भी—जिनके वंश में जहाँ तक इतिहास की पहुँच है, कभी किसी ने काला अक्षर नहीं पढ़ा—इस बारे में यही राय देंगे।

किसी का धन यदि कोई न ले तो तो इस संसार के सब संकट दूर हो जायें। संसार से भगड़े-भंडट दूर हो जाय। कच्छही, हाईकोर्ट, पुलिस, जेल न रहें, फौजें न रहें, राष्ट्रों को जंगी जहाज और बड़ी बड़ी तोपें न बनानी पड़ें और शायद दुनिया के तीन चौथाई कामों की ज़रूरत नहीं होगी।

किसी के धन को कोई न ले। संसार की शांति के इस सूक्ष्म और महामंत्र को कौन नहीं जानता? संसार के प्रकारड महाविद्वानों से लेकर मूढ़ नर तक सब इस सत्य को जानते हैं परन्तु उनका यह सत्य-ज्ञान व्यर्थ है। संसार अब भी छीना-भपटी और मार-काट में तबाह हो रहा है।

X

X

X

सूर्योदय की प्रथम लाती द्वितिज पर प्रकट हो रही थी और उस ओर देखकर मैं यह सोच रहा था कि सूर्य की किरणों के पृथ्वी पर फैलते ही सब और दूसरे के धन को हड्डप लेने का कारोबार शुरू हो जायगा। पहली उठेंगे और बूज्हों के धन फलों पर टूट पड़ेंगे। मधु-मक्कियाँ जारेंगी और फूलों के

धन मधु पर धावा बोल देंगी। पशु धास के शरीर पर दाँत मारेंगे और हिंसक पशुओं का तो कहना ही क्या ! लाला जी दूकान को बुहार कर गाहक की जेव में पड़े पैसे की प्रतीक्षा करेंगे। मज़दूर मालिक की तिजोरी में पड़े पैसे को हथियाने के लिये उसकी इच्छा के मुताबिक मेहनत करने को तैयार होगा और मालिक मज़दूर के शरीर की शक्ति को निचोड़ कर रुपये की शक्ति में बटोरने के लिये उसे मज़दूरी के प्रलोभन में फँसाने की कोशिश करेगा। दुनियां में ऐसा कौन है जो केवल शौक से या दूसरों का भला करने के लिए ही सुबह उठकर अपनी हड्डियाँ घिसने को तैयार होगा ? कोई नहीं, कोई नहीं ! सब डाकू हैं, सब चोर हैं, सब ठग हैं। यह दुनिया स्पर्धा, लूट, चोरी और अन्याय से भरी है। क्या यह रहने लायक जगह है ? भगवान् बुद्ध ने संसार में यह अन्याय देखा और उन्हें वैराग्य हो गया। उन्होंने इस अन्याय को दूर करने के लिये अपना जीवन बलिदान कर दिया; परन्तु क्या संसार के इस अन्याय में रक्ती भर भी कमी हुई। वह तो वैसे ही चला जा रहा है। इसलिये मैं वैराग्य लेना भी व्यर्थ समझता हूँ। परन्तु अन्याय—अर्थात् दूसरे के धन को कोई छीन ले, यह कैसे गवारा किया जा सकता है।

X X X

नीम की हरी-हरी टहनी को देखकर दातुन तोड़ लेने के लिये मन में लालच उठा और दातुन तोड़ ली। तब ख़याल आया कि यह भी तो पाप था। वृक्ष के शरीर का अंग तोड़कर उसे दाँतों में कुचलना। डाँव बोस का कहना है कि वृक्षों में भी प्राण हैं, संज्ञा है, फिर क्या यह पाप नहीं ? परन्तु शाखों का मत यह है कि सम्पूर्ण संसार की सृष्टि मनुष्य के उपयोग के लिये है। इस सिद्धान्त को माने विना मनुष्य का जीवित रहना समझना नहीं। इसलिये मैं भी इसे मानता हूँ और जो इसे नहीं मानता उसे मैं सभी विद्वानों की तरह मूर्ख मानता हूँ।

वृक्ष, शाक, पात, फल विज्ञान ने इन सब में जीव सिद्ध कर दिया तो क्या ? हम यह जानते हैं कि इनकी संज्ञा और जीवन-शक्ति इतनी कम है कि वे हमारे उपयोग के सिवा और किसी काम के नहीं।ठीक है, हमारे मुहल्ले के लाला जी का भी यही ख़याल है कि शहर के मज़दूर और गँव के किसान इतने निचले दर्जे के आदमी होते हैं कि जमीनदारों और दूसरे बड़े आदमियों के उपयोग में आने के सिवा संसार में उनके अस्तित्व की कोई सार्थकता नहीं; यह लोग पशुओं और वनस्पति के समान ही ऊँचे दर्जे

के मनुष्यों के उपयोग के लिये ही संसार में पैदा हुए हैं। लालाजी ने सफलता का पाठ अनुभव की पाठ्यपुस्तक से पढ़ा है; वे धोखा नहीं खा सकते।

इतिहास भी तो यही बताता है। एक बहुत ऊँचे दर्जे का आदमी था राम और दूसरा रावण। उनके उपयोग के लिये लाखों आदमी निछावर हो गये। ऐसे ही कौरव-पांडव थे, सिकन्दर, चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य, पृथ्वीराज, महमूद, बाबर, अकबर, नैपोलियन—सब इसी तरह के ऊँचे दर्जे के आदमी थे, जिनके उपयोग के लिये हमारे तुम्हारे जैसे साधारण आदमी काम आये। हिटलर, मुसोलिनी और चेम्बरलेन भी उसी दर्जे के आदमी थे। उनसे नीचे दर्जे के आदमी हैं हमारे लालाजी, हमारी मिल के साहब और दूसरे बड़े कहलाने वाले आदमी, ज़मीदार या ताल्लुकेदार। इसके बाद हमारी गिनती है। हम त्रिशंकु की श्रेणी के मनुष्य हैं। बड़े आदमी हमें अपने उपयोग की चीज समझते हैं और छोटी श्रेणी के आदमियों को हम अपने उपयोग की चीज समझते हैं। छोटी श्रेणी के आदमी गाय, बैत, धोड़, गदहे को अपने उपयोग की चीज समझते हैं और यह जानवर? क्या यही अन्तिम चीज़ है? नहीं, यह बनस्पति धास को अपने उपयोग की चीज समझते हैं। यह बनस्पति, बायु और मिट्टी में शामिल अणुओं, परमाणुओं को अपने उपयोग की चीज समझते होंगे और उसके आगे मुझे कुछ मालूम नहीं। ऊपर की ओर परमात्मा से परे मेरी कल्पना नहीं पहुँचती और नीचे की ओर बायु और मिट्टी के अणुओं और परमाणुओं से परे हमारा साधारण विज्ञान नहीं पहुँचता। ऊपर से नीचे तक जहाँ भी देखता हूँ शक्ति का अधिकार हमें अपने से कम शक्तिशाली को, अपने कम ताकत के प्राणी या चीज़ को अपने उपयोग की चीज समझने का अधिकार दे देता है।

X

X

X

प्रभात की लाली, और शहर के बाहर के एकान्त में बेमतलब ख़्याल आ जाने से समय का ध्यान नहीं रहता। अचानक ध्यान आया, रात पड़ोस में किसी के घर में पुत्र-जन्म हुआ है, उसके यहाँ बधाई देने जाना है।

पुत्र-जन्म पर बधाई दी जाती है और पुत्र प्राप्त करने वाले जलसा करते हैं, कितनी बेवकूफ़ है दुनिया?

अगर मैं अपना यह ख़्याल सब को सुनाऊँ तो लोग उल्टे मुझे ही बेवकूफ़ बनाने लगेंगे। परन्तु मैं यह सोचता हूँ कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, जितने पदार्थ या सम्पत्ति है, उस के तो मालिक मौजूद हैं किर यह

जो नए पैदा होने वाले छलांग मारते चले आते हैं, यह क्या करेंगे ? इनके पैदा होने के समय भगवान खेती के लायक ज़मीन और उत्पत्ति दूसरे के साधन उनके साथ एक बरड़ल में बाँधकर क्यों नहीं भेज देते ? यह तोग अगर मौजूदा मनुष्य-संख्या की मिलिक्यत में छीना-भग्यी नहीं करेंगे तो गुजार कहाँ से करेंगे ?

यह मैं मानता हूँ कि दुनिया में अगर आदमी पैदा होते हैं तो मरते भी हैं । परन्तु मनुष्य-समाज के दुर्भाग्य से जितने आदमी मरकर जगह खाली कर के जाते हैं उससे कहीं अधिक बढ़े चले आते हैं । मरना कोई नहीं चाहता । पैदा सब करना चाहते हैं । तभी तो संसार की मनुष्य-संख्या बढ़ती चली जाती है और किसी दूसरे के धन को छीनने का सवाल सामने आये बिना नहीं रह सकता ।

पैदा होते समय कोई साथ तमस्सुत्र या चेक लेकर नहीं आता । बाप अपनी कमाई से ही पुत्र को धनवान बना कर खुद इच्छा न रहने पर भी चला जाता है । पुत्र बाप की मिलिक्यत का मालिक बन जाता है । यह न्याय सीधा है, इस न्याय से हम इस नतीजे पर पहुँच जाते हैं कि अमीर के घर में पैदा हुए बच्चों को मालिक और गुलाम के घर में पैदा होने वाले बच्चों को गुलाम बनना चाहिए और पैदा हो जाने के बाद की हालत में किसी किस्म की रहोबदल हो जाना अन्यथा है; क्योंकि बिना किसी का धन लिये कोई अमीर हो नहीं सकता ।

त्वर, भगवान की इच्छा से जो सम्पन्न घर में पैदा हो गये उन्हें अमीर बने रहने का हक्क है । इस न्याय-संगत बात को मानकर भी एक शंका मन में पैदा हुए बिना नहीं रहती और वह यह कि किसी का बाप क्योंकर अमीर हो गया ?

कोई एक वंश सृष्टि के आदि से अब तक मालिक नहीं रहा । राजा रामचन्द्र और सिकन्दर के खानदान में उत्तराधिकारी होकर मालिक बनने वालों का पता ढूँढ़ने पर भी कहीं नहीं लगता और जिन खानदानों के नाम इतिहास में मिलिक्यत के नाते कहीं दर्ज नहीं, वे अब अन्न-दाता और छत्र-पति का दिलाब लिये बैठे हैं । इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि भगवान ने कर्मों के फल से सृष्टि के आदि में ही मालिक और नौकर का दर्जा अलग-अलग कर दिया हो । हम उन्हें यहीं बनता-बिगड़ता देखते हैं । उनका यह बनना-बिगड़ना भी एक अधिकार और एक कायदे से होता है

और वह अधिकार या कायदा है शक्ति, ताकत, बल। इस शक्ति को ही भले मानसों के समाज में न्याय का नाम दिया जाता है। इसके विपरीत कमज़ोरी, निर्बलता और असहाय होना अपराध है।

अब तो शाश्वद लोग भूत ही गये हैं। आज अमेरिका शान्ति और न्याय की रक्षा का सबसे बड़ा दावेदार है परन्तु पांच सौ वर्ष पूर्व (१४६८) अमेरिका का अस्तित्व ही न था। स्पेन से कुछ लोग उस भूमि पर गये और आदिम निवासियों को खदेड़ कर वहाँ बस गये। आदिम निवासियों ने अपने घर की रक्षा करनी चाही परन्तु सभ्य योरुपियनों के शत्रुओं के सामने मारे गये। यदि आज अमेरिका के आदिम निवासी अपने अधिकार की मांग करें, अपने देश का शासन स्वयं करना चाहें तो क्या होगा? उन्हें तो योरुप से आकर बस जाने वालों के समान भी अधिकार और अवसर नहीं, क्योंकि उनमें शक्ति नहीं। उनकी मांग न्याय नहीं, विद्रोह मानी जायगी।

तोप, तलवार, बन्दूक और हवाई जहाज़ न्याय के इथियार हैं और वे ही न्याय का रूप हैं। इसीलिये हमारे बुजुर्ग हमेशा हरवा इथियार से लैस रहते थे। लेकिन सब लोगों का यों बन्दूक तलवार लिए फिरना ठीक नहीं, इससे गडबड होती है, हरदम आशंका बनी रहती है। शत्रुओं से बड़ी दूसरी एक और ताकत है। वह ताकत अलादीन के चिराज़ से बढ़ कर है, यह ताकत है रुपया! इस रुपये से तोप, तलवार और बमबाज़ हवाई जहाज़ आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। आप मसनद पर बैठकर हुक्का सटकिये आपके हुक्म से जहाँ आप चाहेंगे खून की नदियाँ वह जांयगी और हड्डियों के पहाड़ खड़े हो जायेंगे। रुपया ही वह डोरी है जो तोप, बन्दूक और तलवार को चलाती है।

शक्ति मनुष्य के हाथ पैर में है या धातु के टुकड़ों, रुपये में? यह समझने के लिये ज्ञान, दृष्टि की ज़रूरत है। आप यह बताइये कि धन रुपये की थैली में है या नोट, हुराड़ी या चेक के काशज़ में? धन तो असल में है मनुष्य की मेहनत में ही। रुपया उस मेहनत का चेक या हुराड़ी है। मनुष्य के परिश्रमको वह उतना ही शक्तिशाली है, उतना ही अधिक न्याय का स्वामी है। ऐसे शक्तिशालियों की बात ही न्याय है।

यह शक्तिशाली लोग जो तरीका दूसरे के धन को हथियाने का न्यायपूर्ण स्वीकार कर लें वह न्याय और जिसे वह अन्याय कह दें वह अन्याय। उदा-

हरण के तौर पर किसी के घर में घुस कर उसकी कमाई उठा लाना चोरी और पाप है परन्तु किसी व्यक्ति से दिन भर मेहनत कराकर उससे ५) रुपया का काम कराकर उसे १।) रुपया देना चोरी नहीं, अन्याय नहीं। किसान को, मज़दूर को घर में बटोर कर किसान और मज़दूर से ही उसके दाम मांगना न्याय है और जब किसान-मज़दूर कहें कि मेरी मेहनत के फल को तुम सब का सब मत हड्डप जाओ, कुछ तो मुझे भी दो तो वह शांति भंग करना है।

यह न्याय कैसा है, यह लाठी का ही न्याय नहीं तो क्या है ! मेरा विश्वास है, सेठों की कृपा से थाली भर खाकर ही परम तपस्वी ऋषियों ने यह उपदेश दिया था—“मागृधः कस्य स्विद्धनम्”—चोरी मत कर ! और इसी न्याय की स्थापना राजा और उसकी सरकार करते चले आये हैं।

राजा ने और राजा की विरादरी के अमीर आदमियों ने कृषि और धर्मार्थमा विद्वान लोगों से कहा—हमारे पास जो धन और शक्ति है वह हमारे ही हाथों में रहनी चाहिये, इसे हमसे छीनने का प्रयत्न कोई न करे। ऋषियों ने कहा—अन्नदाता यहीं तो न्याय है। इस न्याय को क्रायम करने के लिये एक बड़ी लाठी सेना की शक्ति में तैयार की गई और यह लाठी न्यायालय और सरकार की मुठी में थमा दी गयी।

सरकार और न्यायालय अमीरों, जमीदरों और पूँजीपतियों की मुठी है; यह बात कहना क्या उचित है ? बुजुर्ग और विद्वान सदा से हमें सिखाते-समझाते आये हैं कि न्याय और सरकार के सामने गरीब और अमीर सब एक हैं; बल्कि ताक़तवर आदमियों से गरीब की रक्ता करने के लिये ही राजा और सरकार की स्थापना हुई है, मनुष्य हिंसक पशुओं की तरह छीना-भरपटी और लूट-खसोट न करे, इसलिये सरकार की स्थापना हुई। अगर यह बात ठीक है तो सवाल यह है कि छीना-भरपटी और लूट-खसोट से डर किसको है ? — क्या गरीब को ?

आम तौर पर कहा जायगा गरीब को ! पर गरीब से कोई क्या छीने-भरपटेगा ? और निर्बल या कमज़ोर कोई व्यवस्था चलाना चाहेगा तो किस बिरते और ताक़त पर उसे चला पायगा ? इसलिए यही समझ में आता है कि गरीब को शासन, सरकार और व्यवस्था क्रायम करने की न तो ज़रूरत थी और न उसके पास उसके साधन ही थे। अगर छीना-भरपटी का किसी को डर था तो उसे, जिसके पास इतना धन एकत्र हो गया कि उसे लुटेरों का डंड़ होने लगा और जिसके हाथ में सरकार और व्यवस्था क्रायम करने का

साधन भी मौजूदा था ! ऐसा आदमी या ऐसी श्रेणी कौन थी ? वह चाहे जो रही हो पर वह गरीबों की, साधन-हीनों की श्रेणी नहीं थी, यह बात दावे से कही जा सकती है ।

इतिहास के पन्ने पलटिये—राजा और उसके सामन्त कभी गरीब नहीं रहे । वे सदा सोने-चाँदी के जेवर और रेशम के कपड़े पहन कर सिंहासन और रथ पर बैठते रहे हैं और उन्हें सदा इस बात का डर रहा है कि जुब अजा हल्ला कर उनसे सब कुछ छीन न ले जाय । देखिये इतिहास बताता है कि पुराने ज्ञाने में स्वामी लोग दासों को निर्यतण में रखते थे । उस समय शासन और व्यवस्था की ज़रूरत दास को नहीं बल्कि स्वामी को ही रही होगी । फिर सामन्तों के समय में शासन और सरकार की व्यवस्था सामन्त सरदारों की इच्छा द्वारा, सामन्त सरदारों के हित की रक्षा करने के लिये ही, रही और आज दिन भी जिनके हाथ पूँजी हैं और जिनके हाथ में जमीदारी है, शासन और व्यवस्था उन्हीं की इच्छा अनुसार, उन्हीं के हित के अनुकूल हैं ।

शासन और सरकार है क्या ? वह किस लिये है ?—परम्परागत उत्तर है :—शासन और व्यवस्था है समाज की रक्षा के लिये । समाज की रक्षा का अर्थ है समाज जिस ढंग-ढांचे से चल रहा है, उसी ढंग-ढांचे पर चलता जाय । उसमें परिवर्तन या उपद्रव लड़ान किया जाय । और समाज क्या है ? स्थूल रूप में समाज है—हमारे सम्मिलित जीवन का क्रम । हमारे सम्मिलित जीवन के क्रम में जीवन के आधार, जीवन के लिये उपयोगी वस्तुओं की उत्पत्ति और बँटवारे का नियन्त्रण ही सबसे बड़ी बात है बाकी सब बातें इस मूल धुरी के चारों ओर घूमती रहती हैं । मूल धुरी है :—समाज में एक ऐसी श्रेणी का मौजूद होना जो सम्पत्ति के रूप में उत्पत्ति के सब साधनों को समेटे हुए है और दूसरी उस श्रेणी का होना जो सम्पत्ति या उत्पत्ति के साधनों के अभाव में सम्पत्ति शाली या पूँजीपति श्रेणी के हाथों में पैदावार के साधन के रूप में काम करती है । जैसे घोड़ा एक जीव है और इक्केवाला भोड़े को इक्के में जोत कराई करता है । घोड़े को चारा-दाना खिलाकर बाकी पैसा जेब में रखता है । इसी प्रकार पूँजीपति श्रेणी, उत्पत्ति के साधनों और मज़दूरों का सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध में जो धन है वह जायगा इक्केवाले यानि पूँजीपति के पास । और उस धन की रक्षा के लिये पूँजीपति को एक सरकार खड़ी करनी पड़ेगी ताकि न्याय और शांति की रक्षा हो । इस न्याय

और शांति की रक्षा का अर्थ होगा—कोई किसी का (पूँजीपति का) धन न ले ।

समाज में शांति और न्याय कायम रखने का सूत्र और नियम है—‘कोई किसी का धन न ले और हमारे वर्तमान समाज की व्यवस्था का उद्देश्य और आधार है कि एक श्रेणी दूसरी श्रेणी का धन लेकर अपने पास जमा कर शक्ति-शाली बन सकती है और फिर उस धन की रक्षा के लिये धनहीन श्रेणी का दमन करने के लिये सरकार कायम करे ।

हमारे समाज की शांति और व्यवस्था की रक्षा का यह सब सरंजाम मुझे केवल एक खेल दिखाई देता है और यह खेल है, चोर-चोर का खेल । इस खेल में कौन ‘चोर’ और कौन ‘साह’ है; यह कैसे बताया जा सकता है ? लेकिन सभी कहते हैं—चोरी मत करो !